इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2022—पौष 9, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

क्र. एफ-11-146-2019-सूअप्र-1-9-1018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 19 से 22 नवम्बर, 2022 तक भोपाल से उदयपुर (राजस्थान) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2022 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर, 2022 को शासकीय अवकाश व दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2022 दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. एवं एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य ''दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण'' का (चौथी बार) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज मालवीय, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2022

क्र. एफ-5-13-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर का

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-5542-(दो-1-12-2022), दिनांक 18 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2022 तक, पाँच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)127-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन,श्री तरूण नायक, भापुसे-09, पुलिस अधीक्षक, सागर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

1.	श्री तरूण नायक	-	स्वयं
2.	श्रीमती प्रीति मैथिल नायक	-	पत्नी
3.	कु. धर्मिष्ठा नायक	-	पुत्री

(2) श्री तरूण नायक, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री ज्योति ठाकुर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण नायक, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)161-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए) दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2022 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत हैवलॉक आइसलैण्ड (अण्डमान) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1.	श्री डी. सी. सागर	-	स्वयं
2.	श्रीमती वंदना सागर	-	पत्नी
3.	कु. देव्यांगना दिनेश सागर	-	पुत्री
4.	कु. दिव्यांशी दिनेश सागर	-	पुत्री

(2) श्री डी. सी. सागर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सी. सागर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. सी. सागर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. सी. सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)12-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अतुल सिंह, भापुसे-09, सेनानी, 7वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 15 दिसम्बर 2022 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत मिर्जापुर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1.	श्री अतुल सिंह,	-	स्वयं
2.	श्रीमती दीप्ति सिंह	-	पत्नी
3.	श्री देव्यांश सिंह	-	पुत्र
4.	श्री देवम सिंह	-	पुत्र

(2) श्री अतुल सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. बी. राय, रापुसे, उप सेनानी, 7वीं वहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 7वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अतुल सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)58-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री हितेश चौधरी, भापुसे-2013 पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 13 से 27 दिसम्बर 2022 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.—

1.	श्री हितैश चौधरी,	–	स्वयं
2.	श्रीमती अंजुलता चौधरी,	–	पत्नी
3.	श्री नील चौधरी	–	पुत्र
4.	श्री कैलाश चौधरी	–	पिता

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार डॉ. अमित कुमार वर्मा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)57-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री तिलक सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगोन को दिनांक 14 से 28 दिसम्बर 2022 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.—

(2) श्री तिलक सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तिलक सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा. औ. सु. बल), पु. मु. भोपाल को दिनांक 14 दिसम्बर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आशुतोष राय, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस अग्निशमन सेवाऐं) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (रा. औ. सु. बल), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.—

1.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	-	स्वयं
2.	श्रीमती वैशाली गुप्ता	-	पत्नी
3.	श्री वासु गुप्ता	-	पुत्र
4.	श्री देव गुप्ता	-	पुत्र

(2) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मैन्युवल, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार गुप्ता,भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1(ए)243-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर डॉ. वरूण कपूर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम ब्लॉक वर्ष में दिनांक 21 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2022 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत इंदिरा पाइंट (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.—

1.	डॉ. वरूण कपूर	-	स्वयं
2.	श्रीमती सौम्या कपूर	-	पत्नी
3.	श्री ईशान कपूर	-	पुत्र
4.	श्री केशव कपूर	-	पुत्र

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)192-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ., मध्यप्रदेश भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 16 दिसम्बर 2022 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश व 17-18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत उत्तर पूर्व राज्य (अरूणाचल प्रदेश) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1.	श्री व्ही. के. माहेश्वरी	-	स्वयं
2.	श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी	-	पत्नी
3.	श्री वरूण माहेश्वरी	-	पुत्र

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 3-3-2015-इकतालीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा / इंटरनेट सेवा / अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना के विस्तार/स्थापना हेतु "Right of Way के लिए अंडर ग्राउण्ड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर (UTI) हेतु रुपये 1,000/- (एक हजार) प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की जाती है. सेवा प्रदाता अंडर ग्राउण्ड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु शासकीय सड़क/भूमि आदि को पुनः यथास्थिति रूप में लाने हेतु आवश्यक मरम्मत/संधारण हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रचलित SOR/ प्राकलन राशि/वास्तविक व्यय राशि का भुगतान संबंधित विभाग को करेगा. इस हेतु RoW पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान MPSeDC द्वारा किया जाये.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0067-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2906-टी सी-85-गुना-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित गुना विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छावनी तहसील एवं जिला गुना	सर्वे क्रमांक 50	2.5600 हेक्टेयर में से 0.1200 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (ओल्ड बंगला)	आवासीय
		योग . .	कुल रकबा 2.5600 हेक्टेयर में से 0.1200 हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0129-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4168-टी सी-124-इंदौर-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम निपान्या तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर	72/1/1/2	0.181 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		72/1/1/4	0.198 हेक्टेयर	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		योग . .	कुल रकबा 0.379 हेक्टेयर		

नोट—

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान निपान्या मुख्य मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अत: मार्ग मध्य हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा प्रश्नाधीन भूमियों के मध्य अवस्थित मार्ग की चौड़ाई यथावत रखा जाना आवश्यक होगा.

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

शर्तें—

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 13-30-2019-तेरह: यत:, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-25-2019-ए-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई, 2021 के माध्यम से जिला धार में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित सीमेंट इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं;

और, यत:, एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के माध्यम से सूचित किया है, कि इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ हो गया है;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जिला धार में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की सीमेंट इकाई को, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन विद्युत संयोजन को बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से दस वर्ष की कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त रहेगी.

No. F-13-30-2019-XIII.—WHEREAS, Industrial Policy and Investment Promotion Department, vide its order No. F-16-25-2019-A-XI, dated 28th July, 2021 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty from the date of commercial operation to proposed cement unit of M/s Ultra Tech Cement Limited in District, Dhar;

AND WHEREAS, MP Industrial Development Corporation Limited, vide its letter dated 22nd April, 2022 has intimated that commercial production from the unit has been started on 18th April, 2018;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts cement unit of M/s Ultra Tech Cement Limited in District Dhar from payment of Electricity Duty on the electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the new electricity connection for a period of ten years from 18th April, 2018.

This notification shall be deemed to have come into force from 18th April, 2018 and shall remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्र. 7547-977700-22-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उज्जैन	उज्जैन	सुश्री पुजा वर्मा, JMFC
2.	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती प्रियंका चौहान डावर, JMFC

No. 7547-977700-22-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ujjain	Ujjain	Sushri. Pooja Verma, JMFC
2.	Chhatarpur	Chhatarpur	Smt. Priyanka Chouhan Dawar, JMFC

क्र. 7549-980391-22-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सागर	सागर	श्रीमती उर्मिला खेडकर, JMFC

No. 7549-980391-22-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sagar	Sagar	Smt. Urmila Khedkar, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसारिया, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 नवम्बर/दिसम्बर 2022

क्र. 8548-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए-101-2016-एम.पी.एस.-31-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत" सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अत: अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-बांकानागनपुर प.ह.नं.-43 ब. नं.-195 रा.नि.मं.-चौरई.	रकबा-0.090 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग, क्र. 1, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

फा.क्रमांक 4911/21–ब(एक)/2022, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 17(ई)–83–03 इक्कीस–ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग–1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 मे प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुकमांक 75, 76 तथा 76–क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
"75	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	सिविल जिला रायसेन के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुकमांक 76 एवं 76–क के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
76	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र
76–क	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बरेली	तहसील बाड़ी, बरेली, उदयपुरा एवं देवरी का विद्युत क्षेत्र।"।

F.No. 4911 /21-B(1)/2022, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F.No. 17(E)-83-03-XXI-B(One), dated 16th September, 2010, which was publjshed in the Madhya Pradesh Gazette,Part-1 dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 75, 76 and 76-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"75.	Raisen	Additional Sessions Judge, Raisen	All Electricity Area of Civil District Raisen (Excludingh the territorial jurisdiction given at scrial no. 76 and 76-A)
76.	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumganj	Electricity area of Begumganj
76-A.	Raisen	Additional Sessions Judge, Bareli	Electricity area of Tehsil Badi, Bareli, Udaipura and Deori.".

फा.क्रमांक 4912/21–ब(एक) 2022.– स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1–6–89–इक्कीस–ब(एक), दिनांक 24 फरवरी, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–1 में दिनांक 12 मार्च, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,–

(एक) अनुक्रमांक 36 एवं 37 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात :–

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खंड
1	2	3
"36.	विशेष न्यायालय, रतलाम	रतलाम सत्र खंड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा एवं अतिरिक्त विशेष न्यायालय, आलोट को दी गई अधिकारिता को छोड़कर।
37.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा	पुलिस थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनौद, बड़ावदा तथा पिपलौदा के स्थानीय क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत मामले।"

(दो) अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थातः–

"37–क	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, आलोट	पुलिस थाना ताल, पुलिस थाना आलोट और पुलिस थाना बरखेड़ा के समक्ष प्रस्तुत मामले।"

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-N0. 4912 / XX1-B(1) 2022,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/89-XX1-B(1) dated 24th February, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 12th March,2010 namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule,-

(i) For serial numbers 36 and 37 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely:-

S.No.	Special Court	Local area / Session Divisions
1	2	3
"36.	Special Court, Ratlam	Ratlam Sessions Division excluding jurisdiction given to the Additional Special Court, Jaora and Additional Special Court, Alote.
37.	Additional Special Court, Jaora	Cases produced before Local Area of Police Station Jaora City, Industrial Area Jaora, Kalukheda, Ringnod, Badawada and Piploda.

(ii) After serial numbers 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

37-A	Additional Special Court, Alote	Cases produced before Police Station Tal, Police Station, Alote and Police Station Barkheda .

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्रमांक 4779/2022/इक्कीस–ब(एक)/2022, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)2–2019–इक्कीस–ब(एक)/103–2019, दिनांक 30 –01–2019 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात् :–

अनुसूची

अनु. क्र.	अभिहित न्यायालय	क्षेत्र	विशेष न्यायालय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर	सिविल जिला अलीराजपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय अलीराजपुर
2.	प्रधान जिला न्यायाधीश, अनूपपुर	सिविल जिला अनूपपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय अनूपपुर
3.	प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर	सिविल जिला अशोकनगर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय अशोकनगर
4.	प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय बालाघाट
5.	प्रधान जिला न्यायाधीश, बड़वानी	सिविल जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय बड़वानी
6.	प्रधान जिला न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय बैतूल
7.	प्रधान जिला न्यायाधीश, भिण्ड	सिविल जिला भिण्ड की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय भिण्ड
8.	प्रधान जिला न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय छतरपुर
9.	प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल	सिविल जिला भोपाल की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय भोपाल
10.	प्रधान जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर	सिविल जिला बुरहानपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय बुरहानपुर

11.	प्रधान जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	सिविल जिला छिंदवाड़ा की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय छिंदवाड़ा
12.	प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय दमोह
13.	प्रधान जिला न्यायाधीश, दतिया	सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय दतिया
14.	प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास	सिविल जिला देवास की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय देवास
15.	प्रधान जिला न्यायाधीश, धार	सिविल जिला धार की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय धार
16.	प्रधान जिला न्यायाधीश, डिण्डोरी	सिविल जिला डिण्डोरी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय डिण्डोरी
17.	प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना	सिविल जिला गुना की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय गुना
18.	प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर	सिविल जिला ग्वालियर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय ग्वालियर
19.	प्रधान जिला न्यायाधीश, हरदा	सिविल जिला हरदा की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय हरदा
20.	प्रधान जिला न्यायाधीश, झाबुआ	सिविल जिला झाबुआ की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय झाबुआ
21.	प्रधान जिला न्यायाधीश, कटनी	सिविल जिला कटनी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय कटनी
22.	प्रधान जिला न्यायाधीश, मण्डला	सिविल जिला मण्डला की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय मण्डला
23.	प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर	सिविल जिला मंदसौर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय मंदसौर
24.	प्रधान जिला न्यायाधीश, इंदौर	सिविल जिला इंदौर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय इंदौर
25.	प्रधान जिला न्यायाधीश, जबलपुर	सिविल जिला जबलपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय जबलपुर
26.	प्रधान जिला न्यायाधीश, मुरैना	सिविल जिला मुरैना की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय मुरैना
27.	प्रधान जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम	सिविल जिला नर्मदापुरम की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय नर्मदापुरम
28.	प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय नरसिंहपुर
29.	प्रधान जिला न्यायाधीश, नीमच	सिविल जिला नीमच की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय नीमच
30.	प्रधान जिला न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय खण्डवा
31.	प्रधान जिला न्यायाधीश, पन्ना	सिविल जिला पन्ना की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय पन्ना

32.	प्रधान जिला न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय राजगढ़
33.	प्रधान जिला न्यायाधीश, रतलाम	सिविल जिला रतलाम की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय रतलाम
34.	प्रधान जिला न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय रीवा
35.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर	सिविल जिला सागर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सागर
36.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीहोर	सिविल जिला सीहोर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सीहोर
37.	प्रधान जिला न्यायाधीश, रायसेन	सिविल जिला रायसेन की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय रायसेन
38.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी	सिविल जिला सिवनी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सिवनी
39.	प्रधान जिला न्यायाधीश, शहडोल	सिविल जिला शहडोल की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय शहडोल
40.	प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर	सिविल जिला शाजापुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय शाजापुर
41.	प्रधान जिला न्यायाधीश, श्योपुर	सिविल जिला श्योपुर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय श्योपुर
42.	प्रधान जिला न्यायाधीश, शिवपुरी	सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय शिवपुरी
43.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सतना
44.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला सीधी की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सीधी
45.	प्रधान जिला न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय सिंगरौली
46.	प्रधान जिला न्यायाधीश, टीकमगढ़	सिविल जिला टीकमगढ़ की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय टीकमगढ़
47.	प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय उज्जैन
48.	प्रधान जिला न्यायाधीश, उमरिया	सिविल जिला उमरिया की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय उमरिया
49.	प्रधान जिला न्यायाधीश, विदिशा	सिविल जिला विदिशा की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय विदिशा
50.	प्रधान जिला न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	सिविल जिला मण्डलेश्वर की स्थानीय सीमाएं	विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर

F.No 4779/2022/21-B(1)/2022– In exercise of the powers conferred by section 20B of Specific Relief Act, 1963 (No. 47 of 1963) and in supersession of this department's Notification No.17(E)02-2019-XXI-B (one)103-2019 dated 30.01.2019, the State Government, in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Courts specified in column (4) of the Schedule to exercise jurisdiction and try suits in respect of contracts relating to infrastructure projects.

SCHEDULE

Sr. No.	Designated Court	Area	Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal District Judge, Alirajpur	Local limits of Civil District Alirajpur	Special Court Alirajpur
2.	Principal District Judge, Anuppur	Local limits of Civil District Anuppur	Special Court Anuppur
3.	Principal District Judge, Ashoknagar	Local limits of Civil District Ashoknagar	Special Court Ashoknagar
4.	Principal District Judge, Balaghat	Local limits of Civil District Balaghat	Special Court Balaghat
5.	Principal District Judge, Barwani	Local limits of Civil District Barwani	Special Court Barwani
6.	Principal District Judge, Betul	Local limits of Civil District Betul	Special Court Betul
7.	Principal District Judge, Bhind	Local limits of Civil District Bhind	Special Court Bhind
8.	Principal District Judge, Chhatarpur	Local limits of Civil District Chhatarpur	Special Court Chhatarpur
9.	Principal District Judge, Bhopal	Local limits of Civil District Bhopal	Special Court Bhopal

10.	Principal District Judge, Burhanpur	Local limits of Civil District Burhanpur	Special Court Burhanpur
11.	Principal District Judge, Chhindwara	Local limits of Civil District Chhindwara	Special Court Chhindwara
12.	Principal District Judge, Damoh	Local limits of Civil District Damoh	Special Court Damoh
13.	Principal District Judge, Datia	Local limits of Civil District Datia	Special Court Datia
14.	Principal District Judge, Dewas	Local limits of Civil District Dewas	Special Court Dewas
15.	Principal District Judge, Dhar	Local limits of Civil District Dhar	Special Court Dhar
16.	Principal District Judge, Dindori	Local limits of Civil District Dindori	Special Court Dindori
17.	Principal District Judge, Guna	Local limits of Civil District Guna	Special Court Guna
18.	Principal District Judge, Gwalior	Local limits of Civil District Gwalior	Special Court Gwalior
19.	Principal District Judge, Harda	Local limits of Civil District Harda	Special Court Harda
20.	Principal District Judge, Jhabua	Local limits of Civil District Jhabua	Special Court Jhabua
21.	Principal District Judge, Katni	Local limits of Civil District Katni	Special Court Katni
22.	Principal District Judge, Mandla	Local limits of Civil District Mandla	Special Court Mandla
23.	Principal District Judge, Mandsaur	Local limits of Civil District Mandsaur	Special Court Mandsaur
24.	Principal District Judge, Indore	Local limits of Civil District Indore	Special Court Indore
25.	Principal District Judge, Jabalpur	Local limits of Civil District Jabalpur	Special Court Jabalpur
26.	Principal District Judge, Morena	Local limits of Civil District Morena	Special Court Morena

27.	Principal District Judge, Narmadapuram	Local limits of Civil District Narmadapuram	Special Court Narmadapuram
28.	Principal District Judge, Narsinghpur	Local limits of Civil District Narsinghpur	Special Court Narsinghpur
29.	Principal District Judge, Neemuch	Local limits of Civil District Neemuch	Special Court Neemuch
30.	Principal District Judge, Khandwa	Local limits of Civil District Khandwa	Special Court Khandwa
31.	Principal District Judge, Panna	Local limits of Civil District Panna	Special Court Panna
32.	Principal District Judge, Rajgarh (Biaora)	Local limits of Civil District Rajgarh (Biaora)	Special Court Rajgarh (Biaora)
33.	Principal District Judge, Ratlam	Local limits of Civil District Ratlam	Special Court Ratlam
34.	Principal District Judge, Rewa	Local limits of Civil District Rewa	Special Court Rewa
35.	Principal District Judge, Sagar	Local limits of Civil District Sagar	Special Court Sagar
36.	Principal District Judge, Sehore	Local limits of Civil District Sehore	Special Court Sehore
37.	Principal District Judge, Raisen	Local limits of Civil District Raisen	Special Court Raisen
38.	Principal District Judge, Seoni	Local limits of Civil District Seoni	Special Court Seoni
39.	Principal District Judge, Shahdol	Local limits of Civil District Shahdol	Special Court Shahdol
40.	Principal District Judge, Shajapur	Local limits of Civil District Shajapur	Special Court Shajapur
41.	Principal District Judge, Sheopur	Local limits of Civil District Sheopur	Special Court Sheopur
42.	Principal District Judge, Shivpuri	Local limits of Civil District Shivpuri	Special Court Shivpuri

43.	Principal District Judge, Satna	Local limits of Civil District Satna	Special Court Satna
44.	Principal District Judge, Sidhi	Local limits of Civil District Sidhi	Special Court Sidhi
45.	Principal District Judge, Singrauli	Local limits of Civil District Singrauli	Special Court Singrauli
46.	Principal District Judge, Tikamgarh	Local limits of Civil District Tikamgarh	Special Court Tikamgarh
47.	Principal District Judge, Ujjain	Local limits of Civil District Ujjain	Special Court Ujjain
48.	Principal District Judge, Umaria	Local limits of Civil District Umaria	Special Court Umaria
49.	Principal District Judge, Vidisha	Local limits of Civil District Vidisha	Special Court Vidisha
50.	Principal District Judge, W.N. Mandleshwar	Local limits of Civil District W.N. Mandleshwar	Special Court W.N. Mandleshwar

फा.क्रमांक 4777/21–ब(एक)/2022.– राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक ब(1) 3476–2013,दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः–

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
"6	छतरपुर	डॉ. वैभव विकास शर्मा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,
31	सागर	श्री अब्दुल्लाह अहमद, आठवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर।" ।

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 4777/2022,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 6 and 31 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"6.	Chhatarpur	Dr. Vaibhav Vikas Sharma, IInd District and Additional Sessions Judge, Chhatarpur
31.	Sagar	Shri Abdullah Ahmad, VIIIth District and Additional Sessions Judge, Sagar.".

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.के.द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 :: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/ इंटरनेट सेवा प्रदाता/ अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2019 की कंडिका 11(अ)(2) के पश्चात (3) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(3) कंडिका 11(अ)(1)(i) में वर्णित शासकीय /शासकीय प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय की भूमि/भवन पर अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए प्रक्रिया :-

(i) शासकीय /शासकीय प्राधिकरण/स्थानीय निकाय की भूमि/भवन अवसंरचना स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि जमा करने के लिए म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा बैंक चयनित कर उसमें पृथक बैंक खाता खोलकर बैंक को Onboard किया जायेगा। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये 10,000/- Online जमा की जायेगी।

(ii) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा 60 दिवस की समय-सीमा में संबंधित विभाग से अपेक्षित सहमति/अनापत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से डीम्ड (Deemed) अनुज्ञप्ति Online जारी की जायेगी।

(iii)संबंधित विभाग से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में बैंक द्वारा MPSeDC के निर्देशानुसार इस शुल्क की राशि को सेवाप्रदाता/ विभाग/ प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय/ निगम/ मण्डल के खाते में अंतरित किया जायेगा। संबंधित शासकीय विभाग से असहमति प्राप्त होने की स्थिति में MPSeDC द्वारा उल्लेखित अनुज्ञप्ति शुल्क राशि सेवाप्रदाता को वापस लौटा दी जायेगी।

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 :: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/ इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा-निर्देश 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1- मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा-निर्देश-2019 में स्थापित कंडिका 13(ख) को विलोपित करते हुए उक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-

13(ख)राज्य सरकार के विभाग अथवा उपक्रम/ प्राधिकरण/ निगम/आयोग आदि की संबंधित भूमि/ भवन पर (Over ground) स्थापित की जाने वाली दूरसंचार अवसंरचनाओं की अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) देय होगी।

2/ मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा-निर्देश-2019 की कंडिका -13 में निम्नानुसार उप कंडिका जोड़ी जाती है:-

1- नीति की कंडिका 13- अनुज्ञप्ति शुल्क- में (ख) के पश्चात (ग) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

(ग) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 वर्गफुट तक भूमि हेतु बीएसएनएल द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क देय नहीं होगा

2- दिशा-निर्देश की कंडिका 13- अनुज्ञप्ति शुल्क - में (ज) के पश्चात (झ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

(झ) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 वर्गफुट तक भूमि हेतु बीएसएनएल द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क देय नहीं होगा।

3/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

क्रमांक एफ 15-01/2022/41-2 : राज्य शासन एतद् द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत "राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (State Computer Security Incident Response Team)" (SCSIRT) का गठन किया जाता है। 'राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील/ विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने हेतु सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा निम्न विषयों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी:-

i. Major Cyber Attack जैसी Critical Condition में "भारतीय कम्प्यूटर एमरजेंन्सी रिस्पॉन्स टीम (Indian Computer Emergency Response Team - CERT-In)" भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों पर क्रियान्वयन करना।
ii. ऐसी कोई Cyber Crisis/ Attack की घटनाएं जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी, Critical application, IT Infra पर Cyber Attack जैसी Emergency एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किसी IT Protected System जो राज्य के लिए अति आवश्यक घोषित/ निर्धारित किया जाये उन मामलों में यथोचित निर्णय लेना।
iii. राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) द्वारा उपरोक्त के संबंध में लिये गये निर्णय से राज्य शासन को एंक कार्य दिवस के अन्दर अवगत करायेगा।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के लिए संलग्न **परिशिष्ट-1** अनुसार पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3/ राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी-इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के कार्य एवं उत्तरदायित्व संलग्न **परिशिष्ट -2** अनुसार होंगे।

4/ राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के संचालक का चयन, अर्हताओं एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की एक चयन समिति गठित की जाती है:-

1)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,वित्त विभाग	सदस्य
2)	प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य/समन्वयक
3)	प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	सदस्य
4)	महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सायबर सैल	सदस्य
5)	राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	सदस्य
6)	CERT-In के प्रतिनिधि	सदस्य

चयन समिति द्वारा राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम के संचालक के चयन उपरान्त नियुक्ति आदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

5/ राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम के संयुक्त संचालक का चयन गृह विभाग द्वारा किया जायेगा तथा नियुक्ति का आदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

6/ संचालक तथा संयुक्त संचालक के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को छोडकर शेष 19 आउटसोर्स पदों के लिए चयन की प्रक्रिया, शर्तों, अर्हताओं आदि का निर्धारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा। तदोपरान्त इन पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

परिशिष्ट-1

राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के लिए स्वीकृत पदों का विवरण :-

A1 प्रशासकीय पद / पदनाम	पदों की संख्या	पदों का प्रकार	अनुमानित व्यय प्रति वर्ष प्रति मानव संसाधन (लाख रुपये में)	प्रति वर्ष मानव संसाधन के लिए संभावित लागत (लाख रुपये में)
संचालक (Level-16)	1	प्रतिनियुक्ति	25.40	25.40
संयुक्त संचालक (Level-14)	1	प्रतिनियुक्ति	21.30	21.30
लेखापाल	1	आउटसोर्स	1.48	1.48
संचार सलाहकार	1	आउटसोर्स	6.00	6.00
विधि सलाहकार	1	आउटसोर्स	9.00	9.00
कार्यालय सहायक	2	आउटसोर्स	1.32	2.65
भृत्य	2	आउटसोर्स	1.06	2.11
प्रोजेक्ट एक्ज़ीक्यूटिव	1	आउटसोर्स	3.00	3.00
परियोजना सहायक	2	आउटसोर्स	1.80	3.60
A1- कुल	12			74.54
तकनीकी पद/पदनाम				
प्रचालन प्रमुख (आपरेशन्स हेड)	1	संविदा/ आउटसोर्स	36.00	36.00
राज्य समन्वयक	1	संविदा / आउटसोर्स	30.00	30.00
संचालन दल				
टेक्नीकल लीड - साइबर सिक्युरिटी	1	आउटसोर्स	17.00	17.00
"सी.एस.आई.आर.टी." सेवाएं प्रदान करने वाले तकनीकी सीनियर सिक्यूरिटी इंसिडेंट रिस्पान्डर	1	आउटसोर्स	17.00	17.00
सिक्युरिटी इंसिडेंट रिस्पान्डर	4	आउटसोर्स	6.00	24.00
आई टी सिक्युरिटी एनालिष्ट	1	आउटसोर्स	17.00	17.00
A2-कुल	9			141.00
कुल- मानव संसाधन (A1+A2)	21			215.54

परिशिष्ट-2

विषयः-राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के कार्य एवं उत्तरदायित्व।

राज्य शासन द्वारा गठित राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

1. राज्य के भीतर आईटी सुरक्षा पहलुओं/विषयों के लिए केंद्रीयकृत रूप से समन्वय करना।
2. राज्य में साइबर सुरक्षा की घटनाओं, आशंकाओं पर प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए केन्द्र बिंदु और राज्य की जिम्मेदार एजेंसी के रूप में कार्य करना।
3. राज्य आईटी अधोसंरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ आगामी साइबर खतरों का समन्वय, साझा, संग्रह, विश्लेषण और पूर्वानुमान।
4. CERT-In" के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), सुरक्षा नीतियां, घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम प्रबंध प्रणाली विकसित करना।
5. "CERT-In" से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार साइबर सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश, परामर्शी निर्देश जारी करना।
6. CERT-In" के मार्गदर्शन में राज्य के आईटी बुनियादी ढांचे के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सी.सी.एम.पी-Cyber Crisis Management Plan) लागू करना।
7. "साइबर घटना की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित घटना के तथ्य एवं अन्य विवरण "CERT-In" और संबंधित प्राधिकारी/नियामकों के साथ साझा करना।
8. राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सायबर से संबंधित घटित घटनाओं के संबंध में आवश्यक अनुसंधान एवं समस्याओं के निराकरण के प्रयास करना तथा इस प्रकार के घटनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुये "CERT-In" के मार्गदर्शन में कार्य करना।

9. आईटी सुरक्षा संबंधी प्रकरणों के समुचित प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए विभागीय/ जिला स्तरीय व्यवस्था (System) के लिए सुझाव, परामर्श देना।
10. साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं साइबर ऑडिट, मूल्यांकन आदि के दृष्टिकोण में सुधार कार्य करना।
11. अनुसंधान संस्थान के सहयोग से साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक विषय (डोमेन) में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
12. CERT-In" और "National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC)" आदि प्राधिकारी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर जारी किए गये परामर्शी निर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन।
13. "CSIRT से संबंधित समस्त डेटा भारतीय क्षेत्राधिकार में सुरक्षित संधारित करना।
14. SCSIRT द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील/ विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने हेतु सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगा तथा निम्न विषयों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा:-
 i. Major Cyber Attack जैसी Critical Condition में भारत सरकार CERT-In द्वारा प्राप्त निर्देशों पर क्रियान्वयन कर सकेगा।
 ii. ऐसी कोई Cyber Crisis/ Attack की घटनाएं जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी, Critical application, Infra पर Cyber Attack जैसी Emergency एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किसी IT Protected System

जो राज्य के लिए अति आवश्यक घोषित/ निर्धारित किया जाये उन मामलों में यथोचित निर्णय ले सकेगा।

iii. SCSIRT द्वारा उपरोक्त के संबंध में लिये गये निर्णय से राज्य शासन को एक कार्य दिवस के अन्दर अवगत करायेगा।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 23-04/2021/18-6:- राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि,

1 विभागीय संक्षेपिका दिनांक 07.11.2022 के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न "मध्य प्रदेश आवास पुनर्विकास (Redevelopment) नीति, 2022" का अनुमोदन किया जावे।

2. उक्त नीति की कण्डिका क्रमांक 8.6 में वर्णित पुनर्विकास परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार किये जाने वाले उपायों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने प्रचलित नियमों/प्रावधानों में संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति–2022



विषयवस्तु (CONTENTS)

1. भूमिका
2. उद्देश्य
3. परिभाषाएं
4. पुनर्विकास परियोजना हेतु योग्यता
5. पुनर्विकास मॉडल
6. प्रक्रिया
7. क्रियान्वयन
8. सामान्य प्रावधान
9. नियोजन मानदण्ड तथा रूपांकन विमर्श
10. लाभार्थी/हितग्राही तथा आवंटन
11. रहवासी कल्याण संघ की भूमिका
12. अन्य दिशा–निर्देश
13. संस्थागत ढांचा

1. **भूमिका (Introduction)**

आवास, नागरिकों के कल्याण हेतु मूलभूत आवश्यकता है। आवासीय व्यवस्था में सुधार का परिणाम समग्र रूप से पारिवारिक विकास के रूप में प्रकट होता है। आवासीय व्यवस्था का परिपक्वन तथा जीर्णावस्था एक सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया है जो अधिकांश पुरानी भवन संरचनाओं में पाई जाती है। ऐसी पुरानी तथा जीर्णशीर्ण योजनाओं के कारण रहवासियों की जीवन–शैली जोखिमपूर्ण तथा अस्वस्थ होने लगती है। मध्यप्रदेश शासन का मत है कि राज्य में वर्तमान में अनेक जीर्ण–शीर्ण सार्वजनिक तथा निजी आवासीय योजनाएं हैं जिनकी मरम्मत किया जाना असंभव है तथा इन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रकरणों में जहां इकाईयों की मरम्मत एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है वहां विद्यमान इकाईयों का पुनर्विकास किया जा सकता है। परन्तु ऐसी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में वृहद् मात्रा में पूंजी निवेश तथा सन्निहित रहवासियों, निर्माण अभिकरण (एजेन्सी) तथा शासकीय अभिकरणों के मध्य अत्यधिक समन्वयन की आवश्यकता होगी। अतएव, ऐसी चुनौतियों पर काबू–पाने तथा नागरिकों को रहन–सहन का बेहतर स्तर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश शासन *मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति, 2022* लागू करने की अभिलाषा रखता है।

आवास पुनर्विकास भवन परिसरों के पुनर्निमाण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रयोज्य विकास विनियमों के अनुसार किसी विद्यमान संरचना का विध्वंस कर उसके स्थान पर नये भवन का निर्माण किया जाता है। ऐसे में पुनर्विकास/पुनर्निर्माण बिगड़ती हुई तथा जोखिमपूर्ण रहन–सहन की परिस्थितियों तथा अनेक पुरानी आवासीय संस्थाओं (सोसायटियों) की विकट वास्तविकता के निराकरण् का एक औचित्यपूर्ण समाधान है। इस प्रकार निष्पादित पुनर्विकास से विद्यमान अधोसंरचना के इसके उच्चतम क्षमता के उपयोग के साथ–साथ शहर के विकसित क्षेत्रों में इष्टतम पुनर्घनत्वीकरण होगा। यह अव्यवस्थित शहरी फैलाव को सीमित करने तथा नवीन अधोसंरचना का विस्तार करने/स्थापित करने की मांग को कम करने में भी सहायक होगा।

मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति, 2022 के अधीन पुनर्विकास हेतु आवास निर्माण योजनाएं/परियोजनाएं सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जिनमें मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधेसंरचना विकास मण्डल, मध्यप्रदेश राज्य के नगरीय निकाय, शहरी विकास प्राधिकरण अथवा निजी विकासकर्ता, आदि शामिल है, निम्नांकित नीति के अनुसरण द्वारा क्रियान्वित की जा सकती हैं :

2. **उद्देश्य (Objectives)**

2.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन राज्य ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) पद्धति के तहत या सार्वजनिक प्राधिकरणों या निजी डेवलपर द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रो में सार्वजनिक और निजी आवास योजनाओं के पुनर्विकास का प्रस्ताव किया है

(क) विद्यमान आवासीय समूह का पुनर्विकास तथा उन्नयन करना ;

(ख) संरचनात्मक सुरक्षित भवन तथा बेहतर प्रतिवेश प्रदान करते हुए विद्यमान रहवासियों के साथ–साथ नवीन रहवासियों के रहन–सहन के स्तर में सुधार लाना तथा जहां कहीं भी संभव हो अतिरिक्त किफायती आवासीय समूह का सृजन करना; और

(ग) उपलब्ध भूमि तथा अधोसंरचना को सर्वोत्तम विधि द्वारा उपयोग में लाना।

2.2 उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शासन पर नाममात्र के या बिना किसी वित्तीय बोझ के भी नीति का प्रयोजन निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

3. **परिभाषाएं (Definitions)**

3.1 **अतिरिक्त फर्श या निर्मित क्षेत्रफल (Additional Carpet Area)** से अभिप्रेत है लाभार्थियों/हितग्राहियों को विद्यमान अनुमोदित फर्श या निर्मित क्षेत्रफल के अलावा प्रदान किया गया अतिरिक्त फर्श या निर्मित क्षेत्रफल।

3.2 **किफायती आवासीय व्यवस्था (Affordable Housing)** को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विकास विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 84 दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा एक गृह परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत तल क्षेत्र अनुपात (Floor Area Ratio-FAR) / तल स्थल सूचकांक (Floor Space Index-FSI) के 50% अंश को 60 वर्गमीटर से अनाधिक फर्श क्षेत्रफल (carpet area) से युक्त निवास इकाईयों (dwelling units) हेतु उपयोग में लाया जाता है। इस नीति के अधीन, इसी परिभाषा को या आर्थिक विकास विभाग द्वारा समय–समय पर अद्यतन की गई परिभाषा को मान्य किया जाएगा।

3.3 **अनुमोदित फर्श क्षेत्रफल (Approved Carpet Area)** से अभिप्रेत है पट्टाविलेख (lease deed)/ पंजीयन विलेख (registration document) या किसी अन्य वैधानिक प्रलेख के अनुसार क्षेत्रफल।

3.4 **लाभार्थी/हितग्राही (Beneficiaries)** से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण (implementing agency) का विधिसंगत पट्टाधारी या विद्यमान निवास इकाईयों का स्वामी। तथापि, भाड़ा आधार पर या अवैध ढंग से निवास कर रहे विद्यमान रहवासियों को लाभार्थी/हितग्राही नहीं माना जाएगा।

3.5 **प्रतिपूरक घटक (Compensatory Component - CC)** से अभिप्रेत है निर्मिति (built-up) या भूमि के रूप में क्षेत्र जिसका उपयोग पुनर्विकास परियोजना के निधीयन हेतु किया जाना अपेक्षित होता है (देखें इस नीति की कण्डिका 5.2.2)।

3.6 **निर्माण अभिकरण (Construction Agency)** से अभिप्रेत है पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु चयनित अभिकरण (एजेंसी)।

3.7 **विकासक (Developer)** से अभिप्रेत है प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना के समस्त घटकों हेतु निर्माण तथा विकास हेतु उत्तरदायी इकाई। किसी भी परियोजना हेतु विकासकर्ता निजी इकाई या शासकीय प्राधिकरण हो सकता है।

3.8 **जीर्ण–शीर्ण (Dilapidated)** से तात्पर्य है ऐसी भवन अवस्था जो उपयोग के लिये जोखिमपूर्ण होते हैं क्योंकि यह अवस्था इनमें अपक्षय या टूट–फूट होने के संकेत प्रदर्शित करती है तथा इनमें सुधार हेतु ऐसे प्रमुख मरम्मत कार्य किये जाने हेतु ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसके अनुसार इनकी पुनर्स्थापना या मरम्मत किया जाना संभव नहीं होता। ऐसे में संबद्ध नगरीय निकाय द्वारा इन्हें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होना घोषित कर दिया जाता है।

3.9 **आवासीय योजना (Housing Scheme)** से अभिप्रेत है ऐसी आवासीय योजना जो नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) या नगरीय निकाय (Urban Local Body) या दोनों द्वारा अनुमोदित हो अथवा सरकारी विभाग द्वारा विकसित की गई हो, जिसमें भूमि के किसी अविभाजित भूखण्ड पर कई आवासीय इकाईयां का निर्माण समग्र एवं एकीकृत रूप से किया गया हो एवं जहां भूमि और भवन (व्यक्तिगत भवनों को छोड़कर) संयुक्त रूप से धारित किए जाते है। इकाईयों और सेवाओं का संयुक्त रूप से रखरखाव किया जाता है और निर्माण एक संयुक्त इकाई के रूप में किया जाता है।

3.10 **क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency)** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल/नगरीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण/अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण जो किसी सार्वजनिक आवास योजना हेतु भूमि स्वामित्व अधिकार या पट्टा स्वामित्व धारित करता हो। इस नीति के अधीन क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency) को सदैव शासकीय अभिकरण के रूप में उल्लेखित किया जाएगा।

3.11 **अधिमूल्य (Premium)** से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा पुनर्विकास परियोजना हेतु आमन्त्रित की गई बोलियों की प्रतिक्रिया में जन–निजी भागीदारी विकासकर्ता द्वारा उद्धरित की गई वित्तीय राशि।

3.12 **निजी आवासीय योजना (Private Housing Scheme)** से अभिप्रेत है किसी निजी अभिकरण द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना जहां भूमि स्वामित्व अधिकार या पट्टा स्वामित्व अधिकार शासकीय प्राधिकरण के पास नहीं होते। नीति के अन्तर्गत केवल ऐसी आवासीय योजनाओं पर ही विचार किया जा सकता है जहां रहवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association) अथवा पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) अथवा सहकारी गृह निर्माण समिति (सोसायटी) अस्तित्व में है।

3.13 **सार्वजनिक आवासीय योजना (Public Housing Scheme)** से अभिप्रेत है सामान्य रूप से आमजन हेतु किसी सार्वजनिक अभिकरण द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना जहां भूमि स्वामित्व अधिकार या भूमि का पट्टा स्वामित्व योजना में निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन शासकीय प्राधिकरण द्वारा निरन्तर धारित किया जाता है।

3.14 **पुनर्विकसित इकाईयों (Redeveloped units)** से अभिप्रेत है आवासीय तथा वाणिज्यिक इकाईयां जिन्हें पुनर्विकास परियोजना के लाभार्थियों/हितग्राहियों हेतु विद्यमान इकाईयों की प्रतिपूर्ति (Compensation)हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित अथवा निर्मित किया गया है।

3.15 **पुनर्विकास (Redevelopment)** से अभिप्रेत निर्मित संरचना तथा अधोसंरचना की पुनर्निर्माण प्रक्रिया से है।

3.16 **पुनर्विकास अनुबन्ध (Redevelopment Agreement)** से अभिप्रेत हैं लाभार्थियों/हितग्राहियों के प्रतिनिधियों अथवा लाभार्थियों/हितग्राहियों,क्रियान्वयन अभिकरण तथा विकासकर्ता के मध्य परियोजना के पुनर्विकास हेतु निष्पादित अनुबन्ध। यदि क्रियान्वयन अभिकरण को विकासकर्ता के रूप में नियोजित किया जाता हैतो ठेकेदार कथित अनुबन्ध में तृतीय पक्ष होगा।

3.17 **पुनर्विकास परियोजना (redevelopement project)** से अभिप्रेत है पुनर्विकास इकाइयों का निर्माण तथा साइट और बुनियादी ढांचे का विकास।

3.18 **आरक्षित मूल्य (Reserve Price)** से अभिप्रेत है पुनर्विकास योजना हेतु परिकलित राशि,जिसमें निर्माण लागत, पर्यवेक्षण प्रभारों, पुनर्स्थापना व्यय (relocation expense), परामर्शदाता शुल्क, वस्तु तथा सेवा कर (GST), को सम्मिलित किया जाएगा।

3.19 रहवासी कल्याण समिति **(Resident Welfare Association)** से अभिप्रेत 'संस्था', म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम–2019 के खण्ड 2 (छ) या उसके बाद के संशोधन के अनुसार।

3.20 **तकनीकी परामर्शदाता (Technical Consultant)** से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कण्डिका 7.2.3 में परिभाषित विस्तार क्षेत्र के अनुसार पुनर्विकास योजना को परिभाषित करने, तैयार करने, बोली प्रक्रिया प्रबन्धन के संचालन तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किया गया परामर्शदाता।

4. **पुनर्विकास परियोजना हेतु योग्यता (Eligibility for the redevelopment Project)**

4.1 सार्वजनिक और निजी आवासीय योजनाएं/परियोजनाएं जो कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अधीन घोषित किये गये निवेश क्षेत्रों में अवस्थित हो एवं कण्डिका 3.10 के अनुसार दी गई परिभाषा के अनुसार हो। मिश्रित योजनाऐं अर्थात जिनमें आवासीय के साथ गैर–आवासीय इकाईयॉ भी निर्मित की गई हो, के पुनर्विकास भी अनुमति है।

4.2 सार्वजनिक तथा निजी समूह आवासीय योजनाएं जिनका जीवनकाल 30 वर्षों (जिसकी गणना परियोजना को पूर्ण किये जाने के वर्ष से की जाएगी) से अधिक हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीर्ण–शीर्ण घोषित किया जा चुका हो। (जीर्ण–शीर्ण भवन का जीवनकाल 30 वर्ष से कम भी हो सकता है) तथा जहां पंजीकृत रहवासी कल्याण संघ अस्तित्व में हो, को इस नीति के अधीन पुनर्विकास हेतु पात्रता होगी।

4.3 कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के अधीन समस्त पात्र सार्वजनिक तथा निजी आवासीय योजनाओं पर पुनर्विकास परियोजना हेतु विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस नीति की कण्डिका 8.6.8 के अनुसार वे सभी आवासीय योजनाएं जिनका कुल भूमि क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से अधिक है तथा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर है, प्रोत्साहन अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुसार (FAR) के लिए पात्रता रखेंगी।

4.4 सार्वजनिक तथा निजी आवास योजनाएं जो कि कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के अधीन पात्र है परन्तु जिसका या तो कुल भूमि क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से कम हो अथवा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम हो अथवा दोनों हो ऐसी योजनाओं को नीति के अनुसार पुनर्विकसित किया जा सकता है। परन्तु ऐसी परियोजनाऐं कण्डिका 8.6.8 के अनुसार अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुसार (FAR) के लिए पात्र नही होगी।

4.5 यह नीति मास्टर प्लान में अथवा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिभाषित धरोहर भवनों/परिक्षेत्र को लागू न होगी।

4.6 इस नीति के अधीन, सार्वजनिक आवास योजना पुनर्विकास के प्रकरण में यदि भूमि पूर्व में भू–स्वामी अधिकार पर हस्तांतरित हो तो पुनर्विकास के बाद सम्पत्ति को भू–स्वामी अधिकार पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। किन्तु, पट्टा आधार पर आवंटित भूमि के लिए विकासकर्ता के पास सम्पत्ति हस्तांतरण के लिए दो विकल्प उपलब्ध होगें यानी पट्टा आधार पर अथवा भू–स्वामी अधिकार आधार पर हस्तांतरण करवा सकेगा।

4.7 सार्वजनिक तथा निजी आवास योजनाओं के पुनर्विकास के अन्तर्गत पुनर्विकसित इकाईयों को सीधे लाभार्थीयों को हस्तांतरित किया जाएगा तथा साझा क्षेत्र, अविभाजित भूमि एवं सुविधाओं और क्षेत्रों को रहवासी कल्याण संघ अथवा निष्पादित पुनर्विकास अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा। रहवासी कल्याण संघ को साझा क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कोई शुल्क नही लगाया जाएगा।

4.8 लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां वर्तमान परियोजना क्षेत्र (परियोजना भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा किया जा सकता है यदि रहवासी कल्याण संघ के सदस्यों की सहमति हो तो) पर ही प्रदान की जाएंगी जहां विद्यमान निवास इकाईयां (dwelling units) अवस्थित हैं। तथापि, कण्डिका 5.2.3 में उल्लेखित किये अनुसार अपवाद भी हो सकता है जिसके अनुसार लाभार्थियों/हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्विकसित इकाईयों को विभिन्न स्थान पर भी आवंटित किया जा सकेगा।

4.9 पुनर्विकसित इकाई को वर्तमान अवस्थिति में ही प्रदान किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात् वर्तमान तल (भूतल को छोड़कर) पर, दिशा, कोना तथा सड़क के सामने की ओर ही, आदि के अनुरूप। यदि कथित शर्त का पालन किया जाना किन्हीं कारणों से संभव न हो तो पुनर्विकसित इकाईयों को आपसी सहमती से अथवा लॉटरी के माध्यम से, प्रभावित लाभार्थियों/हितग्राहियों की पूर्व सहमति प्राप्त किए जाने बाद की ही पुनर्विकास परियोजना को प्रारंभ किया जा सकता है।

4.10 समान्य रूप से, समस्त पुनर्विकास परियोजनाओं में, भूतल को अनिवार्य रुप से पार्किंग तल (parking floor) बनाया जाएगा। अतएव, भूतल पर कोई निवास इकाई प्रस्तावित नहीं की जाएगी। भूतल पर निवास कर रहे लाभार्थियों/हितग्राहियों को प्रथम तल पर स्थानान्तरित किया जाएगा। इसी प्रकार,

इससे ऊपर के तलों के रहवासियों को क्रमशः विद्यमान तल से एक तल ऊपर की ओर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

4.11 इस नीति के अधीन पुनर्विकास हेतु पंक्तिनुमा भवनों (row houses) {जो अलग–थलग (detached) हों या अर्द्ध अलग–थलग (semi-detached) हों} जो कि आवास योजना का हिस्सा है का पुनर्विकास किया जा सकेगा यदि पंक्तिनुमा भवनों के स्वामियों की सहमति हो तो।

5. पुनर्विकास मॉडल (Redevelopment Model)

5.1 आवासीय योजनाओं के पुनर्विकास हेतु चार विभिन्न मॉडल निम्नानुसार है :

एक. सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास हेतु क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जन–निजी भागीदारी पद्धति (PPP Mode) के आधार पर ;

दो. सार्वजनिक आवासीय योजना का पुनर्विकास क्रियान्वयन अभिकरण के द्वारा जो विकासकर्ता के रूप में क्रियान्वयन कर रहा हो; तथा

तीन. निजी आवासीय योजना हेतु रहवासी कल्याण संघ द्वारा स्व–पुनर्विकास (self-redevelopment)।

5.2 आवास योजना पुनर्विकास के घटकः

5.2.1 पुनर्विकास में निम्नलिखित दो घटक हो सकते हैं:

एक.– विद्यमान आवास योजना की आवासीय इकाइयों का पुनर्विकास, अर्थात पुनर्विकास इकाइयां।

दो– प्रतिपूरक घटक (Compensatory Component - CC)

5.2.2 उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त परियोजना में पुनर्विकास परियोजना के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा।

5.2.3 नीति के अधीन ऐसे प्रकरणों में जहां पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक आवास योजना के लिए प्रतिपूरक घटक (CC) वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) प्राप्ति हेतु पर्याप्त न हों, वहां निम्न उपाय अपनाए जा सकेंगे :

एक. प्रतिपूरक घटक (CC) के भूमि उपयोग को वाणिज्यिक (कामर्शियल) उपयोग में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा लाभाथियों/हितग्राहियों को अन्य चिन्हांकित भूमि संवेष्टन (पार्सल) पर पुनर्विकसित इकाईयां प्रदान की जा सकेगी यदि उसी स्थान पर बनने वाली पुनर्विकसित इकाईयों में समाविष्ट नही किया जा सकेगा तो, ऐसे मामलों में पुनर्विकास हेतु लाभार्थियों/हितग्राहियों से परियोजना स्थल से स्थानांतरित होने के लिए सहमति प्राप्त करना तथा साधिकार समिति (Empowered Committee) से भू–उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। साधिकार समिति से भू–उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन के पश्चात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 के प्रासंगिक अनुभाग के अनुसार भू–उपयोग उपान्तरण कराया जाना आवश्यक होगा।

दो. अथवा, लाभार्थियों/हितग्राहियों के द्वारा अंशदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए । ऐसा केवल लाभार्थियों/हितग्राहियों की सहमति प्राप्त करने तथा साधिकार समिति के अनुमोदन पश्चात् किया जा सकेगा।

5.3 विद्यमान सार्वजनिक आवासीय योजना का पुनर्विकास (Redevelopment of existing Public Housing Scheme)

5.3.1 सभी लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां का आवंटन किया जाएगा।

5.3.2 आवासीय श्रेणी हेतु हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित पुनर्विकसित इकाईयों का क्षेत्रफल कम से कम विद्यमान फर्श क्षेत्रफल अथवा निर्मित क्षेत्रफल के बराबर रखा जाएगा।

5.3.3 गैर आवासीय श्रेणी हेतु (वाणिज्यिक श्रेणी को सम्मिलित करते हुए) हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित पुनर्विकसित इकाईयों का क्षेत्रफल कम से कम विद्यमान फर्श क्षेत्रफल अथवा निर्मित क्षेत्रफल के बराबर रखा जाएगा।

5.3.4 इस नीति के अधीन पुनर्विकसित इकाईयों हेतु अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि परियोजना का स्थान अच्छा एवं पुनर्विकास परियोजना व्यवहार्य है। पुनर्विकसित इकाईयों हेतु अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल की मात्रा को परियोजना के स्पेसिफिकेशन (Project specifications), वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) एवं रहवासी कल्याण संघ और विकासक की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

5.3.5 कण्डिका 5.2.3 में उल्लेखित प्रकरणों एवं को कण्डिका 8.6.3 में उल्लेखित घटक को छोड़कर, पुनर्विकसित इकाईयों को लाभार्थियों/हितग्राहियों को बिना किसी वित्तीय देयता (Financial liability) के हस्तान्तरित किया जाएगा।

5.4 प्रतिपूरक घटक (Compensatory Component)

5.4.1 प्रतिपूरक घटक दो प्रकार के हो सकते हैं:

एक. आवासीय या वाणिज्यिक इकाईयों के रूप में ; और/या

दो. भूमि संवेष्टन (land parcel) के रूप में।

5.4.2 विद्यमान आवासीय इकाईयों के पुनर्विकास पश्चात् अवशेष तल क्षेत्र अनुपात (Balance FAR) को विकासकर्ता द्वारा प्रतिपूरक घटक (CC) के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रतिपूरक घटक का उपयोग पुनर्विकास परियोजना के समस्त घटकों हेतु निधि (funds) के सृजन के लिये किया जाएगा।

5.4.3 यदि इस नीति के अधीन उल्लेख न किया गया हो तो प्रतिपूरक घटक को प्रयोज्य विकास नियन्त्रण विनियमों के अधीन अनुज्ञेय किये गये अनुसार विकसित किया जाएगा।

5.4.4 प्रतिपूरक घटक (CC) की बिक्री हेतु विकासकर्ता उत्तरदायी होगा।

5.4.5 यदि मूल पट्टा शर्त में स्वीकार्य हो तो विकासकर्ता प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक घटकों को उप–पट्टे (sub lease) या उप–भाड़े (Sub let) पर आवंटित कर सकेगा, यद्यपि, यदि इन्हें विकासकर्ता को हस्तान्तरित न किया जाए तो भूमि स्वामित्व के अधिकार

मूल पट्टाधारी (lessee) द्वारा धारित रखे जाएंगे। तथापि, यदि भूमि को विकासकर्ता को भू–स्वामी अधिकारी या पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) आधार पर हस्तान्तरित किया जाए तो विकासकर्ता प्रयोज्य विनियमों के अध्यधीन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिपूरक घटक का उपयोग करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

5.4.6 यदि प्रतिपूरक घटकों (CC) को क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित किया जाए तो वही संस्था स्वयं प्रतिपूरक विक्रय धटकों को निर्मित क्षेत्र (built up area) या भूमि संवेष्टन (पार्सल) के रूप में विक्रय करने हेतु उत्तरदायी होगी।

5.4.7 विकासक (Developer) प्रतिपूरक घटक स्थानांतरित होने के पश्चात प्रतिपूरक घटक के पूरे या उसके हिस्से को बंधक (Mortgage) रख सकता है।

6. प्रक्रिया (Approach)

6.1 किसी भी पुनर्विकास परियोजना के क्रियान्वयन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

एक. रहवासी कल्याण संघ (RWA) या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा पुनर्विकास परि़ोजना को चिन्हांकित करना।

दो. पुनर्विकास परियोजना शुरू करने के लिए रहवासी कल्याण संघ (RWA) से सहमति प्राप्त करना। यदि रहवासी कल्याण संघ (RWA) का गठन नहीं होता है, तो रहवासी कल्याण संघ (RWA) के गठन की प्रक्रिया शुरू करें।

तीन. यह सुनिश्चित करना कि वह भूमि जिस पर आवासीय योजना का निर्माण किया गया है, समस्त बाधाओं से मुक्त है, भूमि अधिकार पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) या भू–स्वामी अधिकारों (land ownership rights) से युक्त है, रहवासी कल्याण संघ (RWA) के विरूद्ध पट्टा भाड़ा (लीज रेन्ट)/विकास प्रभारों (development charges), आदि का भुगतान लम्बित नहीं है, तथा नगरीय निकाय को अद्यतन देय समस्त करों का भुगतान किया जा चुका है।

चार. निजी आवासीय योजना के प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना को नगरीय निकाय (ULB) या रहवासी कल्याण संघ (RWA) को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

पांच. पुनर्विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु रहवासी कल्याण संघ द्वारा भवन के जीवनकाल /जीण–शीर्ण भवन होने के रूप में इसकी स्थिति के बारे में अनुमति/प्रमाणीकरण नगरीय निकाय से प्राप्त करना।

छः. पुनर्विकास परियोजना हेतु पूर्व–संभाव्यता (pre-fesibility report) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।

सात. पुनर्विकास परियोजना तथा इसके घटकों हेतु लाभार्थियों/हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करना।

आठ. यदि सार्वजनिक प्राधिकरण विकासकर्ता की भूमिका का निर्वहन करे तो जन–निजी भागीदारी विकासकर्ता (PPP developer) या निर्माण अभिकरण (construction agency) की नियुक्ति करना।

नौ. पुनर्विकास परियोजना हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर करना।

दस. लाभार्थियों/हितग्राहियों को पारगमन आवासीय सुविधा (transit accomodation) उपलब्ध कराते हुए उन्हें पुनर्स्थापित करना अथवा क्षेत्र में प्रचलित भाड़ा दरों के बराबर दर पर वित्तीय प्रतिपूर्ति (compensation) प्रदान करना।

ग्यारह. विद्यमान निवास इकाईयों का पुनर्विकास एवं प्रतिपूरक घटक के भाग का हस्तांतरण (यदि भूमि पार्सल के रूप में है)।

बारह. निवास इकाईयों को लाभार्थियों/हितग्राहियों को हस्तान्तरित करना तथा पूर्ण प्रतिपूरक घटक (CC) का हस्तांतरण करना ।

तेरह. प्रतिपूरक घटक को विकसित तथा विक्रय करना।

7. क्रियान्वयन (Implementation)

7.1 क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency) द्वारा जन–निजी भागीदारी पद्धति (PPP Mode) के अनुसार सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा :

7.1.1 सार्वजनिक आवासीय योजना के रहवासी कल्याण संघ (RWA)/लाभार्थियों/हितग्राहियों की पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगी या फिर शासकीय प्राधिकरण (public authority) (जो क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में क्रियान्यन करेगा) पात्र सार्वजनिक आवासीय परियोजना का पुनर्विकास प्रस्तावित कर सकेगा।

7.1.2 उपरोक्तानुसार कण्डिका 5.1 के खण्ड एक/दो में उलेखित किसी भी प्रकरण में रहवासी कल्याण संघ/ पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) को पुनर्विकास परियोजना के लिए अपने समस्त सदस्यों अर्थात् लाभार्थियों/हितग्राहियों के न्यूनतम 51 (सार्वजनिक आवासीय व्यवस्था के प्रकरण में) प्रतिशत सदस्य संख्या का अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) अनुमोदन/सहमति का संकल्प पारित करना होगा । यह सहमति परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक होगी

7.1.3 औपचारिक सहमति प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में क्रियान्वयन करेगा तथा प्रारंभिक परियोजना (PPR) प्रस्ताव तैयार करेगा तथा विकास की पद्धति के बारे में निर्णय लेगा, अर्थात्, क्या क्रियान्वयनअभिकरण जन–निजी भागीदारी पद्धति (PPP Mode) के अनुसार एक निजी विकासकर्ता की नियुक्ति करेगा या फिर स्वयं विकासकर्ता के रूप में कार्य करेगा। ऐसे प्रस्ताव को तत्पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरण के बोर्ड द्वारा या सक्षम

समिति/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

एक. रहवासी कल्याण संघ/पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) की सहमति।

दो. सक्षम प्राधिकरण, जैसे कि नगरीय निकाय इत्यादि से प्राप्त प्रमाण पत्र में संरचना को जीर्ण--शीर्ण घोषित किया जाता है या कार्यान्वयन एजेंसी से घोषणा की जाती है कि योजना के अन्तर्गत भवनों के पुनर्विकास पर विचार करने का प्रस्ताव है क्योंकि विद्यमान योजना दस्तावेजों के साथ 30 वर्ष से अधिक पुरानी है।

तीन. परियोजना स्थल का विवरण, इसकी अवस्थिति, पहुंच मार्ग, विद्यमान भूमि उपयोग, कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार, भूमि कदरें, उपयोग किया गया तल क्षेत्र अनुपात (FAR), प्रयोज्य विनियम के अनुसार उच्चतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात (FAR), भवन की ऊंचाई, तलों (Floors) की संख्या, उपलब्ध पार्किंग व्यवस्था, अन्य वांछित जानकारी।

चार. लाभार्थियों/हितग्राहियों की सूची तथा अनुमोदित फर्श या निर्मित क्षेत्रफल (carpet or built-up area)।

पांच. परियोजना हेतु वांछित वैधानिक अनुमोदनों की सूची।

छः. प्रयोज्य लोक निर्माण विभाग की दरों के संदर्भ में विद्यमान निवास इकाईयों के पुनर्विकास हेतु लागत प्राक्कलन, पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन फर्श या निर्मित क्षेत्रफल (Additional carpet or built-up area) को सम्मिलित करते हुए।

सात. परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु व्यय की जाने वाली राशि का प्राक्कलन।

आठ. आरक्षित मूल्य (Reserve Price), अर्थात् पुनर्विकास परियोजना की लागत, वैधानिक अनुमोदन (statutory approval) व्यय, पारगमन आवासीय व्यय (transit accomodation expense) (अधिकतम तीन वर्षों तक किराया), पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charges) (पुनर्विकास परियोजनालागत के 6 प्रतिशत के बराबर) एवं परामर्श शुल्क (consultancy charges (पुनर्विकास परियोजना लागत के 3 प्रतिशत के बराबर) के योग के बराबर।

नौ. परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) के प्रतिपादन हेतु प्रतिपूरक घटक (CC) हेतु प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल या भूमि क्षेत्रफल।

दस. अन्य कोई जानकारी, जो आवश्यक हो।

7.1.4 यदि निजी विकासकर्ता की नियुक्ति की जानी है तो कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-Economic Feasibility) अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करना चाहिए।

7.1.5 कार्यान्वयन एजेंसी चुनाव आयोग की समीक्षा के लिए अपनी सिफारिश के लिए राज्य स्तरीय परियोजना समिति (SLPC) को प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (PPR) और व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, ईसी के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी आगे बढ़ेगी।

7.1.6 साधिकार समिति (EC) से अनुमोदन पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी निजी विकासकर्ता के चयन हेतु ई–निविदाएं (e-tenders) आमंत्रित करेगा तथा निविदा के अनुमोदन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनायेगा।

7.1.7 निजी विकासकर्ता के चयन हेतु मापदण्ड (bidding criteria) आरक्षण मूल्य (reserve price) जैसा कि इसे कण्डिका 7.1.3, आठ में परिभाषित किया गया है, से अधिक दी गई उच्चतम अधिमूल्य (प्रीमियम) रहेगा।

7.1.8 कंडिका 7.1.5 मे परिभाषित अधिमूल्य (premium) राशि का 50% पुनर्विकसित इकाइयों के रख–रखाव एवं संधारण के लिए कॉर्पस राशि (Corpus amount) के रूप में रहवासी कल्याण संघ (RWA) को हस्तांतरित किया जाएगा और शेष 50% अधिमूल्य (premium) को सरकारी एजेंसी (जिसके पास भूमि का स्वामित्व है।) को हस्तांतरित किया जाएगा।

7.1.9 जन–निजी भागीदारी (PPP) विकासकर्ता के चयन के लिए पात्रता कको मध्यप्रदेश पुनर्धनत्वीकरण नीति, 2022 के मानदंड और उसके बाद संशोधनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा। विकासकर्ता की पात्रता मानदंड को निविदा एवं परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

7.1.10 एकल बोली (single bid), नकारात्मक बोली (negative bidding) या बोली–विहीन (no-bids) जैसे प्रकरणों में (बोली प्रक्रिया के न्यूनतम दो प्रयासों तथा व्यापक प्रचार–प्रसार पर विचार करते हुए) क्रियान्वयन अभिकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ता के रूप में कार्यवाही करने पर विचार कर सकेगा, तथापि, यदि परियोजना को वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं पाया जाता है तो लाभार्थियों/हितग्राहियों को अंशदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकेगा। ऐसा न होने पर क्रियान्वयन अभिकरण के पास कथित पुनर्विकास परियोजना से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

7.1.11 विकासकर्ता के चयन उपरांत रहवासी कल्याण संघ (RWA), क्रियान्वयन अभिकरण तथा विकासकर्ता के मध्य पुनर्विकास अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये जायेगें।

7.1.12 विकासकर्ता द्वारा पुनर्विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया जायेगा।

7.1.13 लाभार्थियों/हितग्राहियों को विस्तृत परियोजना तथा पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation) या भाड़े पर की गई आवासीय व्यवस्था (rentals) से अवगत कराया जाना चाहिए।

7.1.14 कार्यान्वयन अभिकरण के साथ विकासकर्ता द्वारा पुनर्विकास परियोजना से संबंधित समस्त वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किये जायेगें।

7.1.15 यदि पुनर्स्थापना (relocation) किया जाना आवश्यक हो तो समस्त लाभार्थियों/हितग्राहियों को इस हेतु पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation) या सम्मत भाड़ा व्यवस्था (agreed rentals) की पात्रता होगी।

7.1.16 लाभार्थियों/हिग्राहियों की पुनर्स्थापना के पश्चात्, विकासकर्ता को पुनर्विकास परियोजना हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा तथा इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करना होगा।

7.1.17 अनुबंधानुसार, पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य की निश्चित मात्रा के पूर्ण होने पर, विकासकर्ता पुनर्विकास परियोजना के लिए पूर्ण किये गये कार्य के मूल्य के बराबर प्रतिपूरक घटक (CC) के हस्तानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7.1.18 विकासकर्ता प्रतिपूरक घटक (CC) के अधीन विकास तथा इकाईयों के पंजीकरण हेतु अनुरोध भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा। इस हेतु उसे पूर्ण किये गये कार्य की मात्रा घोषित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को औपचारिक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

7.1.19 प्रतिपूरक घटक (CC) के अधीन निर्मित की गई इकाईयों हेतु समापन प्रमाण–पत्र (completion Certificate), लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयो के हस्तानान्तरण करने एवं कार्यान्वयन ऐजेंसी को बोली अधिमूल्य (bid premium) जमा करने के पश्चात् ही अनुमति दी जावेगी।

7.2 क्रियान्वयन अभिकरण जो विकासकर्ता के रूप में कार्य करता हो, द्वारा सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा :

7.2.1 परियोजना को चिन्हांकित करना तथा इस नीति की कण्डिका क्रमांक 7.1.1 तथा 7.1.2 के अनुसार लाभार्थियों/हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करना।

7.2.2 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कण्डिका 7.1.3 में उल्लेखित विवरणों के अनुसार एक प्रारंभिक परियोजना (PPR) प्रस्ताव तैयार करेगी जिसे लोक प्राधिकरण के बोर्ड या सक्षम समिति/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

7.2.3 कार्यान्वयन एजेंसी चुनाव आयोग की समीक्षा के लिए अपनी सिफारिश के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (PPR) को राज्यस्तरीय परियोजना समिति (SLPC) को प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, ईसी के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी आगे बढ़ेगी।

7.2.4 साधिकार समिति (EC) उपरांत कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की जा सकती है, तकनीकी सलाहकार के निम्नलिखित कार्य शामिल है :

एक. इसके विस्तार क्षेत्र में स्थल सर्वेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करना, वैधानिक अनुमोदन, रूपांकन, आरेखणों (ड्राईंग) का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन तैयार करना, तथा अन्य संबंधित कार्य सम्मिलित होंगे।

दो. तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति गुणवत्ता सह लागत आधार (QCBS) पर बोली प्रक्रिया के अनुसार ई–निविदा (e-tender)के माध्यम से की जाएगी।

तीन. निविदा प्रलेख (tender document) में कार्य के विस्तृत विस्तार क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा।

चार. तकनीकी परामर्शदाता के प्रमुख विशेषज्ञ निम्नानुसार होने चाहिए : वास्तुकार (architect), नियोजक (planner), सिविल अभियन्ता (Civil Engineer), विद्युत अभियन्ता (electrical Engineer), संरचना अभियन्ता (Structural Engineer), वित्तीय विशेषज्ञ (financial expert), संविदा विशेषज्ञ (contract expert), तथा अन्य कोई वांछित तकनीकी विशेषज्ञ।

पांच. . यदि आवश्यक हो तो क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण कार्य को तकनीकी परामर्शदाता के विस्तार कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा।

छः क्रियान्वयन अभिकरण प्रमुख विशेषज्ञों का अन्तिम आवश्यकतानुसार तथा परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप चयन कर सकेगा।

7.2.5 परियोजना घटकों और परागमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation) अथवा भाड़ा व्यवस्था (rentals) को अन्तिम रूप देने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का लाभार्थियों को सूचित किया जाना चाहिए।

7.2.6 क्रियान्वयन अभिकरण विकासकर्ता के रूप में कार्य करेगा, अतएव वह संबंधित समस्त वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा विद्यमान आवासीय व्यवस्था को पुनर्विकसित करने तथा प्रतिपूरक घटक (CC) को विकसित करने हेतु भी उत्तरदायी होगा।

7.2.7 क्रियान्वयन अभिकरण परियोजना के द्वारा क्रियान्वयन तथा निर्माण अथवा पुनर्विकास कार्य निर्माण अभिकरण (एजेन्सी) को नियुक्त किया जाएगा।

7.2.8 लाभार्थियों/हितग्राहियों की पुनर्स्थापना पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation) के माध्यम से की जाएगी। या फिर इसके लिये उन्हें भाड़े की सुविधा (rentals) उपलब्ध कराई जाएगी।

7.2.9 लाभार्थियों/हितग्राहियों की पुनर्स्थापना के तुरन्त बाद क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा विद्यमान इकाईयों के पुनर्विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

7.3 रहवासी कल्याण संघ के द्वारा निजी आवासीय योजना के स्व–पुनर्विकास हेतु प्रक्रिया

7.3.1 नीति के अधीन, यदि परियोज़ना कण्डिका 4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पात्रता रखती हो तो निजी आवासीय योजनाओं को निजी विकासकर्ता या निर्माण अभिकरण की नियुक्ति के माध्यम से स्व–पुनर्विकास (self-redevelopment) हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।

7.3.2 ऐसे समस्त अनुरोधों पर केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा जब रहवासी कल्याण संघ (RWA)/पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) के लाभार्थियों/हितग्राहियों द्वारा अपने सदस्यों अर्थात्, पुनर्विकास परियोजना के लाभार्थियों/हितग्राहियों से न्यूनतम 65 प्रतिशत सदस्य संख्या का अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) अनुमोदन का संकल्प पारित किया जा चुका हो।

7.3.3 ऐसी पुनर्विकास परियोजना हेतु पुनर्विकास अनुबन्ध निजी विकासकर्ता तथा निजी आवासीय योजनाओं के रहवासी कल्याण संघ के मध्य निष्पादित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

7.3.4 ऐसे प्रकरण में पुनर्विकास योजना को विद्यमान आवासीय योजना के स्थल (परियोजना भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा किया जा सकता है यदि रहवासी कल्याण संघ के सदस्यों की सहमति हो

तो) पर ही प्रस्तावित की जावेगी तथा समस्त लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकास परियोजना में पुनर्विकसित इकाईयां आवंटित की जावेगी। रहवासी कल्याण संघ यह निगरानी करने हेतु उत्तरदायी होगा कि विकासकर्ता द्वारा सम्मत निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार ही लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां हस्तांतरित की जाएं।

7.4.5 अन्य समस्त कदमों का अनुसरण नीति के अनुरूप अथवा रहवासी कल्याण संघ (RWA) तथा निजी विकासकर्ता के मध्य पुनर्विकास अनुबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

7.4.6 रहवासी कल्याण संघ (RWA) लाभार्थियों/हितग्राहियों के हितों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा तथा इस बात की भी निगरानी करेगा कि पुनर्विकास योजना का क्रियान्वयन पुनर्विकास अनुबन्ध में सम्मत शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

7.4.7 यदि रहवासी कल्याण संघ आवश्यक समझे तो उसके द्वारा बैंक के माध्यम से वित्त प्रबन्धन (financing) के विकल्प का उपयोग किया जा सकेगा।

8. सामान्य प्रावधान (General Provisions)

8.1 समय–सीमाएं (Timelines)

8.1.1 यह सुझाव दिया जाता है कि क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता या निर्माण अभिकरण की नियुक्ति रहवासी कल्याण संघ (RWA)/रहवासी समिति (सोसायटी) से सहमति प्राप्त करने की तिथि से 12 माह के भीतर निर्धारित की जाए।

8.1.2 लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां उनकी पुनर्स्थापना तिथि (Relocation date) से 36 माह के भीतर हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए।

8.1.3 यदि नियुक्ति दिनांक से 12 माह के भीतर अनुमोदनों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है अथवा पुनर्विकसित इकाईयों के निर्माण हेतु भूमि नहीं सौपी जाती है तो क्रियान्वयन अभिकरण तथा रहवासी कल्याण संघ परस्पर सहमति के पश्चात् निजी प्रबन्धकर्ता (private player) को परियोजना से पृथक होने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

8.2 परागमन आवासीय व्यवस्था (Transit Accomodation)

8.2.1 वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां हस्तान्तरित होने की अवधि तक पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation) उपलब्ध कराई जाएगी।

8.2.2 भाड़ा राशि की प्रतिपूर्ति भी की जा सकती है जो कथित आवासीय योजना में प्रचलित भाड़ा राशि के बराबर होनी चाहिए या फिर जैसा कि इस बारे में रहवासी कल्याण संघ (RWA) तथा विकासकर्ता द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित की जाए। भाड़ा राशियों का भुगतान लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयों के पूर्ण होने तथा पुनर्विकसित इकाईयों की हस्तान्तरण अवधि तक देय होगा।

8.2.3 पारगमन आवासीय व्यवस्था या भाड़ा राशि की लागत को विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

8.2.4 पुनर्स्थापना (relocation) चरणबद्ध ढंग अनुसार किया जा सकता है।

8.2.5 यदि पुनर्विकसित इकाईयों के हस्तान्तरण में विलंब किया जाता हो तो अर्थदण्ड की राशि उत्तरदायी पक्ष पर आरोपित की जाएगी जैसा कि इस बारे में हस्ताक्षरित अनुबन्ध में सम्मत किया गया हो।

8.3 वैधानिक अनुमोदन (Statutory Approvals)

8.3.1 आवासीय योजना की भूमि के स्वामित्व संस्था पुनर्विकास परियोजना के लिए वैद्यानिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिम्मेदार होगा एवं विकासकर्ता प्रतिपूरक घटक के लिए वैद्यानिक अनुमति प्राप्त करने हेतु जिम्मेदर होगा।

8.3.2 समस्त पुनर्विकास परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन अनिवार्य होगा।

8.3.3 समस्त वांछित वैधानिक अनुमोदन लाभार्थियों/हितग्राहियों की पुनर्स्थापना (relocation) से पूर्व प्राप्त किये जाएंगे।

8.3.4 वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु क्रियान्वयन अभिकरण निजी विकासकर्ता को सहायता प्रदान करेगा।

8.3.5 पुनर्विकास परियोजनाओं में दिये जा रहे अतिरिक्त FAR (प्रभावशील लागू FAR से अतिरिक्त) हेतु अतिरिक्त FAR के मूल्य का 7 प्रतिशत पुनर्विकास शूल्क के रूप में लिया जावेगा, जो स्थानीय निकाय को दिया जावेगा। (पुनर्विकास शूल्क = अतिरिक्त FAR X भूखण्ड का क्षेत्रफल X प्रभावशील कलेक्टर गाईड लाइन दर X 7 %)

8.3.6 सरकारी विभाग जैसे नगरीय निकाय (ULBs), नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP), राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर आदि के अन्तर्गत वैधानिक अनुमोदन प्रदान और कराधान (Taxation) हेतु जरूरी प्रावधान इस नीति के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

8.4 संचालन एवं संधारण (Operation and Maintenance-O&M)

8.4.1 पुनर्विकसित इकाईयो के संचालन तथा संधारण की अवधि विकासकर्ता दायरे में होगा जिस पर रहवासी कल्याण संघ द्वारा दायित्व समापन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की तिथि से सहमति व्यक्त की जावेगी। तत्पश्चात् इसे रहवासी कल्याण संघ को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। संचालन एवं संधारण से संबंधित गतिविधियों/क्रियाकलापों को निविदा प्रपत्र तथा अनुबन्ध में परिभाषित किया जाएगा।

8.4.2 पुनर्विकसित इकाईयों का आधिपत्य हस्तान्तरण करते समय समस्त लाभार्थियों/हितग्राहियों पर संधारण राशि प्रभारित की जाएगी।

8.4.3 क्रियान्वयन अभिकरण को प्रस्तुत की गई पुनर्विकसित इकाईयों के बारे में संरचनात्मक स्थायित्व (structual stability) हेतु दोष–दायित्व अवधि (defect liability period) न्यूनतम पांच वर्ष होगी।

8.5 पुनर्विकास अनुबन्ध में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए :

विस्तृत निर्माण विशिष्टियां (Detailed Construction Specifications)

क) परियोजना निर्माण की समय–सीमाएं और पुनर्विकसित इकाईयों को लाभार्थियों/हितग्राहियों हस्तान्तरित करने की तिथि

ख) पुनर्विकास इकाईयों और पुनर्स्थापना योजना (Relocation Plan)f विवरण लाभार्थियों को दिया जाना।

ग) निष्पादन प्रत्याभूति (Performance Guarantee) (बोली मूल्य का न्यूनतम 05 प्रतिशत)

घ) परिसमापन क्षति हेतु प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (Security Deposit for Liquidated damages)

ङ) अर्थदण्डों को मानक निविदा प्रपत्र के अनुसार या इनसे उच्चतर स्तर पर, जैसा कि इनके बारे में सहमति प्राप्त की गई हो, परिभाषित किया जाएगा

8.6 पुनर्विकास परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार करने हेतु किये जाने वाले उपाय

8.6.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल/नगरीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण/नगर एवं ग्राम निवेश विभाग/संबंधित प्राधिकरण द्वारा एकल खिड़की द्रुतगामी अनुमोदन (Single Windows fast track approvals) प्रदान किये जाएंगे।

8.6.2 पुनर्विकास परियोजना एवं प्रतिपूरक घटक हेतु प्रयोज्य एकलबार नगरपालिका तथा राजस्व प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जा सकती है।

8.6.3 पुनर्विकास अनुबंध में उल्लेखित सभी लाभार्थीयों/हितग्राहियों को सम्बन्धित पुनर्विकास इकाई के लिए पंजीकृत कब्जा/स्वत्व प्रमाण पत्र, रू. 1000/– प्रति प्रमाण पत्र की कीमत पर पंजीकृत कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि, पुनर्विकसित इकाई के अतिरिक्त क्षेत्र की रजिस्ट्री एवं प्रतिपूरक घटक पर निर्मित योग्य इकाईयों के लिए स्टाम्प डयूटी राज्य नियमों के अनुसार लागू की जायेगी।

8.6.4 परियोजना में सम्मिलित भूमि यदि लीज होल्ड है तो इस नीति के तहत पुनर्विकास अनुबंध होने के उपरांत कार्यान्वयन अधिकरण इसे लीज होल्ड से रहवासी कल्याण संघ (RWA) के पक्ष में भू–स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने हेतु संबंधित तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकेगें। लीज होल्ड से भू–स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने हेतु निर्धारित शुल्क ऐसे प्रकरणों में देय नहीं होगा। इस संबंध में नजूल निवर्तन निर्देश में आवश्यक संशोधन किये जाये।

8.6.5 पुनर्विकास परियोजनाओं की पुनर्विकसित इकाईयों के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जा सकती है।

8.6.6 पुनर्विकास नीति के तहत ली जा रही परियोजनाओं में विकसकर्ता को मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 10 के तहत एल.आई.जी./ई. डब्लयूएस/आश्रय शुल्क/अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करने तथा नियम 13 के तहत संपत्ति बंधक रखना अथवा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट रहेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में आवश्यक संशोधन किये जाये।

8.6.7 लाभार्थियों को पुनर्विकसित इकाइयों और रहवासी कल्याण संघ को साझा स्थानों के हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

8.6.8 पुनर्विकास नीति के तहत प्रस्तावित पुनर्विकास अनुबंध में विकासकर्ता अथवा कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा विक्रय किये जाने वाली संपत्ति पर भी स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत के स्थान पर 0.25 प्रतिशत होगा। इस संबंध में इंडियन स्टाम्प एक्ट में आवश्यक प्रावधान किये जाये।

8.6.9 एफएआर, ग्राउंड कवरेज और पुनर्विकास परियोजनाओं और प्रतिपूरक घटक के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रस्तावित उपायों को लागू विकास योजनाओं में संशोधित / शामिल किया जाएगा। प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं:

i. पुनर्विकास नीति के तहत ली जा रही परियोजनाओं में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 सारणी 4 एवं सारणी 5 में निर्धारित एफ.ए.आर. से 0.5 अतिरिक्त एफ.ए. आर. देय होगा तथा भू–तल कवरेज 40 प्रतिशत मान्य होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं यथा आवश्यकता विकास योजनाओं में संशोधन किये जाए।

ii. पुनर्विकास परियोजनाओं में सुविधाजनक दुकानों हेतु कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत होगा।

iii. यदि 7.5 प्रतिशत से अधिक या सम्पूर्ण तल क्षेत्र अनुपात (जिसका तात्पर्य भूमि उपयोग को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन से है) की आवश्यकता वाणिज्यिक गतिविधि हेतु प्रतिपादित की जाए, जिसके अनुसार पुनर्विकास कार्य को वित्तीय संभाव्य (financially viable) बनाया जा सके, वहां क्रियान्वयन अभिकरण को साधिकार समिति की अनुमति प्राप्त करने हेतु एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन (feasibility report) प्रस्तुत किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत प्रतिवेशी अधोसंरचना तथा विकास पर प्रस्ताव के बारे में व्यावहारिक संभावनाओं तथा लाभार्थियों/हितग्राहियों के कथित भूमि संवेष्टन (पार्सल) को पुनर्स्थापित करने हेतु सहमति को सम्मिलित किया जाएगा। साधिकार समिति से भू–उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन के पश्चात् म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम–1973 के प्रासंगिक अनुभाग के अनुसार भू–उपयोग उपान्तरण करना होगा।

8.7 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें परियोजना की संक्षेपिका (Summary), कुल व्यय तथा प्राप्तियां, समग्र प्रतिलाभ (overall return), परियोजना के पूर्ण करने में लगने वाला समय, प्रतिपूरक विक्रयघटक (CC) की बिक्री, परियोजना के क्रियान्वयन में समक्ष आई समस्याओं, सबक (learnings), आदि, संबंधी पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रतिवेदन को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (SLPC) द्वारा नीति के संशोधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

8.8 विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी का चयन किया जा सकता है। तथापि, इसे क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

8.9 सिविल तथा सामाजिक अधोसंरचना हेतु समस्त आन्तरिक विकास कार्यों पर व्यय को विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

8.10 रुफ–टॉप सौर ऊर्जा व्यवस्था की स्थापना अधिकतम संभाव्य छत क्षेत्रफल में, मय ग्रिड संयोजन के की जानी चाहिए।

8.11 आन्तरिक के साथ–साथ बाह्य उपस्करों (फिक्सचर्स) में LED प्रकाश व्यवस्था का उपयोग अनिवार्य है।

9. **नियोजन मानदण्ड तथा रूपांकन विमर्श (Planning Norms and Design Considerations)**

9.1 तल क्षेत्र अनुपात (FAR) कुल भूखण्ड क्षेत्रफल (total plot area) पर लागू होगा।

9.2 दो या उससे अधिक निकटवर्ती एवं जुड़ी हुई, आवास योजनाओं को साथ जोड़कर एक पुनर्विकास परियोजना माना जा सकता है, अगर सभी आवास योजना इस नीति की कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के अनुसार पुनर्विकास के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु सभी आवास योजनाओं की रहवासी कल्याण संघ की सहमति अनिवार्य होगी।

9.3 पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित विद्यमान आवासीय योजना में विद्यमान सड़क खुले क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं की पुनः योजना बनाई जा सकती है, परन्तु प्रमुख सार्वजनिक समन्वय सड़कों को बनाया रखना।

9.4 यदि इस नीति में परिभाषित न किया गया हो तो विकास प्रतिपूरक घटक (CC) का निष्पादन राज्य सरकार के प्रचलित नियोजन मानदण्डों और/या भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार किया जाएगा। 9.5 पुनर्विकास परियोजना हेतु बाधा मुक्त (barrier free) तथा बच्चों के अनुकूल (children friendly) रूपांकन को सम्मिलित किया जाएगा।

9.6 परियोजना के अन्तर्गत भवन के रूपांकन में निःशक्तजनों के आवागमन की आवश्यकताओं हेतु उचित प्रावधान किया जाएगा, जैसे कि ढलान (रैम्प), रेलिंग (हैंडरेल्स), निःशक्तजनों हेतु पार्किंग व्यवस्था, आदि।

9.7 अग्नि सुरक्षा प्रावधान प्रयोज्य नियमों के अनुसार किये जाएंगे।

9.8 अग्नि तथा लिफ्ट अंकेक्षण नियमित रूप से निष्पादित किये जाएंगे।

10. **लाभार्थी/हितग्राही तथा आवंटन (Beneficiaries and Allotment)**

10.1 लाभार्थियों/हितग्राहियों को कण्डिका 3.5 में परिभाषित किया गया है।

10.2 आधिपत्य (possesion) प्राप्त करते समय लाभार्थियों/हितग्राहियों के विरूद्ध क्रियान्वयन अभिकरण को देय बकाया राशियों का भुगतान लम्बित नहीं होना चाहिए।

10.3 सार्वजनिक आवासीय योजना के प्रकरण में, पुनर्विकसित इकाईयों का आवंटन क्रियान्वयन अभिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन आवंटन हेतु उनके द्वारा अनुसरण किये जा रहे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार या जैसा कि पुनर्विकास अनुबन्ध में सम्मत किया गया हो, किया जाएगा।

11. **रहवासी कल्याण संघ की भूमिका (Role of Resident Welfare Association)**

11.1 अपने सदस्यों की सहमति के माध्यम से पुनर्विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करना।

11.2 प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report) तैयार करने हेतु रहवासी कल्याण संघ (RWA) परियोजना प्रबन्धन परामर्शी (Project Management Consultant-PMC) की नियुक्ति कर सकता है। रहवासी कल्याण संघ संभाव्यता प्रतिवेदन क्रियान्वयन अभिकरण को त्वरित संदर्भ हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

11.3 पुनर्विकास के किसी विषय पर निर्णय हेतु किसी रहवासी कल्याण संघ के सदस्य की सहमति आयोजित बैठक उसकी भौतिक या ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। रहवासी कल्याण संघ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त सदस्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली जाए भले वह किसी प्रस्ताव के पक्ष में हो या उसके विरोध में।

11.4 पुनर्निर्माण परियोजना हेतु रहवासी कल्याण संघ की निर्णायक (decision making) बैठकों में रहवासी कल्याण संघ के समस्त सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। ऐसी समस्त बैठकों की कार्यवाही विवरण का अभिलेखन किया जाना चाहिए।

11.5 रहवासी कल्याण संघ द्वारा पुनर्विकास परियोजना के बारे में अपने समस्त सदस्यों को नियमित रूप से समस्त विवरण, सूचनाएं, बैठक आयोजन कार्यक्रम, बैठकों का कार्यवाही विवरण तथा परियोजना की प्रगति प्रसारित किया जाना चाहिए।

11.6 रहवासी कल्यण संघ विकासकर्ता अथवा ठेकेदार के चयन हेतु मानक प्रक्रिया तैयार करेगा तथा इसे अपने सदस्यों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

11.7 रहवासी कल्याण संघ संरचित मानक चयन प्रक्रिया के अनुसार विकासकर्ता/ठेकेदार की नियुक्ति करेगा। रहवासी कल्याण संघ द्वारा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

11.8 रहवासी कल्याण संघ सम्पूर्ण परियोजना क्रियान्वयन अवधि के दौरान किसी भी समय क्रियान्वयन अभिकरण को किसी भी समस्या के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा या सुझाव या अपनी चिन्ता से अवगत करा सकेगा।

11.9 रहवासी कल्याण संघ क्रियान्वयन अभिकरण या निजी विकासकर्ता को अपने सदस्यों के साथ परामर्श सत्र आयोजित करने हेतु अपना समर्थन प्रदान करेगा।

11.10 रहवासी कल्याण संघ विद्यमान परियोजना के बारे में समस्त वांछित प्रलेखन (documentation) उपलब्ध करायेगा।

11.11 रहवासी कल्याण संघ क्रियान्वयन अभिकरण/जन–निजी भागीदारी विकासकर्ता/निजी विकासकर्ता को स्वयं के स्वामित्व के अधीन भूमि में से इकाईयों या भूमि के विक्रय हेतु अपनी सहमति प्रदान करेगा।

12. **अन्य दिशा–निर्देश**

12.1 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा पुनर्विकास योजना का परियोजना अनुश्रवण (Project Monitoring) किया जाएगा तथा इसकी अद्यतन जानकारी रहवासी कल्याण संघ को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

12.2 यदि पुनर्विकास परियोजना में रहवासी कल्याण संघ अस्तित्व में न हो तो इसका अनिवार्य रूप से गठन किया जाएगा तथा पुनर्विकास परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व इसका पंजीयन कराया जाएगा।

12.3 प्रथम बैठक . जिसके अन्तर्गत पुनर्विकास के बारे में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है हेतु आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। आडियो–वीडियो रिकार्डिंग एवं दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरीय निकाय को दिया जाना अनिवार्य है।

12.4 इस नीति के अधीन मरम्मत कार्य (Repair work) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

12.5 नवीन रहवासी कल्याण संघ का पंजीयन मध्यप्रदेश रहवासी कल्याण संघ नीति 2020 के अनुसार किया जाएगा।

12.6 मध्य प्रदेश शासन की इकाई/उपक्रम द्वारा पुनर्विकास नीति के तहत ली जाने वाली परियोजनाओं के प्रकरण साधिकार समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें।

12.7 इस नीति के तहत मध्य प्रदेश शासन की इकाई/उपक्रम, निजी परियोजनाओं के पुनर्विकास की योजनाओं पर कार्य नहीं कर सकेगें।

13. संस्थागत ढांचा (Institutional Framework)

13.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर समन्वयन (नोडल) विभाग होगा।

13.2 साधिकार समिति (Empowered Committee-EC)

13.2.1 मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन साधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में निम्नानुसार अधिकारी सदस्य होंगे :–

1	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, राजस्व विभाग	सदस्य
2	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	संयोजक सचिव
7	प्रमुख सचिव, मप्र शासन, सहकारिता विभाग	सदस्य
8	महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)	सदस्य
9	क्रियान्वयन अभिकरण का प्रमुख	सदस्य

13.2.2 साधिकार समिति क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोध को अनुमोदित या निरस्त करेगी।

13.3 **राज्य स्तरीय परियोजना समिति (State Level Project Committee)**

13.3.1 राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस नीति के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन के बारे में दिशा–निर्देश जारी करने या नीति के स्पष्टीकरण हेतु किया जाएगा। समिति में निम्नानुसार अधिकारी सदस्य होंगे :

1	आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
2	क्रियान्वयन अभिकरण के अधीक्षण यन्त्री या समकक्ष स्तर से अनिम्न अधिकारी	संयोजक सदस्य
3	संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग	सदस्य
4	संबंधित जिला कलेक्टर	सदस्य
5	नगरीय निकाय के संबद्ध आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय विकास प्राधिकरण	सदस्य
6	कार्यपालन संचालक, एफ्को	सदस्य
7	सहकारी पंजीयन समिति के पंजीयक	सदस्य

13.3.2 राज्य स्तरीय परियोजना समिति दिशा–निर्देश जारी कर सकेगीया क्रियान्वयन अभिकरण को अभिकरण के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दे सकेगी।

13.3.3 भू–उपयोग उपान्तरण तथा नीति से अतिरिक्त कोई विचलन वांछित हो तो क्रियान्वयन अभिकरण इस हेतु राज्य स्तरीय परियोजना समिति को अनुरोध (सिर्फ सार्वजनिक आवास योजना हेतु) कर सकेगा। यदि अनुरोध आवश्यक पाया जाता हो तो राज्य स्तरीय परियोजना समिति पुनर्विकास परियोजना को साधिकार समिति के समक्ष उसके निर्णय हेतु अग्रेषित कर सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र.–एफ–23–04–2021–अठारह–6:– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, "मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति–2022" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

1. Introduction

Housing is fundamental to citizens' welfare. Improvement in housing condition results in the development of household holistically. Ageing and dilapidation of housing is a common and natural phenomenon that can be found in most of the old building structures. Residents' quality of life in such old and dilapidated schemes deteriorates due to dangerous and unhealthy living conditions. Madhya Pradesh state government has recognised that many such dilapidated public and private housing schemes are present in state, which are beyond repair and require immediate attention. In such cases, where repair is not a viable option, existing units can be redeveloped. But the process will include large investment and a lot of coordination is required between involved residents, construction agency and public agencies. Therefore, to overcome these challenges and provide a better quality of living to citizens, the Government of Madhya Pradesh (GoMP) intends to launch the *Madhya Pradesh Housing Redevelopment Policy, 2022.*

Housing Redevelopment refers to the process of reconstruction of building premises by the demolition of existing structure and construction of the new building as per applicable development regulations. Redevelopment is a solution to address the deteriorating and dangerous living conditions, the grim reality of many old housing societies. The redevelopment will lead to optimal densities in the developed areas of the city along with the use of existing infrastructure to its maximum potential. It will aid in limiting the urban sprawl and reduce the demand for extension/laying of new infrastructure.

Under the *Madhya Pradesh Housing Redevelopment Policy, 2022,* housing schemes/projects can be undertaken for redevelopment by the competent authority, including Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB), Urban Local Bodies (ULBs), Urban Development Authorities (UDAs), or Private developers etc. of the Madhya Pradesh State following the Policy as laid down, hereunder.

2. Objectives

2.1. Urban Development & Housing Department (UDHD), GoMP proposes to undertake the redevelopment of public and privatehousing schemes in the urban areas of the state **under Public-Private Partnership (PPP) mode or by Public Authorities or by Private developer** to achieve the following objectives:

a) to redevelop and upgrade the existing housing stock;

b) to improve quality of living of existing residents and also the new residents by providing structurally safe buildings &better surroundings and create additional affordable housing stock wherever possible; and

c) to utilize available land and infrastructure in an optimal manner.

2.2. Policy intends to promote private investment to attain the aforesaid objectives with nominal or no cost to the government.

3. Definitions

3.1. **Additional carpet or built-up area** means the extra carpet or built-up area offered to the beneficiaries over and above the existing approved carpet or built-up area.

3.2. **Affordable Housing** is defined by the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, Government of India through the Gazette Notification Number 84, dated April 5, 2017, as a housing scheme using at least 50 per cent of the Floor Area

Ratio (FAR)/ Floor Space Index (FSI) for dwelling units with a carpet area of not more than 60 square meters. Under this policy, same definition or updated time to time as defined by DEA shall be considered.

3.3. **Approved Carpet or built upareameans** an area as per the lease deed/ registration document or any statutory document.

3.4. **Beneficiaries** means lawful lessee of implementing agency or owner of the existing dwelling units. However, existing inhabitants residing on a rental basis or in an unauthorised manner shall not be considered as beneficiaries.

3.5. **Compensatory component (CC)** means the area in form of built-up or land which is to be utilised for funding the redevelopment project (refer to section 5.2.2. of this policy).

3.6. **Construction Agency** means the agency selected for the construction work for redevelopment project.

3.7. **Developer** means the entity responsible for construction and development works for all components of the proposed redevelopment project. Developer can be a private entity or public authority for any project.

3.8. **Dilapidated** means such condition of buildings which are hazardous for use as it shows signs of decay or breaking down and require major repairs which are far from being in a condition that can be restored or repaired. Hence, declared dilapidated by the concerned ULB.

3.9. **Housing Schememeansa** housingschemeapproved by T&CP or ULB or both or developed by Government agencies with a number of dwelling units on multiple floors on an undivided plot of land, built compositely and integrally where land and building (excluding individual units) are held jointly, building and services are maintainedjointlyand construction is undertaken as one composite unit.

3.10. **Implementing Agency**means Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB)/ Urban Local Bodies (ULBs) / Urban Development Authority (UDA) / any other competent authority that possess land ownership rights or lease ownership of the land for a public housing scheme. Under this policy, implementing agency shall always be referred to a Government agency.

3.11. **Premium** meansthe financial amount quoted by the PPP developer in response to the bid invited for the redevelopment project by the implementing agency.

3.12. **Private housing scheme** means a housing scheme developed by any private agency, where land ownership rights or lease ownership of land is not with public authority. Such housing schemes can be considered under the policy, subject to the existence of a Resident Welfare Association (RWA) in the said housing scheme.

3.13. **Public housing scheme** means a housing scheme developed by any public agency for the public at large, where land ownership rights or lease ownership of land continues to remain with the public authority subject to conditions laid down in the scheme.

3.14. **Redeveloped Units** means the residential and commercial units proposed or constructed in compensation of existing units for the beneficiaries of the redevelopment project.

3.15. **Redevelopment** means the process to reconstruct the built structure & infrastructure.

3.16. **Redevelopment Agreement** means the development agreement executed between the Resident Welfare Association (RWA), implementing agency and developer for a redevelopment project. In case implementing agency is engaged as a developer then the contractor shall be the third party in the said agreement.

3.17. **Redevelopment project** means the project which include construction of redeveloped units along with site and infrastructure development for redeveloped units.

3.18. **Reserve Price** means the total amount calculated for redevelopment project including construction cost for redeveloped units (including additional area, if applicable) & land development, supervision charges, relocation expense, consultant fee, statutory approval, GST, etc.

3.19. **Resident Welfare Association (RWA)** means an association as per the clause 2 (g) of Madhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Rules 2019 or amendments thereafter.

3.20. **Technical Consultant**is the consultant appointed by implementing agency as per the scope defined in section 7.2.3. to define, prepare, conduct bid process management and supervise the redevelopment project.

4. Eligibility for the redevelopment project

4.1. Any Public and Private housing schemes/ projects situated in the planning areas declared under Section 13 of the 'Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973' and as defined in section 3.10 of the policy.Redevelopment of a mix of residential& non-residential schemes is also permissible.

4.2. Public andPrivate housing schemes which are older than 30 years (from the year of completion of the project) or declared dilapidated by the competent authority (age of a dilapidated building can be less than 30 years) and have a registered Resident Welfare Association (RWA) shall be eligible for redevelopment.under this policy.

4.3. All Public and Private Housing Schemes eligible under section 4.1 and 4.2 can be considered for redevelopment project. Further, housing schemes having cumulative land area of more than 2500 sqm and access road minimum of 12 meters wide shall be eligible for additional FAR as mentioned in section 8.6.8 of this policy.

4.4. Public and Private Housing Schemeswhich are eligible under section 4.1 and 4.2 but either have cumulative land area less than 2500 sqm or access road less than 12 meters or both, can be redeveloped as per the policy but shall not be eligible for additional FAR mentioned in section 8.6.8 of this policy.

4.5. This policy will not apply to heritage buildings/ zone as defined in the master plan or by a competent authority like National Monument Authority (NMA), Archaeological Survey of India (ASI) or any other.

4.6. Under this policy, in the case of redevelopment of public housing scheme, land on ownership title basis (भू-स्वामीअधिकार) shall be transferred on the same. However, forland on lease basis the developer shall have the option to transfer the property on

lease basis or developer may get property converted to ownership title basis (भू-स्वामी अधिकार) on behalf of RWA.

4.7. Redeveloped units to be transferred to beneficiaries directly and shared space, undivided land and amenities and area shall be transferred to the Resident Welfare Association (RWA) of the public or private housing scheme or as per the redevelopment agreement executed for the redevelopment project.No charges or duty shall be levied by any government department for transfer of shared spaces to RWA.

4.8. Beneficiaries shall be given the redeveloped units at the same project site (project land area can increase or decrease, if consent given by RWA members) where existing dwelling unitsare present. However, there can be exception as mentioned in section 5.2.3, where redeveloped units may be provided at different location after receiving the consent from the beneficiaries.

4.9. Redeveloped unit shall be preferably allotted at the same location, i.e., floor (except ground floor), direction, corner and road facing etc. in case, the said condition is not applicable for any reason, the allotment of redeveloped units shall be done either through mutual consent of all the members of the RWA or through lottery system, whichever is agreed upon by all the members of RWA, however such decisions are to be taken before initiation of project.

4.10. In general, in all redevelopment projects, ground floor shall be mandatorily made parking floor. So, no dwelling unit shall be proposed on the ground floor. Beneficiaries residing at ground floor should be shifted on the first floor. Similarly, redeveloped units on the upper floors shall alsobe shifted to subsequentupper floors above the existing floor.

4.11. Row houses (detached or semi-detached) which are a part of Housing Scheme can be considered for redevelopment, if the row house owners consent to do so.

5. Redevelopment Model

5.1. Three different models for the redevelopment of housing schemes are as follows:

i. Redevelopment of public housing scheme by Implementing Agency on PPP mode;

ii. Redevelopment of public housing scheme by Implementing Agency acting as developer; and

iii. Self-redevelopment of private housing scheme by RWA.

5.2. Components of a housing scheme redevelopment.

5.2.1. Redevelopment may have the following two components:

i. Redevelopment of dwelling units of existinghousing scheme, i.e., redeveloped units.

ii. Compensatory component (CC)

5.2.2. Additional to above components, project will include land and infrastructure development for the redevelopment project.

5.2.3. Under the policy, in cases where CC is not enough for achieving the financial viability for the redevelopment ofpublic housing scheme, the following measures may be opted:

i. Land use of the CC may be converted to commercial use and beneficiaries shall be provided with the redeveloped units on other identified land parcel, if redeveloped units cannot be provided at the existing site. Redevelopment for such cases shall be subject to consent of beneficiaries to shift from existing project siteand approval from theEmpowered Committee for land use change.On approval from Empowered Committee, permission for change in land use shall be undertaken as per the relevant sections of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 and amendments thereafter.

ii. Or the beneficiaries may be requested to contribute funds on their own. This can be done only after getting consent from the beneficiaries and approval from the Empowered Committee.

5.3. Redevelopment of existing housing scheme

5.3.1. Redeveloped units shall be allotted to all the existing beneficiaries.

5.3.2. For residential category, minimum existing approved carpet area or built-up area of the dwelling unit shall be offered to the beneficiaries for redeveloped units.

5.3.3. For any non-residential category (including commercial), minimum existing approved carpet area or built-up area of the dwelling unit shall be offered to the beneficiaries for redeveloped units.

5.3.4. Under the policy, additional built-up areas may be proposed for redeveloped units, if project location is good and redevelopment project is viable. The quantum of additional built-up area for redeveloped units shall be finalised depending upon the project specifications, financial feasibility of the project and mutual consent between the RWA and the developer.

5.3.5. Redeveloped units shall be handed over to the beneficiaries without any financial liability, except cases mentioned in section 5.2.3. and component mentioned in section 8.6.3.

5.4. Compensatory component (CC)

5.4.1. Compensatory component can be of two types:

i. In the form of residential or commercial built-up area; or/and,

ii. In the form of land parcel.

5.4.2. Balance FAR remaining after redeveloping the existing housing units shall be developed by the developer as Compensatory component (CC).

5.4.3. CC shall be developed as permitted under applicable development control regulations, if not mentioned under this policy.

5.4.4. Developer shall be responsible for selling the CC.

5.4.5. If the original lease condition allows, then the developer may sublease or sublet CCs as per applicable statutory provisions, although the ownership right of the land shall remain with the original lessee, if not transferred to the developer. However, in case the land is transferred to developer on land ownership rights or freehold basis, then the developer is free to utilise the CC as per the requirements, subject to applicable regulations.

5.4.6. In case CC is in form of land, then transfer of CC can be done as one parcel or multiple smaller parcels to the developer.

5.4.7. Developercan mortgagethe whole or part of CC (Compensatory component) once it is transferred to the developer.

6. Approach

6.1. Approach to implement any redevelopment project shall include the following steps:

i. Identification of the redevelopment projectby RWA or public agency.

ii. Getting consent from RWA for initiation of redevelopment project. If RWA is not formed, initiate process to constitute RWA.

iii. It is to be ensured that the land on which the Housing scheme is constructed is free of allencumbrances, land rights are free hold or land ownership rights, no lease rent/development charges etc. pending against the RWA, all the taxes or feecharged by theULB are paid up to date.

iv. In case of private housing scheme, it is to be ensured that the scheme has been handed over to the ULBor RWAby the developer.

v. Permission/certification from ULB regarding age of the building/its status as dilapidated buildingto be obtained by the RWAfor initiating redevelopment process.

vi. Preparation of pre-feasibility and detailed project report for the redevelopment project.

vii. Getting consent from the beneficiaries for redevelopment project and it's components.

viii. Appointment of PPP developer or construction agency, if implementing agency is acting as developer.

ix. Signing of tripartite agreement for redevelopment project.

x. Relocation of beneficiaries by offering them transit accommodation or financial compensationequivalent toprevailing rentals in the area.

xi. Redevelopment of existing dwelling unitsand transfer of part CC (if in form of land parcel).

xii. Handing over of dwelling units to beneficiaries and transfer of complete CC.

xiii. Development and sale of CC

7. Implementation

7.1. Process for the redevelopment of public housing scheme by implementing agency on PPP mode may be initiated by:

7.1.1. Either RWA of beneficiaries of the public housing scheme shall apply to the concerned public authority (which will act as implementing agency) or the concerned implementing agency can propose redevelopment of the eligible public housing scheme.

7.1.2. In any of the case above mentioned in section 5.1.i/ii, RWA shall pass a resolution with irrevocable approval/ consent from a minimum of 51 percent (in case of public housing) of its members, i.e., beneficiaries for the redevelopment project.This consent shall be required forinitiating the project.

7.1.3. After receiving the formal consent, the concerned public authority will act as implementing agency and shall prepare the Preliminary Project Report (PPR) and decide upon the mode of development, i.e., whether implementing agency will appoint a private developer on PPP mode or act as a developer. Such proposal should then be approved by implementing agency's Board or competent Committee/ Authority. ThePPR shall include the following:

i. Consent from the RWA members.

ii. Certificate from the competent authority, e.g., Urban Local Body, etc., in case of structure, is declared dilapidated or declaration from implementing agency that the schemes/ buildings in the scheme are proposed to be considered for redevelopmentas scheme is older than 30 years along with documentation.

iii. Detail of project site, including location, access road, existing land use, collector guideline land rates, consumed FAR, maximum permissible FAR as per applicable regulation, building height, number of floors, available parking, any other information required.

iv. List of beneficiaries and approved carpet or built-up area.

v. List of statutory approvals required for the project.

vi. Cost estimates for the redevelopment of existing dwelling units with reference to the applicable PWD rates including the additional carpet or built-up area proposed for redevelopment.

vii. Estimate for the expense to be incurred towards implementation of redevelopment project works.

viii. Reserve price that is equivalent to the sum of the cost of the redevelopment project, statutory approval expense, transit accommodation expense (rental maximum upto three years), supervision charges (equivalent to 6 per cent of redevelopment project cost) and consultancy fee (equivalent to 3 per cent of redevelopment project cost).

ix. Proposed built-up area or land area for CC to make the project financially viable.

x. Any other information required.

7.1.4. In case private developer is to be appointed then implementing agency should appoint a consultant to conduct Techno-Economic Feasibility studyfor theproject.

7.1.5. Implementing agency shall present the PPR andfeasibility study to SLPC for its recommendation to EC'sreview. Further, as per EC's approvalimplementing agency shall move forward.

7.1.6. After approval from EC,implementing agency will invite e-tenders for the selection of private developer and adopt a transparent process for the award of the tender.

7.1.7. Bidding criteria for the selection of private developer by the implementing agency shall be maximum premium quotedby the bidder over and above the reserve price, as defined in section 7.1.3.viii.

7.1.8. 50% of the premium amount as defined in section 7.1.5, shall be transferred to RWA as a corpus amount for maintenance of redeveloped units and balance 50% of the premium shall be transferred to the Government agency who owns the land.

7.1.9. Eligibility criteria for selection the PPP developer shall be defined as per the MP Re-densification Policy 2022 and amendments thereafter.Eligibility criteria can be modified as per the tender and project requirements.

7.1.10. In case of single bid, negative bidding or no-bids (considering at least 2 attempts of bidding and wider publication), the implementing agency may propose to act as a developer for implementation of the project. However, if the project is not found financially viable, the beneficiaries may be requested for financialcontribution. Moreover, if the project is still not viable then implementing agency shall have the right to opt-out of the said redevelopment project.

7.1.11. After selection of private developer, Redevelopment agreement shall be signed between the RWA, implementing agency and developer.

7.1.12. Preparation of DPR for redevelopment project by developer.

7.1.13. Beneficiaries should be appraised about the DPR and transit accommodation or rentals.

7.1.14. Implementing agency along with developer shall obtain all the statutory approvals related to the redevelopment project.

7.1.15. All the beneficiaries shall be eligible for transit accommodation or agreed rentals if required to be relocated.

7.1.16. After the relocation of beneficiaries, the developer miqiiiiust initiate the construction of redevelopment project and complete the same within the stipulated time.

7.1.17. As per the agreement, after completion of certain amount of construction work for the redevelopment project, the developer shall be eligible for transfer ofCC equivalent to the value of work completed for redevelopment project.

7.1.18. Developer may request for transfer of land under CC for development and registration of units by submitting a formal written request to implementing agency, declaring quantum of work completed.

7.1.19. Completion certificate for units constructed under CC shall be permissible only after handing over of redeveloped units to beneficiaries and depositing the bid premium to implementing agency.

7.2. Process for the redevelopment of public housing scheme by Implementing agency acting as the developer may be initiated by:

7.2.1. Identification of project and getting consent from the beneficiaries shall be as per Section number 7.1.1 and 7.1.2 of this policy.

7.2.2. Implementing agency to prepare a Preliminary Project Report (PPR) as per the details mentioned in section 7.1.3. and should be approved by the public authority's Board or competent committee/authority.

7.2.3. Implementing agency shall present the PPR to SLPC for its recommendation to EC's review. Further, as per EC's approval implementing agency shall move forward.

7.2.4. After approval from EC, implementing agency may appoint Technical Consultant. Technical consultant's scope of workwill include the following:

i. Its scope shall include site survey, preparation of DPR, preparation of an application for obtaining statutory approvals, design, approval drawings and other related works.

ii. Appointment of technical consultant shall be done through e-tender on Quality cum Cost Basis (QCBS) bidding.

iii. The detailed scope shall be defined in the tender document.

iv. Following key experts should be part of the Technical Consultant: architect, planner, civil engineer, electrical engineer, structural engineer, financial expert, contract expert, and any other required technical expert.

v. If required, implementing agency may include construction supervision in scope of work of technical consultant.

vi. Implementation agency can finalise the key experts as per the requirement and project need.

7.2.5. DPR prepared should be apprised to beneficiaries to finalise the project components and transit accommodation or rentals.

7.2.6. Implementing agency will be acting as developer, therefore, it shall be responsible for taking all the statutory approvals related to the redevelopment of existing housing and CC.

7.2.7. Implementing agency to appoint the construction agency for implementation and construction or redevelopment project.

7.2.8. Beneficiaries shall be relocated to transit accommodation or shall be provided rentals.

7.2.9. Implementing agency shall initiate the construction for the redevelopment of existing units, immediately after the relocation of beneficiaries.

7.3. Process for the Self-redevelopment of private housing scheme by RWA

7.3.1. Under the policy, private housing schemes are allowed for self-redevelopment throughappointment of a private developer or construction agency, if project is eligible as per the conditions mentioned in section 4.

7.3.2. For any redevelopment project to be considered under this policy, RWA members shall have to pass a resolution with irrevocable approval/ consent from a minimum of 65 per cent of its members, i.e., beneficiaries for a redevelopment project.

7.3.3. Private developer and RWA of the private housing schemes shall execute and sign redevelopment agreement for such redevelopment project.

7.3.4. In such case, redevelopment project should be developed at the existing housing scheme site (project land area can increase or decrease, if consent given by RWA members) and all the beneficiaries should be allotted redeveloped units in proposed redevelopment project. RWA shall be responsible to monitor that the beneficiaries are handed over the redeveloped units by the developer as per the agreed terms and conditions.

7.3.5. All other steps shall be followed as per the policy or as per the redevelopment agreement signed between RWA and the private developer.

7.3.6. RWA shall be responsible for safeguarding the interest of beneficiaries and monitor that the redevelopment project is implemented as per the terms agreed in the redevelopment agreement.

7.3.7. Financing through the bank may be opted, if required by RWA.

8. General Provisions

8.1. Timelines

8.1.1. It is suggested that implementing agency shall appoint a private developer or construction agency within a period of 12 months from the date of receiving consent from RWA/resident society.

8.1.2. Redeveloped units should be handed over to beneficiaries within 36 months from the date of relocation of beneficiaries.

8.1.3. Allow private player to withdraw from the project after mutual consent with implementing agency and RWA, in case approvals are not in placeor theland is not handed over for construction of redeveloped units within 12 months from the date of appointment.

8.2. Transit Accommodation

8.2.1. Transit accommodation is to be provided to the beneficiaries after obtaining statutory approvals, till the handing over of redeveloped units.

8.2.2. Rent can also be provided which should be equivalent to the prevailing rental in the said housing scheme or as mutually decided between the RWA and the developer. The rentals shall be payable till the completion and handing over of the redeveloped units to the beneficiaries.

8.2.3. The cost of transit accommodation or rental will be borne by the developer.

8.2.4. Relocation can be done in a phased manner.

8.2.5. If there is delay in handing over of the redeveloped units then penalty shall be levied on a party responsible, as agreed in the signed agreement.

8.3. Statutory Approvals and Taxations

8.3.1. Agency owning the housing scheme land shall be responsible for statutory approvals for redevelopment project.Developer shall be responsible for statutory of CC.

8.3.2. Redevelopment project to be registered with RERA.

8.3.3. All the requisite statutory approvals to be taken up before relocation of the beneficiaries.

8.3.4. Implementing agency will support the private developer in taking the statutory approvals.

8.3.5. Redevelopment cess at the rate of 7% shall be levied on the additional FAR utilised over and above the permissible FAR for the redevelopment project. [Redevelopment Cess = Additional FAR utilised x land area (in mts) x applicable collector guideline rate (Rs/sqmts) x 7%]

8.3.6. Government departments like, ULBs, T&CP, Revenue, Commercial Tax, etc., should make necessary provisions for providingstatutory approval and taxationfor redevelopment projects as per this policy.

8.4. Operation & Maintenance (O & M)

8.4.1. O & M for redeveloped units will be in the scope of the developer for a suitable period, which shall be agreedby the RWA from the day of obtaining the completion certificate. Thereafter, it will be handed over to the RWA. Activities under O & M shall have to be defined in the tender document and agreement.

8.4.2. Maintenance deposits will be charged from all the beneficiaries at the time of handing over the possession.

8.4.3. Defect liability period for structural stability will be for minimum 05 years for redeveloped units offered to implementing agency.

8.5. Redevelopment Agreement should include the following:

a) Detailed construction specifications, project cost along with project construction timelines and date for handing over of redeveloped units to beneficiaries.

b) Details of redeveloped units and relocation plan to be given to beneficiaries.

c) Performance Guarantee (minimum 5% of the bid price).

d) Security deposit for liquidated damage.

e) Penalties shall be defined as per the standard tender documents or higher, as agreed.

8.6. Measures to be taken for improving the feasibility of redevelopment projects

8.6.1. Under this policy, it is proposed that single window fast track approvals will be granted by MPHIDB / ULB / UDA / T&CP / concerned authority.

8.6.2. The project may be exempted from the applicable one time municipal and revenue charges for redevelopment project and CC.

8.6.3. A registered possession certificate to be issued to all beneficiary mentioned in the redevelopment agreement for each redeveloped unit at a nominal price of INR 1000 per certificate. However, stamp duty for registry of additional area for redeveloped

unit and saleable units constructed on CC shall be done as per the applicable state regulations.

8.6.4. Under this policy, if the land used for Redevelopment Project is lease hold land, andthe Development Agreement is signed between the RWA and the Implementing Agency under this Policy, the Implementing Agency/Developer shall apply to the concernedTehsildar for changing the status of Land from Leasehold to Freehold land in the ownership of the RWA.In such conditions no prescribed feeshall be payable for conversion of leasehold land to freehold land. In this regard necessary changes are to be made in Nazul Niwartan Nirdesh.

8.6.5. Stamp duty to be exempted for redeveloped units of redevelopment projects.

8.6.6. For the Projects undertaken under Redevelopment Policy, the Developer shall be exempted from the obligation of construction of EWS units/LIG units/Payment of Shelter Fee and Depositing Bank Guarantee, which are essential under Rule Nos. 10 and 13 of Madhya Pradesh Nagar Palika (Colony Development) Rule, 2021. In this regard necessary changes are to be made in the Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam 2012 and in Development Plans.

8.6.7. No charges or duty shall be levied on transfer of redeveloped units to the beneficiaries and shared spaces to the RWA.

8.6.8. For the Projects undertaken under this Policy,the 5% stamp duty changeable on developer against sale of compensatory components (whether in form of built-up area or plot) shall be charged @0.25%; in this regard necessary provisions are to be made in the Indian Stamp Act.

8.6.9. Measures proposed for FAR, ground coverage and commercial use for redevelopment projects & CC shall be amended / incorporated in the M.P. Bhoomi Vikas Niyam 2012 and applicable Development plans. Following are the proposed measures:

i. For eligible projects as per section 4.1, 4.2 and 4.3 under redevelopment policy, the incentivised FAR shall be allowed as additional 0.50 FAR over and above the permissible FAR as per table 4 & 5 of rule 42 MP Bhoomi Vikas Niyam 2012.

ii. For redevelopment project permissible ground coverage shall be 40% of the plot area.

iii. Up to 7.5 per cent of maximum built-up area shall be permissible as commercial space for convenient shopping.

iv. In case, it is found that, to make a redevelopment project financially viable, it is essential to construct commercial space more than the permissible commercial area i.e., 7.5% of the total built up area, the implementing agency shall have to seek permission from Empowered Committee by submitting a feasibility report containing the practical implications of the proposal on surrounding infrastructure & development and consent of the beneficiaries to relocate from the said land parcel. On approval from Empowered Committee, permission for change in land use shall be undertaken as per the relevant sections of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 and amendments thereafter.

8.7. Implementing agency should prepare a project completion report which shall include the summary of the project, total expenditure and receipts, overall return, timelines, sale of CC, issues faced in implementation, learnings, etc. If found necessary, this report may be used by State Level Project Committee for amending the policy.

8.8. The developer can choose any appropriate construction technology for the project. However, it should be certified by the implementing agency.

8.9. The expenditure on all internal development works for civic and social infrastructure will be borne by the developer.

8.10. Roof Top Solar installation maybe done in maximum viable roof area with grid connection.

8.11. Use of LED lighting in internal as well as external fixtures is mandatory.

9. Planning Norms and design considerations

9.1. FAR shall be applicable on the total plot area.

9.2. Two or more adjoining and contiguous housing schemes can be clubbed together and considered as one redevelopment project, if individual housing schemes are eligible for redevelopment as per the section 4.1 and 4.2 of this policy. Further, consent from the RWA of each individual housing scheme is mandatory to club as one redevelopment project.

9.3. The road network, open area and other amenities in the existing housing scheme proposed for redevelopment may be replanned. However, the major public coordination roads shall have to be maintained.

9.4. Development of CC shall be done as per the prevailing planning norms of the State Government and/or Bhumi Vikas Niyam, 2012, if not defined in this policy.

9.5. Barrier free and children friendly design maybe incorporated for redevelopment project.

9.6. All design provisions shall be made for differently abled persons, like, ramps, handrailsparking for differently abled persons, etc.

9.7. Fire safety provisions shall be made as per the applicable rules.

9.8. Regular fire and lift audits shall be done.

10. Beneficiaries and Allotment

10.1. Beneficiaries shall be as defined in section 3.5.

10.2. Beneficiaries should not have any outstanding dues to the implementing agency at the time of getting possession.

10.3. In the case of public housing scheme, redeveloped units will be allotted under the supervision of implementing agency as per guiding principles followed for allotment by implementing agency or as agreed in the redevelopment agreement.

11. Role of Resident Welfare Association

11.1. RWA shall initiate the process of redevelopment through consent of its members.

11.2. RWA may appoint a Project Management Consultant (PMC) to prepare the feasibility report for the proposed redevelopment project. RWA may submit the same to implementing agency for ready reference.

11.3. Consent of the RWA members shall be taken through physical or online presence in the meeting organised for decision on redevelopment. RWA to make sure that response from all the members is received whether in favour or otherwise.

11.4. All the RWA member shall be present in the decision-making meetings of RWA for redevelopment project.Minutes of all such meetings should be recorded.

11.5. RWA shall regularly disseminate all the details, information, meeting schedules, minutes and project progress regarding the redevelopment project to all its members.

11.6. RWA shall prepare standard procedure for selection of the developer or contractor and present the same to its members for approval.

11.7. RWA shall appoint the developer or contractor as per the standard selection procedure framed. RWA to make sure transparency in complete selection procedure.

11.8. RWA can make representation about any issue or suggestion or concern to the implementing agency anytime during the complete project implementation period.

11.9. RWA shall extend its support to implementing agency or private developer for conducting consultation sessions with its members.

11.10. RWA shall make available all the required documentation for the existing project.

11.11. RWA shall give consent to implementing agency / PPP developer / private developer for sale of units or land from land under its ownership.

12. Other guidelines

12.1. Monitoring of the redevelopment project to be done by the implementing agency and the same shall be updated to RWA regularly.

12.2. In case, RWA does not exist in the redevelopment project, then the same shall be constituted and registered before initiating the redevelopment project.

12.3. Audio video recording shall be done for the first meeting in which decision on redevelopment is to be taken.A copy of audio video recording and documentationis required to be submitted to concerned ULB.

12.4. Repair work shall not be allowed under this policy.

12.5. Registration of new RWA shall be done as per the MP RWA Policy 2020 or MP Prakoshth Niyam 2019.

12.6. MP Government Agencies/Institutions undertaking Projects under Redevelopment Policy shall have to submit the proposals of such Projects to Empowered Committee for seeking their approval.

12.7. MP Government Agencies/Institutions shall not undertake Redevelopment Project of Private Housing Societies.

13. Institutional Framework

13.1. Urban Development and Housing Department (UDHD) will be the nodal department at State Level.

13.2. Empowered Committee (EC)

13.2.1. The Empowered Committee shall be headed by the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. The Committee shall have the below-mentioned officers as its members:

1.	Principal Secretary, Government of MP, Revenue Department	Member
2.	Principal Secretary, Government of MP, Public Works Department	Member
3.	Principal Secretary, Government of MP, Public Asset Management	Member
4.	Principal Secretary, Government of MP, Finance Department	Member
5.	Principal Secretary, Government of MP, Law and Legislative Affairs Department	Member
6.	Principal Secretary, Government of MP, Urban Development and Housing Department	Convenor Secretary
7.	Principal Secretary, Government of MP, Co-operative Department	Member
8.	Director General, EPCO	Member
9.	Head of the Implementing Agency	Member

13.2.2. The Empowered Committee shall approve or reject the request made by implementing agency.

13.3. State Level Project Committee (SLPC)

13.3.1. State Level Project Committee shall be constituted under the chairmanship of the Principal Secretary of the Urban Development and Housing Department (UDHD) to supervise, monitor and issue direction regarding implementation or clarifications of the Policy. Following officers shall be the members of the committee:

1.	Director, Town and Country Planning Department	Member
2.	Concerned District Collector	Member
3.	Concerned Commissioner of Urban Local Body / CEO, Urban Development Authority	Member
4.	Executive Director, EPCO	Member
5.	Registrar, Department of Cooperative society	Member
6.	Officers not below the rank of Superintendent Engineer or equivalent of the implementing agency	Convenor Member

13.3.2. The SLPC can issue directions or instruct the implementation agency for reconsideration of the agency's decision.

13.3.3. For land use change permission or to avail any additional relaxations beyond this policy, proposal for redevelopment projects(only in case ofpublic housing) shall be presented by Implementing agency to the SLPC for its approval. If the request is found to be appropriate, then SLPC may recommend the proposal to Empowered Committee for seeking its decision.

SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक–आर–1011422/2437/2022/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 25°25'40.18" से 25°26'43.89" उत्तर अक्षांश तथा 77°29'18.85" से 77°30'19.41" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला– शिवपुरी
वनमण्डल – शिवपुरी

तहसील – शिवपुरी
वन परिक्षेत्र – शिवपुरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	टोंका	टोंका	राजस्व भूमि	1699/1/2	126.50	उत्तर– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक ग्राम टोका की सीमा। पूर्व – प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 19 से 30 तक ग्राम टोका की सीमा। दक्षिण– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक ग्राम टोका की सीमा। पश्चिम– प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा।
				योग	126.50	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :–

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31/2021/FC दिनांक 02.06.2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक/12/2019–20/अ–20(3) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :– क

(ब) सामुदायिक अधिकार :– निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

आर–1011422–2457–2022–दस–3– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर–1011422–2457–2022–दस–3, दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 22 December 2022

No.-R-1011422/2457/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between $24^0$30'57.3" to $24^0$31'7.43" North Latitude and $82^0$16'16.86" to $82^0$16'22.49" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sivpuri
Forest Division - Sivpuri

Tahsil - Sivpuri
Forest Range - Sivpuri

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies	
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	Tonka	Tonka	Revenue Land	1699/1/2	126.50	North –	Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka.
						East -	Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka.
						South -	Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka.
						West -	Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.
				Total	**126.50**		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F-8/31/2021-FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126-.42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project) of Executive Engineer

W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/Agency/Perspn), the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019-20/A-20(3) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.011.2022 of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Add.Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक/2452/800667/2022/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा–34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9-X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसुची

जिला :– नर्मदापुरम्
वनमंडल :– नर्मदापुरम्

तहसील – सोहागपुर
वनपरिक्षेत्र– सोहागपुर

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष का क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मे.) जो संरक्षित वन नही रहेगा (हेक्ट. में)	संरक्षित वन नहीं रहने का कारण	संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
1		2	3	4	5	6
1.	पथरई	पथरई	कक्ष क्र.– पी.एफ.–273	170.00	भारत सरकार, पर्यवरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय का पत्र क्रमांक File No 8-78/2014-FC दिनांक 08.05.2015 द्वारा संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित गांवो के पुनर्वास के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक **F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2019** के अनुसार निर्वनीकृत करने के लिए प्रस्तावित है।	**उत्तर सीमा–** संरक्षित वनखण्ड पथरई की नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक–1/1 से नवीन मुनारा क्रमांक–10/25 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक–10/25 से मुनारा क्रमांक–25 तक। **पूर्व सीमा –** राजस्व सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड पथरई की पूर्वी सीमा कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक–25 से मुनारा क्रमांक–37 तक। **दक्षिणी सीमा –** कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक–37 से मुनारा क्रमांक–41 तक एवं संरक्षित वनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक–41 से आरक्षित वनखण्ड डूडादेह की उत्तरी सीमा के मुनारा क्रमांक 541 तक तथा आरक्षित वनखण्ड डूडादेह के मुनारा क्रमांक 541 से मुनारा क्रमांक–537 तक, आरक्षित वनखण्ड डूडादेह की उत्तरी सीमा। **पश्चिम सीमा–** आरक्षित वनखण्ड डूडादेह के मुनारा क्रमांक 537 से संरक्षित वनखण्ड पथरई के नवीन मुनारा क्रमांक–1/1 तक, कोलतार रोड़ सीमा पर एवं धमनिया संरक्षित वनखण्ड की पूर्वी सीमा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्र.–2452–800667–2022–दस–3– भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक–2452–800667–2022–दस–3, दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 22 December 2022

No/2452-800667/2022/10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number/ **9-X/58** Date **10 July 1958** of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

District :- Narmadapuram **Tehsil :- Sohagpur**
Forest Division :- Narmadapuram **Forest Range - Sohagpur**

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Com. No.	Area Cease to be Protected Forest(Ha.)	Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
1.	Pathrai	Pathrai	**PF-273**	**170.00**	The forest land diverted for re-habitation of relocated villages from protected area vide Govt. of India, Ministry of Forest and Environment letter File No. 8-78/2014-FC Dated 08 May 2015 is proposed for De-notification in accordance with the Ministry of Environment forest and Climate Change New Delhi letter no. F.No. 8-34/2017-FC DAte 20-05-2019.	**North:-** Artificial new cut line from new pillar no.-1/1 to pillar no.-10/25 and new Pillar no.-10/25 to pillar no.-25. PF block Pathrai. **East:-** Revenue boundary and East boundary of PF block Pathrai artificial line from pillar no.-25 to new pillar no.-37. **South:-** Artificial line from pillar no.-37 to pillar no.-41 of PF block Pathrai and artificial line from Pillar No.-41 of PF block pathrai to pillar No.-541 of RF block Dudadeh and artificial line from pillar no.-541 to Pillar no.-537 of RF block Dudadeh in south boundary. **West:-** Artificial raod boundary from pillar no.-537 of RF block Dudadeh to new pillar no.-1/1 of PF block Pathrai along coaltar road and eastern boundary of PF Dhamaniya block.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Add.Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–23–अ–82–21–22–भू–अर्जन–22–9122 सागर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:–

(1) परियोजना का नाम : आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : गोंची
4. पट. ह. न.– : 94
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 9.04

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोहन ब. राजाराम सा. भैसवाही	भूमिस्वामी	244/1	0.37	0.37	0.00	0.00	निरंक
2	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद	भूमिस्वामी	244/2	0.08	0.08	0.00	0.00	निरंक
3	चित्तर पिता थानसीग	भूमिस्वामी	244/3	0.80	0.80	0.00	0.00	बेर–5, खैर–1 कुआंपक्का–1
4	शकूबाई बेबा थानसींग	भूमिस्वामी	244/4	0.80	0.80	0.00	0.00	आम–2,निंबू–1,अमरूद–3 महुआ–1,बेर–1 मकान
5	कनई वल्द सुक्के	भूमिस्वामी	245	1.10	1.10	0.00	0.00	निरंक
6	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद	भूमिस्वामी	246	1.20	1.20	0.00	0.00	यूकेलिपटिस–1,सेमर–1,नीम–1
7	प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई पि.हरचरण पिता/पतिः कल्लोबाई बे. हरचरण	भूमिस्वामी	247/1	1.11	1.11	0.00	0.00	आवला–1,काई–1,गुंजा–1,कोहा–1 सागौन(पौध)–3
8	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद	भूमिस्वामी	247/2	0.14	0.14	0.00	0.00	निरंक

7	प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई पि.हरचरण पिता/पतिः कल्लोबा ई बे. हरचरण	भूमिस्वामी	247/1	1.11	0.00	1.11	0.00	आवला–1,काई–1,गुंजा–1,कोहा–1 सागौन(पौध)–3
8	पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद	भूमिस्वामी	247/2	0.14	0.00	0.14	0.00	निरंक
9	नन्नेभाई ब.कुद्दा	भूमिस्वामी	248	1.42	1.42	0.00	0.00	कंआॅ पक्का–1 मकान पक्का(600व.फ.)
10	रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	249	0.85	0.00	0.85	0.00	,गुंजा–1,कोहा–3
11	रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	251	0.40	0.00	0.40	0.00	निरंक
12	बलराम वल्द थानसीग	भूमिस्वामी	252	0.77	0.00	0.77	0.00	निरंक
	योगः–		24	9.04	2.22	6.82	0.00	

आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण

क्र	भू–धारक का विवरण	खसरा नंबर	रकवा	भूमि पर निर्मित मानधारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण			धारा 3 डी के तहत् प्रभावित परिवारों
					मकान की प्रकृति	लं. × चौ.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शकूबाई बेवा थानसींग	244/4	0.80	शकूबाई उर्फ दुलारी बेवा थानसींग अहिरवार	ईंट की कच्ची दीवार कबेलू छाये	23.7×5.70 2.75×4.75	128.6	चित्तर पिता थानसींग
					ईंट की कच्ची दीवार चद्दर छाये	23.7×4	94.8	कुंदन पिता थानसींग
								हरीशंकर पिता थानसींग
					ईंट की कच्ची दीवार बरसाती छाई	9.30×4.35	57.25	बालचंद पिता कुन्दन
						4.20×4		सोहन पिता कुन्दन
								बलराम पिता थानसींग

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

6– अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(10) स्थल पर रहने वाले जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5– प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय चरोखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।

6– अधिनियम 2013 की धारा–21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा–20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7– भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक–01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र.–21–अ–82–21–22–भू–अर्जन–22–9123

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:–

(1) परियोजना का नाम : आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : दुधोनिया
4. पट. ह. नं.– : 111
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.08

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमोलसीग शोभारानी बेवागजराज सीग मूलंचद विशाल पिता/पतिः मुन्ना नवल सीग रामसीगपिता लछमन धवरानी बेवा व सूरतसीग पिता तखतसीग़ पितानारायण सीग जगन्नाथ उत्तम पिता/पतिः बद्री पिता अमोलसीग नब्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसीग	भूमिस्वामी	124	0.23	0.23	0.00	0.00	निरंक
			280	1.33	0.85	0.00	0.00	आम–1
			281	1.08	1.08	0.00	0.00	पपीता–30,अमरुद–10, केला–2, बॉस पुंज–1 सोबबूल–6 मकान कच्चा–1
			287	1.77	0.12	0.00	0.00	निरंक
			288	0.54	0.45	0.00	0.00	निरंक
2	गनेश हल्द भगोनी	भूमिस्वामी	153	0.37	0.02	0.00	0.00	निरंक
			229	0.99	0.01	0.00	0.00	कुआँ–1
3	कृपालसी पिता मंगलसीगसुबहरानी पति कृपाल सीग	भूमिस्वामी	233/2	0.6	0.02	0.00	0.00	निरंक

4	कुंवर बाई पुत्री मनोरे रामचरण रतीराम भागवल भगवानसीग राजू नरेन्द्र हरविन्द पिस. बैजनाथ मीराबाई शब्बीबाई उर्मिला बाई शांतीबाई रम्मीबाई वा. चद्रवतीक्रांति बाई ना.वा. पुत्री बैजनाथ वली मां कुंवरबाई पिता/पति: परसराम वल्द फूलसीग नन्नीबाई पुत्री फूलसीग किशनसीग वल्द सिरदारसीग विट्टीबाई पुत्री सिरदार गजई वल्द मुण्डे ताराबाई पुत्री रघुवीर	भूमिस्वामी	265	1.75	0.39	0.00	0.00	आम–2 बेरी–1, चिरहोल–1
			270	0.69	0.1	0.00	0.00	निरंक
			290	1.21	1.05	0.00	0.00	आँवला–1 आम–1 बेल–1, नीम–1,सागोन–1 छेवला–1
5	अनंतसीग वल्द किशनसीग	भूमिस्वामी	278/1	0.02	0.00	0.02	0.00	निरंक
6	गौरीशंकर पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	278/2	0.07	0.07	0.00	0.00	निरंक
7	नाथूराम भागीरथ पिता गजईताराबाई पुत्री रघुवीर	भूमिस्वामी	283	2.16	2.16	0.00	0.00	निरंक
			289	2.43	0.8	0.00	0.00	निरंक
8	धनीराम पिता गोरेलालमुहरबाई भगीबाई किरनबाई पिता/पति: ईश्वरबाई वित्ता बाईपुत्री गोरेलाल	भूमिस्वामी	306	1.12	0.82	0.00	0.00	निरंक
9	गोपीबाई पिता/पति: गिरधारी व गुड्डीबाई पिता/पति: गिरधारी	भूमिस्वामी	307	0.62	0.15	0.00	0.00	निरंक
10	गोकल व भरत वल्दविष्णु प्रसाद रामकेश पिता/पति: वल्द जगदीश भगवानदास वल्द	भूमिस्वामी	308	1.14	0.06	0.00	0.00	निरंक
11	त्रिवेनीबाई द्रोपतीबाईपुत्री दुरगासीग व फूलरानी सुकरानी बाई बेवादुरगसीग कल्यानसीग महेश पिता/पति: प्र. मिट्ठू पिता दुरगासीग मुन्डोबाई भानबाई	भूमिस्वामी	312	1.22	0.06	0.00	0.00	निरंक
12	गोकल पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	319/1	0.39	0.10	0.00	0.00	कुआँ–1
13	गौरीशंकर पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	319/2	0.37	0.08	0.00	0.00	निरंक
14	जगतसीग पिता नत्थूसीगपति जगतसीग	भूमिस्वामी	424/3	0.7	0.02	0.00	0.00	निरंक
15	मुन्ना पिता जमनामायारानी पति मुन्ना	भूमिस्वामी	230	0.4	0.14	0.00	0.00	निरंक
			232/1	0.2	0.05	0.00	0.00	निरंक
16	भक्ति व जमना चन्द्रानीपति भक्ति	भूमिस्वामी	232/2	0.6	0.2	0.00	0.00	निरंक
17	मनोहर पिता टीकारामप्रेमरानी पति मनोहर	भूमिस्वामी	251	0.62	0.03	0.00	0.00	निरंक
18	बलराम वल्द गनेश	भूमिस्वामी	261	0.61	0.37	0.00	0.00	निरंक
19	प्रभू वल्द रामसाहाय	भूमिस्वामी	279	1.31	0.52	0.00	0.00	निरंक
20	भरत बा. गब्बर रतन छोटेलाल	भूमिस्वामी	282	0.68	0.68	0.00	0.00	आम–1

	वीरसींग दीपेश अंकित हरीबाई रतीबाई छोटी बाई नाबा. पिता नवल बली व मां खुद सुन्दरानी बेवा नवल							
21	रज्जन पिता थानसींग गुड्डी बाई पति रज्जन	भूमिस्वामी	424/2	0.7	0.15	0.00	0.00	निरंक
22	राजू पिता जमना केशरानीपति राजू	भूमिस्वामी	232/3	0.66	0.38	0.00	0.00	निरंक
			233/1	0.56	0.2	0.00	0.00	निरंक
23	लालसींग पिता चरनसींगसन्दरसींग पति लालसींग	भूमिस्वामी	260	0.61	0.22	0.00	0.00	निरंक
24	रूपसींग बल्द प्यारेलाल	भूमिस्वामी	269	1.11	0.03	0.00	0.00	निरंक
25	सूरतसींग पिता तखतसींग पितानारायण सींग जगन्नाथ उत्तम पिता/पतिः बद्री पिता अमोलसींग नन्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसींग व अमोलसींग शोभारानी बेवागजराज सींग मूलंचद विशाल पिता/पतिः मुन्ना नवल सींग रामसींगपिता लछमन धवरानी बेवा	भूमिस्वामी	286	1.23	0.05	0.00	0.00	निरंक
26	राजू भानसिह पिO जमना कमलाबाई पुत्री जमना महारानी बेवा जमना व प्रेमसींग आरती रोशनी नाबा. पिता रामस्वरूप बली मां व खुद रेखारानी बेवा रामस्वरूप	भूमिस्वामी	305	1.06	0.40	0.00	0.00	निरंक
	योगः—		35	31.15	12.08	00.02	0.00	

आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण

सरल क्र	भू–धारक का विवरण	खसरा नंबर	रकबा	भूमि पर निर्मित मानधारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण			धारा 3 डी के तहत् प्रभावित परिवारों
					मकान की प्रकृति	लं. × चौ.	मकान क्षेत्रफल (व.मी. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमोलसींग शोभारानी बेवागजराज सींग मूलंचद विशाल पिता/पतिः मुन्ना नयल सींग रामसींगपिता लछमन धवरानी बेया व सूरतसींग पिता तखतसींग पितानारायण सींग जगन्नाथ उत्तम पिता/पतिः बद्री पिता अमोलसींग नन्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसींग	281	1.08	छबरानी पति लछमन गौड	ईट की कच्ची दीवार कबेलू छाये	9 × 6.8	61.2	नवलसींग पिता लक्ष्मन
					ईट की कच्ची दीवार बरसाती छाई	4.25 × 6.5	27.62	भरत पिता लक्ष्मन
								छोटेलाल पिता लक्ष्मन

3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

6– अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और भूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(10) स्थल पर रहने वाले जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

5– प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकबा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे।

6– अधिनियम 2013 की धारा–21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा–20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7– भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक–01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–8570–भू–अर्जन–2022 छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

–:अनुसूची:–

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	सौंसर
ग.	नगर/ग्राम	ग्राम–नन्देवानी प0ह0न–23 ब.न.–210 रा.नि.मं.–सौंसर
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा–04.240 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	244	0.101
2	245	0.097
3	246	0.068
4	255/1	01.478
5	255/8	0.567
6	255/7	01.014
7	118/7	0.405
8	118/8	0.405
9	373/2	0.105

10	226 में से आबादी (गावठान)	6.0x5.0=30.00वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
11	226 में से आबादी (गावठान)	9:0x9.50=85.50 वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
12	226 में से आबादी (गावठान)	9.0x8.0=72.00वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
13	226 में से आबादी (गावठान)	10.0x9.0=90.00 वर्ग.मीं. कच्चा मकान–1
14	226 में से आबादी (गावठान)	6.0x7.0=42.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
15	226 में से आबादी (गावठान)	4.0x5.0=20.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
16	226 में से आबादी (गावठान)	6.0x6.0=36.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
17	226 में से आबादी (गावठान)	5.0x8.0=40.00 वर्ग.मीं. कच्चा मकान–1
18	226 में से आबादी (गावठान)	6.0x5.0=30.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
19	291/1	6.0x5.0=30.00वर्ग.मी. कच्चा मकान–1
	योग :–	कुल रकबा–04.240 हेक्टयर एवं कच्चे मकान–10

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:– मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये परिसंपत्तियों एवं निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–सौंसर, जिला–छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–87–भू–अर्जन–2022 बालाघाट, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बालाघाट	बैहर	गोहारा	47.676	मीनकुर लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची–2

क्रमांक	खसरा नबंर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबाहे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	4 5	7.268 4.189	1.436 4.189	अकलसिंह व. मेहतर,दुखियाबाई बेवा मेहतर,विपतसिंह, बारेलाल, भैयालाल, विजयसिंह, अत्तरसिंह, दुरपतीबाई, मनकीनबाई बे. सम्पतसिंह, रूपसिंह, राकेश, सविता, अनिता, ललीता, सरिता, यशंवती बेवा मोहपतसिंह, धूपसिंह व. मोहपतसिंह, बत्तीबाई बे. दुर्गासिंह, दिनेश कुमार, भगवंती, बसंती व. दुर्गासिंह, धरमसिंह, प्रतापसिंह, धरमीबाई व. सुमरनसिंह, लीलाबाई बेवा इमरतसिंह, जयसिंह, बीरसिंह, लोकसिंह व. इमरतसिंह, अजमेरसिंह, रज्जेसिंह, उजियार, विजयसिंह व. उदबल, ईश्वर व. चन्दन निवासी कोपरो
2	6/1 6/3 6/4	3.237 1.619 1.619	3.237 1.619 1.619	शीरूसिंह व. पदमसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
3	6/2	1.619	1.619	हरेसिंह व. श्रीराम जाति गोंड निवासी कोपरो
4	7 12/2	5.261 2.016	5.261 0.865	गनपत व. मगंलसिंह निवासी कोपरो
5	8/1	1.214	1.214	फागू व. बन्देसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
6	8/2	1.214	1.214	हरेसिंह,ईमला,बयन व.श्रीराम,मोतीराम व. पदमसिंह, सुखराम, सुकरतीबाई व. पहाड़सिंह,सगवन्तीबाई, शांतीबाई, फूलमाबाई, मान्ताबाई, खेलोबाई व. बिसराम, चमरीबाई बेवा बिसराम, कृष्णा बाई ना.बा. पिता शिवराम वली मा चमरीबाई बेवा बिसराम निवासी कोपरो
7	8/3	0.867	0.867	भादूसिंह, सौनीबाई पिता फतेसिंह रासो, सुनिता व. फतेसिंह, रूपतीन जौ. गनपत निवासी सा.देह

8	8/4	1.214	1.214	राशन व. छोटेलाल, तारा, बेला, खेलो व. छोटेलाल, सा. मानपुर चन्द्रवती, इन्द्रवंती, कलावती व. छोटेलाल निवासी कोपरो
9	9	4.977	4.977	कांती व.महेपाल चोहनसिंह बिसन सिंह,व. गोपालसिंह ना.बा. वलीमा अमरोतीन,अनिता,सुनीता व. गोपालसिंह जाति गोंड निवासी सा.देह
10	10	4.901	4.901	जालमसिंह व. सम्हारू निवासी सा.देह
11	11	3.844	2.105	समोती जौ. जालमसिंह धरमसिंह व. कुबलसिंह निवासी कोपरो
12	12/1	2.016	1.008	दरबारसिंह व. मगंलसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
13	12/3	2.015	1.008	सम्पतसिंह व. मगंलसिंह निवासी कोपरो
14	13/2	1.206	0.032	मोतीन वि. अतरूसिंह, मोहपतसिंह व. अतरूसिंह, रामबती वि. जगतसिंह राजू, जितेन्द्र, गोमती, रजवन्ती व. जगतसिंह निवासी कोपरो
15	13/3	1.206	1.206	छतरसिंह व. खेलसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
16	14	5.253	0.503	चैती वि. हरेसिंह, गुलाबसिंह सुलापसिंह व. हरेसिंह, प्रमीला, उर्मिला व. हरेसिंह निवासी सा.देह
17	15/1 15/3 15/2/1 15/4 15/5 15/6	1.267 0.385 0.494 1.598 1.193 0.809	2.503	हरेसिंह,ईमला, बयन व. श्रीराम, शीरू व. पदमसिंह, सुखराम, सुकरती बाई व. पहाड़सिंह,संगवन्तीबाई, शांतीबाई, फूलमाबाई, मान्ताबाई, खेलोबाई व. बिसराम, चमरीबाई बेवा बिसराम, कृष्णा बाई ना.बा. पिता शिवराम वली मा चमरीबाई बेवा बिसराम, फागू व. बन्देसिंह, कान्तीबाई व. मेहपाल,भादूसिंह,सौनीबाई,रासोबाई,सुनिताबाई व. फत्तेसिंह,राशनबाई,ताराबाई,बेलाबाई, खेलोबाई,इन्द्रावती,कलावती, व. छोटेलाल, पुरन्तीबाई,देवराज,शिवलाल, सुनील ना.बा. पिता धरमसिंह निवासी कोपरो
18	9	5.079	5.079	मनकीन जौ. सम्पतसिंह, रूपसिंह, राकेश, व. सम्पतसिंह, सविता, अनिता, बबीता, सरिता व. सम्पतसिंह मोहपतसिंह निवासी सा.देह
	योग :–	**67.580**	**47.676**	

1. चूंकि मीनकुर जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.inपर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र.–88–भू–अर्जन–2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बालाघाट	बैहर	किनारदा	17.8899	पोला लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची–2

क्रमांक	खसरा नबंर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबाहे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	397	5.095	2.5233	रामसिंह,रायसिंह व. बैसाखू चेतराम व. जेठू निवासी सा.देह
2	372/3	2.743	0.2690	सत्तोबाई पति फगनसिंह जाति गोंड निवासी सा.देह.
3	372/2	0.202	0.2020	सुखचन्द ना.बा. व. कातिकराम वली पिता कातिकरात व. सिरदार जाति बैगा निवासी सा.देह
4	372/1	2.541	2.5410	चन्दनसिंह व संपत ना.बा. वली मा कमलाबाई जौ सम्पतसिंह, हरलाल, हरदू, मानोबाई पति सम्पतसिंह समलोबाई,पुनियाबाई व. सम्पतसिंह, कमलोबाई पति सम्पतसिंह निवासी सा.देह
5	371	2.276	0.4274	हरेसिंह व. घमसानसिंह निवासी सा.देह
6	362	2.833	1.016	श्यामलाल, हगरू, लामू व. सोनसिंह निवासी सा.देह
7	363/1	1.077	1.077	घमसानसिंह व. भैनसिंह निवासी सा.देह
8	363/2	1.081	1.081	हरेसिंह व. भुजबल निवासी सा.देह
9	400	5.322	5.322	डमारसिंह व. सुदधराम दशोदा, दसरी, नान्ही, कलम निवासी सा. देह
10	404/2	1.378	0.942	चिन्तामन व. तुलसीराम निवासी सा.देह
11	404/3	0.292	0.292	गोपाल व. रामसरन जाति अहीर निवासी सा.देह
12	358	7.430	0.8771	भीकमसिंह, लिक्खनसिंह, पितमसिंह व. धरपत रंजना वि. धरपत जाति गोंड निवासी सा.देह

13	356	3.569	0.8352	रमसुलाबाई पति गिरमतसिंह, गिरवरसिंह व. सरूपसिंह बरमतबाई व. सरूपसिंह ना.बा.दुर्गेश, सुकवारो, राजकुमारी, सकुन व गिरमतसिंह निवासी सा.देह
14	354/4	1.036	0.0013	सोमलाल पिता लिक्खनसिंह जाति गोंड निवासी सा.देह
15	354/3	1.036	0.102	सोमलाल पिता लिक्खनसिंह जाति गोंड निवासी सा.देह
16	354/2	1.040	0.2447	दसरी व. पहलवानसिंह लक्ष्मी व. पहलवानसिंह निवासी सा.देह
17	354/1	1.036	0.1369	बंशीलाल व. राधेसिंह निवासी सा. देह
	योग :–	**39.987**	**17.8899**	

1. चूंकि पोला जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.inपर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–89–भू–अर्जन–2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची (2) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची –1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बालाघाट	परसवाड़ा	मानपुर	14.077	मानपुर लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची –2

क्रमांक	खसरा नबंर	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	14/1	4.515	4.515	सोहद्राबाई वि. तेजराम, राधेलाल व. तेजराम, सुलकनबाई व. तुलसीराम, कलाबाई वि. श्यामलाल, लिखेश, महेश, दुर्गेश व. श्यामलाल ना.बा.वली मा कलाबाई वि. श्यामलाल, ताराबाई, चौसनबाई व. तेजराम जाति पवांर निवासी मानपुर
2	14/2	1.214	1.214	कोमल प्रसाद व. मंगल जाति पवांर निवासी सा.देह
3	15/1	4.905	4.905	ओमकार पिता मानकराम जाति पंवार निवासी सा.देह
4	15/2	1.214	1.214	मुन्नालाल पिता जगली, दुलीचंद पिता जंगली, ना.बा. वली मा सुगनाबाई वि. जंगली निवासी मानपुर
5	18/1	0.809	0.809	रैवन्तीबाई बेवा माखनसिंह हन्सलाल,सन्तलाल, संतोष पिता माखनसिंह जाति गोंड निवासी मानपुर
6	18/2	3.250	0.611	सेवकराम व. सोनू, सुगनीबाई व. सोनू निवासी सा.देह
7	18/3	0.809	0.809	सुन्दरोंबाई पति गोबरसिंह दुर्गीबाई,चैनबती, श्यामबती, सुकवती, रामेश्वरी व. गोबरसिंह जाति गोंड निवासी गुदमा
	योग :–	16.716	14.077	

1. चूंकि मानपुर जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.–57–अ–82–20–21–केदारखेडा–12939 बैतूल, दिनांक 28 नवम्बर 2022

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची–1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	आमला	केदारखेड़ा	0.232	उप मुख्य इंजी0(नि) अजनी रेल्वे नागपुर	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 हे0 में
1	2	3	4	5
1	नारायण पिता धर्मपाल जाति कुन्बी सा0देह भूमिस्वामी	105/1	3.691	0.082
2	तुरजी पति गेन्दू जाति अ0जा0 सा0 देह भूमि स्वामी	104/1	0.024	0.022
3	धनराज पिता बाजी सा0देह भूमि स्वामी	97/1	0.027	0.008
4	जगदीश, सुखदीन, रामदीन, पिता गेंदू अमरा पुत्री गेंदू, तुरसा बेवा गेंदू अ0जा0 सा0 देह भूमि स्वावी	36	0.016	0.010
5	कुवंरलाल,चिन्ध्या, धनराज पिता मल्लू अ0जा0 सा0देह भूमि स्वामी ,	37	0.032	0.016
6	दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा, पिता कलीराम सोमती बेवा राजेन्द्र, विकम, अमित, पिता राजेन्द्र कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र अ0जा0 सा0देह भूमि स्वामी	38	0.032	0.004
7	राजू पिता नंदलाल जाति नाई सा0देह भूमि स्वामी	97/5	0.022	0.002

8	ख्यालीराम पिता नान्हूराम कुन्बी सा0देह भूमि स्वामी	34	0.064	0.020
9	भीमराव,माखन,रामदयाल,राजू पिता गुदडिया, अ0जा0 सा0देह भूमि स्वामी	35/1	0.075	0.040
10	जैयवंती पुत्री सोनबा, कमलदास,धर्मदास, पिता जागो, इन्द्रा, कमलाबाई पुत्री जागो, ओमकार, राजू, मधु,उमेश,पिता इन्दल, मुन्नीबाई, जयश्री, राजश्री, पिता इन्दल, दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम, ललीता पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम, अमित, पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र, राजकुमार, राजेश, बसंत पिता बलीराम, रमेश, उमेश, दिनेश पिता मानिकराव, सुशीला,संध्या, रेखा पिता मानिकराव, ओमकार पिता लक्ष्मण, चैतीबाई पुत्री लक्ष्मण रेखा बेवा दिनेश, देवेन्द्र पिता दिनेश , देविका, देवपरी पिता दिनेश, जाति अ0जा0 सा0देह	35/2	0.075	0.028
	योग	**10**	**4.058**	**0.232**

1– चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि ईटारसी –नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि0 (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

क्र.–8–अ–82–21–22–मालेगाव–13131 बैतूल, दिनांक 5 नवम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	मालेगांव	0.141	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जन का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	नारायण पिता बलीराम जाति पंवार सा0 देह भूमि स्वामी	228/3	1.052	0.090
2	कमला पिता महेगया, अर्जुन, किशोर, रविदास, रामदयाल, राजेश, कांती पिता बलीराम निवासी मुलताई भूमि स्वामी	229/1	0.109	0.011
		229/2	0.090	0.012
		229/3	0.090	0.013
3	कमराम पिता काशीराम, दयाराम पिता किसन, लक्ष्मण पिता साजूराम सा0 देह भूमि स्वामी	229/4	0.050	0.008
		229/5	0.050	0.007
योग		06	1.441	0.141

(2) चूंकि ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.–1–अ–82–22–23–सड़कवाड़ा–13133 बैतूल, दिनांक 5 नवम्बर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	घोड़ाडोंगरी	सड़कवाड़ा	0.002	ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जन का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	नविया बेवा फगनू, कलेसिया, कलावती, सुमरंती, फूलवंती, सुलन्ती पिता फगनू , मंगलसिंग व0 मन्नू, झम्मी बेवा मोडडा, मैयालाल, गजमल, विसिंग, विसनू, व0 मोडडा , सुनिल, व0 मोड्डा, झुनकी फुलवंती, श्यामवती पिता मोडडा डोगरी, रामबाई पिता श्यामू, कमला बेवा डेबू ,रामदास व0 डेबू , छतन व0 लक्ष्मण , नुकी, सुब्बा, धरमती, पिता लक्ष्मण, मन्दी, झबली बेवा सम्मल, इमरत व0 सम्मल, परेश, प्रकाश व0 दसरू, जयवन्ती, सेवन्ती पिता दसरू, श्यामलाल, रामलाल, बिरजा व0 मोहन, कैला पिता मोहन, रैमा बेवा हीरालाल, चरण, अशोक व. हीरालाल, श्यामवती पिता हीरालाल, सुमत्रा बेवा सभुक्का महेश, सुखदेव व0 सुक्का, अर्चना, सुनिता पिता सुक्का, रामजी, किसन व0 जोगी, लक्ष्मी, रामबाई पिता जोगी निवासी सा0 देह भूमि स्वामी	218	0-089	0-002
योग		1	0-089	0-002

(2) चूंकि ईटारसी–नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू–अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

प्र.क्र.–19–अ–82–भू–अर्जन–2020–21–आसन बेराज–10130 मुरैना, दिनांक 6 दिसम्बर 2022

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम– पुराहथरिया, प0ह0क्र0 113 रा0नि0वृत– तहसील– जौरा, उपखण्ड–जौरा, जिला– मुरैना में कुल 8.96 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– पुराहथरिया प0ह0क्र. 113 राजस्व वृत– तहसील–जौरा, उपखण्ड –जौरा जिला– मुरैना में उकत प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
 - क. जिला– मुरैना
 - ख. तहसील– जौरा
 - ग. ग्राम– पुराहथरिया
 - घ. लगभग क्षेत्रफल 8.96 हे0

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:–

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	68	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.3	पंजाब सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाति गुर्जर नि0 ग्राम भूमि स्वामी
2.	74	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.51	करन सिंह पुत्र रघुवर सिंह 1/9 राजमनी, सुल्तान, सुरेश पुत्रान
	75	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.09	

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
	76	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.47	अजमेर सिंह, शिवदेई पुत्री अजमेर
	77	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.46	सिंह 1/9, वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गवंदा पिता नारायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह समान 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी धनवन्ती वेवा सरदार सिंह मोहर सिंह कोकसिंह धरमसिंह पिता सरदारसिंह पुष्पा दीपा पुत्री सरदार सिंह समान भाग 1/9 बैकुन्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पुत्री चतुरे 5/7 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामदेई वेवा केदार रिन्कू बा. ब्रजेश पुत्रगण केदार रीना बा. अन्जली पुत्री केदार भाग 1/7 दर भाग 1/8 समान गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समान भाग 1/8 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्री सूबालाल हि. 5/54 बैकुण्ठी वेवा गंब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पुत्र गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/54 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भगवानसिंह

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					भूपसिंह रूकमसिंह बिजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पिता पुरूषोत्तम सिंह द्रोपती वेवा पुरूषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्री पुरूषोत्तम सिंह समान भाग 1/9 रतन सिंह, रणवीर सिंह पुत्र बेदरिया, अनारकली, रामदुलारी, रामप्रकाशी पुत्री बेदरिया स.भा. 1/9, शिवचरन, विशाल पुत्र सलिका, रामरती, राजाबेटी पुत्री सलिका हि0 4/5, कलावती वेवा जहार सिंह, साहब सिंह, जगदीश सुरेन्द्र पुत्र जहार सिंह स.भा. 1/5 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हस्तान्तरणीय
3.	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.070	हलुकी, बादामी पुत्रियाँ रघुवरसिंह जाति काछी नि0 ग्राम
4.	207	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.110	भागवती, सहोद्रा पुत्रियाँ गोविन्द सिंह जाति काछी नि0 ग्राम
5.	228	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.42	देवीराम पुत्र नारायण जाति काछी नि0 ग्राम
	229	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.26	
	259	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.09	
	260	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.48	
	268	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.22	
	269	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.22	
	270	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.31	
6.	253	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.15	कमलेश भूरासिंह गम्भीर सिंह

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					राजवीर सिंह उदयवीर सिंह पुत्र हरीसिंह समान भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुरसिंह समान भाग 1/3 जनकसिंह प्रेमसिंह मंगलसिंह पिता चिम्मनसिंह 1/3 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7.	254/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.63	वीरेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
	254/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	महेन्द्र पुत्र नारायण सिंह जाति काछी नि0 ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
8.	254/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.46	भारत सिंह पुत्र भल्लूसिंह
9.	254/6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	प्रीतमसिंह पुत्र अजमेर सिंह 1/2 राजमनि, सुरेश पुत्रान अजमेर हिस्सा 1/8 सुल्तान पुत्र अजमेर हिस्सा 5/8, शिवदेही पुत्री अजमेर हिस्सा 1/8 जाति काछी नि0 ग्राम
10.	254/10	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.63	सोनेराम पंजाब सिंह पिता सोबरनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम सम्मन भाग भूमि स्वामी अहस्तातरणीय

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
11.	261	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.23	दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि0 6/7 सामान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सूखी वेवा पंचम महीपाल बेदम पिता पंचम सरस्वती संरोज महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/7 जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	262	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.32	
12.	271/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.31	श्रीलाल लायकसिंह निरपाल पिता सूवालाल हि 3/4 बैकुण्ठी वेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पिता गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर समान भाग 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
13.	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.24	हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि. 1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि. 1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि. 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14.	320	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.35	राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भमि स्वामी
	336	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.14	
	338	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.17	
15.	341	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.28	वीरेन्द्र, गजराज, महेन्द्र, गंवदा पिता नारायणसिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

सं.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
16.	349	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.40	रामविलास पुत्र माधौसिंह जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	कुल किता –29			8.96 हे0	

1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करनें का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:– धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–56–अ–82–21–22–भू–अर्जन–22–10674 सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः–

(1) परियोजना का नाम : जगदर्रा जलाशय सिचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : गढ़ाकोटा
3. ग्राम : माधो
4. पट. ह. न.– : 21
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफलः 41.78

क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	ख0 न0	कुल रकवा	अर्जित रकवा			भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगत जमना पिता छोटेलाल, गनेशीबाई वेवा छोटेलाल सा. देह	भूमिस्वामी	1/1	1.01	1.01	0.00	0.00	
2	हरीसींग पिता छोटेलाल पता सागर मध्य प्रदेश	भूमिस्वामी	1/2	0.50	0.50	0.00	0.00	नीबू–1
		भूमिस्वामी	1/3	0.30	0.30	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	1/4	0.21	0.21	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	4/1	0.42	0.42	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	4/2	0.40	0.40	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	4/3	0.40	0.40	0.00	0.00	बोर–1
		भूमिस्वामी	4/4	0.40	0.40	0.00	0.00	बिही–1,बेरी–1,आम–3 मकान –1
		भूमिस्वामी	9/1	0.81	0.08	0.00	0.00	बोर–1

3	प्रयाग पिता अर्जुनसींग सा. देह	भूमिस्वामी	2/1	0.50	0.50	0.00	0.00	बेल–1महुआ–1कैथा–1
4	दशरथ पिता अर्जुनसींग सा. देह	भूमिस्वामी	2/2	0.51	0.51	0.00	0.00	आंवला–1बेल 1आम 2नीम 1इमली–1,मकान–2
5	नन्नू पिता अर्जुनसींग सा. देह	भूमिस्वामी	2/3	0.51	0.51	0.00	0.00	नीम 1अर्जुन 1मुनगा 1बेल 1
6	कोमल पिता अर्जुनसींग सा. देह	भूमिस्वामी	2/4	0.50	0.50	0.00	0.00	कैथा 1 नीम 1,कुआँ–1 मकान–1
7	जाहिद खाँ पिता गुलाब खाँ सा. देह	भूमिस्वामी	3	1.61	1.61	0.00	0.00	बांस भिरा–2,सागौन–4,नीबू–1 बिही–1बेल 1आम–1 सूबबूल–2ऐरमा 1,कुआँ–1,मकान–1
8	सुमतरानी वेवा रतनसींग लखन चन्द्रभान पिता रतनसींग अशोकरानी वेवा नत्थूसींग कलू हल्लेभाई पिता नत्थूसींग जाति सौर साकिन देह	भूमिस्वामी	5	1.62	0.90	0.00	0.00	कुआँ–1
9	रामनारायण पिता बाबूलाल लक्ष्मीनारायण खेमचंद हरिभजन बसंत पिता रामनारायण भगवती कीर्ति पुत्री रामनारायण	भूमिस्वामी	6	1.04	1.04	0.00	0.00	
10	हरिभजन पिता रामनारायण नेमा सा. बजार वार्ड गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	7	1.04	1.04	0.00	0.00	बांस भिरा–1
11	नरेन्द्र पिता भगतसींग मालती भारती नेहा पुत्री भगतसींग ममतारानी वेवा भगतसींग सा. जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	8	1.04	1.04	0.00	0.00	
12	राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार व. ह्देसींग प्रेमरानी वेवा हिरदेसींग जाति लोधी सा. जरियाखिरिया	भूमिस्वामी	10	1.04	1.04	0.00	0.00	मकान–1
13	खेमचंद पिता रामनारायण सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	11/1	1.68	0.60	0.00	0.00	मकान–1 , कुआँ–1
14	अक्षय पिता खेमचंद सा. गढाकोटा	भूमिस्वामी	13/1	1.60	0.04	0.00	0.00	
15	अवधरानी बेवा भगोनी उर्फ भगवानदास	भूमिस्वामी	126/4/1	0.04	0.00	0.04	0.00	
16	झल्लू, पिता भगोनी उर्फ भगवानदास	भूमिस्वामी	126/4/2	0.12	0.00	0.06	0.00	आंवला–2 नीबू–1,मकान–1
17	संतू सींग बल्द निरपतसींग सा. हरदी	भूमिस्वामी	127/1	1.90	1.90	0.00	0.00	जामुन–1,बमूरा–1, बहेरा–1,अचार–1
18	शैलेन्द्र महेन्द्र रिचा नावाव पिता मूरतसींग वली आजा निरपतसींग पवनकुमारी वेवा मूरतसींग सा. हरदी	भूमिस्वामी	127/2	2.10	2.10	0.00	0.00	बरगद सूंठ–1,कोहा–1,गुरार–1, सेमर–1बेरी–1,महुआ–6, कुआँ–1,अचार–1
19	द्रोपदी पुत्री लल्लूसींग सा. जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/1	5.43	5.43	0.00	0.00	महुआ–6,कोहा–8,
20	कुंतीबाई पुत्री लल्लूसींग, सा. जरिया खिरिया	भूमिस्वामी	128/2	3.28	1.64	0.00	0.00	आम–1,महुआ–7,पीपल–1 ,कुआँ–1
21	किशुन, पिता बाबूलाल सा. हरदी	भूमिस्वामी	129/1	0.60	0.60	0.00	0.00	जाचेर पेड़–1,महुआ–1 कुआँ–1
		भूमिस्वामी	129/2	0.60	0.60	0.00	0.00	
22	कमलेशरानी पति बाबूलाल सा. हरदी	भूमिस्वामी	129/3	0.40	0.40	0.00	0.00	

23	उत्तमसींग पिता हल्ला	भूमिस्वामी	129/4	0.40	0.4	0.00	0.00	
		भूमिस्वामी	130 / 3	0.80	0.80	0.00	0.00	
24	पनवेश्वर पिता बाबूलाल सा. हरदी	भूमिस्वामी	130/ 1	0.60	0.60	0.00	0.00	मकान–1
		भूमिस्वामी	130/ 2	0.60	0.60	0.00	0.00	
25	कनई वल्द नन्नू , केशरबाई पति कनई सा. देह भूस्वामी अहस्तांतरणीय	भूमिस्वामी	131/ 2	1.60	1.60	0.00	0.00	पलास –1,खैर–3, अचार–2, महुआ–2साज–1,सागौन–14,आंवरी–1,कुआँ–1,आम –1मकान–1
26	दली बल्द रमले रज्जोबाई पति दली सा. देह	भूमिस्वामी	131/4	0.60	0.60	0.00	0.00	कोहा–1,रोजे–4,,चिरोल–1केम–1, धोवन–1,छेवला–1,बेरी–1 अचार–1 कुआँ–1
27	लखन वल्द दली, कलाबाई पति लखन सा. देह	भूमिस्वामी	131/5	0.60	0.60	0.00	0.00	रेजा–1चिरोल 3कछइ–1खैर–3सेजे–10 गुरार–1मकान–1
28	सैयद जावेद हुसैन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/1	1.01	0.00	0.00	1.01	सीताफल–2
29	नौलोफर वेगम पति सैयद परवेज हुसैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/2	1.01	0.00	0.00	1.01	सीताफल–5, चिरोल–1
		भूमिस्वामी	139/3	0.10	0.00	0.00	0.10	व्यववर्तित
30	साहीन वेगम पति इसरार हुसैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	132/3	1.52	0.00	0.00	0.76	
31	भरत पिता घनश्याम चौरसिया सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	134	1.54	0.00	0.00	1.54	
		भूमिस्वामी	136	1.54	0.00	0.00	0.88	
32	सैयद परवेज हुसैन पिता इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	133	1.53	0.00	0.00	1.53	
		भूमिस्वामी	135	1.53	0.00	0.00	1.53	
		भूमिस्वामी	139/ 4/1/1/1/1	0.24	0.00	0.00	0.24	व्यववर्तित
33	सहनाज बेगम पति सैयद जावेद सा. पिपरिया भटोली	भूमिस्वामी	139/ 4/1/1/1/2	0.04	0.00	0.00	0.04	व्यववर्तित
34	सैयद जाबेद हुसेन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा, गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/4/1/ 1/2	0.04	0.00	0.00	0.04	व्यववर्तित
35	सैयद नाबेद हुसेन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/4/1/ 2	0.04	0.00	0.00	0.04	व्यववर्तित
36	नौसीन परबीन पिता सैयद जावेद सा. पिपरिया भओली	भूमिस्वामी	139/4/2	0.04	0.00	0.00	0.04	व्यववर्तित
37	मंजू पति सुशील कुमार जैन सा. गढ़ाकोटा	भूमिस्वामी	139/2	2.00	0.00	0.00	2.00	1–बरगद
	योगः–		**51**	**48.99**	**30.92**	**0.10**	**10.76**	

3. प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

4. अधिनियम 2013 की धारा–21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/01/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम औरविशिष्टियां धारा–20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

5. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रहली जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा जिला खण्डवा मध्यप्रदेश,

पत्र क्र.–4457–रीडर–1–2022 खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 413/अ/121/22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (ठ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–113 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– केहलारी, प.ह.न 48, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– केहलारी, प.ह.न 48,	687	0.039
		कुल योग	01	0.039

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 414/a4121/22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– ललवाड़ा, प.ह.न 55, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ललवाड़ा, प.ह.न 55,	14/1	0.032
			14/2	0.032
			14/3	0.033
			15	0.026
			12	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ललवाड़ा, प.ह.न 55,	57	0.074
			10/3	0.049
			54	0.010
			19	0.097
			20	0.025
			21/2	0.059
			55/1	0.026
			55/2	0.014
			55/3	0.006
			86/1	0.018
			84	0.015
			85	0.019
			47	0.015
			87/3	0.047
			101/1	0.033
			101/2	0.043
			101/3	0.050
			100	0.013
			99/1	0.047
			99/2	0.023
			98	0.002
			97/1	0.030
			97/3	0.069
			97/2	0.038
		कुल योग	29	0.995

पत्र क्र.–4461–रीडर–1–2022

प्ररूप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 415/अ/121/2022 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम– सिंहाड़ा, प.ह.न 70, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सिहाड़ा, प.ह.न 70,	848	0.034
			847	0.015
			846	0.018
			845	0.017
			840	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सिहाड़ा, प.ह.न 70,	842	0.017
			841	0.013
			838	0.028
			837	0.032
			864/1	0.030
			864/2	0.005
			867	0.016
			866	0.072
			870	0.023
			879	0.012
			884	0.006
			878	0.005
			891/1	0.024
			883	0.020
			886	0.017
			887	0.005
			882	0.024
			888	0.015
			890	0.049
			932	0.039
			933	0.049
			929	0.059
			964	0.039
			967	0.030
			972/2	0.040
			972/3	0.013
			969/1	0.079
			1012	0.003
			1034	0.067
			1037/1	0.025
			1145/2	0.010
			1037/2	0.039
			1145/1	0.025
			1037/3	0.039
			1145/3	0.015
			1144	0.030
		कुल योग	41	1.127

पत्र क्र.–4463–रीडर–1–2022

प्ररुप– "ख"
{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 416बी/121/22–23..... अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–23 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– ललवाड़ा, प.ह.न 55, रा. नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ललवाड़ा, प.ह.न 55,	19	0.023
			10/3	0.066
			10/2	0.039
			10/1/2	0.026
			10/1/1	0.054
		कुल योग	05	0.208

पत्र क्र.–4465–रीडर–1–2022 खण्डवा, दिनांक 07 दिसमबर 2022

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–23, 35 एवं 95 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– बड़गांवमाली, प.ह.न 84, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़गांवमाली, प.ह.न 84,	742	0.119
			758/1	0.041
			727	0.027
			725	0.020
			726	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़गांवमाली, प.ह.न 84,	724	0.024
			722	0.007
			614/2	0.054
			716	0.028
			717	0.011
			715	0.061
			713	0.071
			711	0.030
			710	0.058
			385	0.012
			617/1	0.078
			613	0.023
			614/1	0.051
			762	0.064
			615	0.016
			612/3	0.028
			609/1	0.041
			609/2	0.029
			608/2	0.010
			605/3	0.047
			295	0.051
			298	0.122
			301/1	0.044
			301/3/1	0.028
			744/1	0.040
			301/3/2	0.043
			301/3/3	0.043
			302	0.004
			349/2	0.045
			592/1	0.019
			591	0.051
			590/4	0.011
			590/3	0.010
			590/2	0.010
			590/1	0.011
			589/1	0.015
			589/2	0.025
			573	0.119
			574/2/2	0.031

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़गांवमाली, प.ह.न 84,	483/1	0.024
			483/2	0.025
			483/3	0.032
			481/2	0.009
			481/1/1	0.025
			477	0.050
			441	0.059
			443	0.013
			446	0.083
			450/1	0.033
			453	0.117
			454	0.007
			747/4	0.029
			747/3	0.035
			747/2	0.042
			746	0.052
			755	0.029
			752/2	0.039
			758/3	0.049
			760	0.053
			761/1	0.025
			761/2	0.025
			765	0.070
			780	0.064
			781	0.053
			779/2	0.019
			778	0.090
			634/1	0.029
			634/2	0.018
			645/2/2	0.025
			646	0.036
			647	0.041
			648/1	0.084
			651/1	0.033
			652/1	0.013
		कुल योग	79	3.123

पत्र क्र.–4467–रीडर–1–2022

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 418/अ121/22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–06 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– बड़िया तुला, प.ह.न 69, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़िया तुला, प.ह.न 69,	208/1	0.010
			209/1	0.021
			208/2	0.012
			211/1	0.061
			214/2	0.006
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़िया तुला, प.ह.न 69,	214/1	0.059
			215	0.021
			224	0.046
			216/1	0.012
			223/1	0.034
			223/3	0.027
			221/1	0.035
		कुल योग	12	0.344

पत्र क्र.–4469–रीडर–1–2022

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

कमांक– 419/अ/121/22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–05 एवं 58 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– खुटफल, प.ह.न 50, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– खुटफल, प.ह.न 50,	397/2	0.094
			398	0.037
			396/7	0.012
			395/3	0.050
			393/1	0.046

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– खुटफल, प.ह.न 50,	374	0.010
			375	0.036
			372	0.049
			244/3	0.072
			244/2	0.004
			257	0.025
			255/1	0.005
			256	0.024
			262	0.017
			95	0.085
			62/3	0.092
			60	0.008
			59	0.024
			58	0.006
			56	0.024
			57	0.025
			54	0.040
			53/2	0.017
			21/4	0.025
			21/3	0.029
			21/2	0.026
			18 19	0.073
			20/1	0.050
			8	0.033
			9	0.067
			212	0.009
			211	0.030
			161/1	0.033
			160/3	0.072
			159	0.011
			156/1	0.025
			156/2	0.035
			155	0.080
			153/2	0.093
		कुल योग	39	1.493

अरविन्द कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (शिक्षा विभाग), जिला दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

क्र. जि.शि.अ.-2022-3950.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-19-196-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 से निर्दिष्ट अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा क्रमांक-सी 1684, दिनांक 11 अप्रैल 2022 के क्रम में, शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम पर करने हेतु गठित जिलास्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2022 को प्रदाय अनुमोदन अनुसार जिला दमोह के शासकीय सी. एम. राईज मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दमोह का नाम ''शासकीय महात्मा ज्योतिबा फुले सी. एम. राईज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह'' पढ़ा/लिखा जावे.

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 24 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 0006-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसे सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 3, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं (12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नर्मदापुरम	इटारसी	इटारसी-जमानी धरमकुण्डी मार्ग	0.022 हेक्टेयर (2250 व. फु.)	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	इटारसी-जमानी धरमकुण्डी मार्ग परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता.—इटारसी-जमानी धरमकुण्डी मार्ग परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम जमानी.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./आकृति/2022-23/1136, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु आकृति शुगर मिल्स प्रा. लि., तूमड़ा, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	वेरखेडी	20	1.55
2	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	जाम	24	14.29
3	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	इमझिरी	35	1.55
4	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	वूढा	50	39.28
5	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	वक्शी	42	36.33
6	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	हमीरपुर	35	52.20
7	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	सर्राकलां	42	75.68
8	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	पठापोडी	35	111.75
9	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	गोरखाकलां	30	10.08
10	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	सांईखेडा	48	4.77
11	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	मुआर	37	21.32
12	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	डुगरिया	37	12.15
13	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	चंदपुराकला	55	17.05
14	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	खमरिया	38	13.18
15	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	रम्पुरा	58	5.54
16	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	भटपुरा	43	1.27
17	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	सिलवानी	42	6.04
18	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	सहजपुर	43	17.69
19	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	देवरीजागीर	40	22.52
20	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	चीचोली	39	2.52
21	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	ऊषापुर	55	2.72
22	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	खमरिया मानपुर	2	10.22
23	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	नांदपुर	33	1.40
24	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	बीकलपुर	34	4.29
25	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	वरेली	50	17.20

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
26	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	महगंवां	32	3.86
27	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	कुवंरखेडी	37	2.16
28	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	वक्शी	44	5.76
29	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	प्रतापगढ	44	6.90
30	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	बेगवांकलां	40	1.50
31	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	मदनपुर	42	10.10
32	रायसेन	सिलवानी	सिलवानी	मर्दानपुर	41	8.43
33	**रायसेन**	**सिलवानी**	**सिलवानी**	बेरूआ	**20**	**2.77**
योग तहसील सिलवानी						**544.07**
34	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	बनवारी	19	77.77
35	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	सेठान	13	41.64
36	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	धनौरा	17	63.76
37	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	खैरी	16	9.33
38	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	अजंदा	19	57.86
39	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	देतपोन	14	48.92
40	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	पाली	16	11.38
41	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	उड़नी	22	270.21
42	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	टेकापार	24	227.57
43	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	उसरई	30	105.24
44	**नरसिंहपुर**	**सॉईखेडा**	**सॉईखेडा**	मडगुला	**33**	**249.42**
45	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	पिपरिया कलां	27	266.70
46	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	भौरगढ़	32	6.42
47	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	रामपुरा	13	104.00
48	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	पीपरपानी	15	234.22
49	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	टुईयापानी	25	87.42
50	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	अनघोरी	20	88.78
51	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	पिटरास	9	125.60
52	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	महुआखेड़ा खेरूआ	13	114.94
53	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	बरहटा	13	92.88
54	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	बम्होरी खुर्द	10	73.04
55	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	सॉईखेड़ा	8	16.74
56	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	बंधा	13	111.80
57	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	तूमड़ा	5	230.81
58	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	महेश्वर	7	5.04
59	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	मेहरागांव	10	278.29
60	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	मुआर	14	11.31

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
61	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	सिरसिरी	14	5.34
62	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	संदूक	7	60.13
63	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	निवावर	5	41.31
64	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	झिकोली	4	25.51
65	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	सिरसिरी	16	3.79
66	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	खिरैटी	7	18.41
67	नरसिंहपुर	सॉईखेडा	सॉईखेडा	रहली	9	8.85
योग तहसील साईखेड़ा						3174.43
68	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बौरास	5	163.41
69	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	सुल्तानगंज	7	24.32
70	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बम्होरी बासोदा	14	61.32
71	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	गायव्यान	17	18.22
72	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	निवाड़ी	19	1.38
73	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	घाना बहेडिया	20	6.70
74	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चन्दली	20	12.54
75	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	उडिया	20	8.10
76	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	धौलश्री	23	1.76
77	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	कठोतिया	20	1.10
78	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	भुंआरा	18	7.48
79	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	भाडोन	35	5.52
80	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	घाना	19	12.73
81	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चिकली	27	90.76
82	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	तिखावन	48	5.43
83	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	रेहली	12	70.75
84	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	कैलकच्छ	13	145.63
85	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	सिलारी खुर्द	14	19.56
86	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बीसाबाड़ी	16	65.07
87	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	सतहरी	15	16.08
88	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	विलगंवा	16	1.14
89	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	ककरूआ	17	65.96
90	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चौरास	11	331.32
91	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बारहकलां	18	164.42
92	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बरबटपुर	18	90.61
93	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चन्दपुरा	15	76.84
94	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	अण्डिया	23	126.30
95	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बड़ीकेलकच्छ	23	236.25

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
96	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	अनघेारा	22	81.92
97	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	किरगीखुर्द	14	72.96
98	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चिरचिटा	22	5.75
99	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बांसखेडा	6	765.58
100	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	रोसरा	41	60.18
101	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	छींद	45	5.32
102	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	नयागांव	22	1.24
103	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	उदयपुरा	11	32.90
104	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	उरदमऊ	30	1.87
योग तहसील उदयपुरा						2858.42
105	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	पोनिया	24	3.55
106	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	पांजरा	23	20.78
107	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	भोपतपुर	21	8.54
108	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	केकड़ा	34	14.46
109	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	मोथागांव	27	41.24
110	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	बीझा	22	4.96
111	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	कानीवाड़ा	22	15.76
112	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	दिघावन	35	5.56
113	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	रमखिरिया	23	0.42
114	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	पतई	40	75.10
115	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	सांईखेडा	35	20.75
116	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	आलीबाड़ा	45	42.95
117	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	घूरपुर	9	35.02
118	रायसेन	देवरी	उदयपुरा	देवरी चिकली	24	5.94
योग तहसील देवरी						295.03
महायोग :-						6871.95

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./नर्मदा/2022-23/1138 ,मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु नर्मदा शुगर्स प्रा.लि., सांलीचौका, जिला नरसिंहपुर (म.प्र) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	आडेगांव	3	224.51
2	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	डुंगरिया	6	232.25
3	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	ढिगसरा	10	60.98
4	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पोडार	6	32.72
5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	ढाना	10	2.40
6	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	देवरी	17	266.25
7	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	मिड्वानी	16	79.30
8	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पालीखेरी	24	90.36
9	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	सासबहू बासखेडा	30	625.35
10	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	सासबहू	24	16.67
11	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	खिरिया गरधा	28	112.21
12	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	गाडरवारा	21	39.47
13	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	सोकलपुर	35	100.43
14	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	झाझनखेडा	14	208.33
15	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	घुटंगो	16	85.91
16	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	आमगाँव	11	274.30
17	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	छोटी बनखेडी	9	108.77
18	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	खैरूआ	6	283.39

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
19	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	आमढाना	2	26.21
20	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	खमारिया	7	93.32
21	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	जाईखेडा	5	81.95
22	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	सँवरी	3	40.42
23	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	कोसकरपा	13	75.75
24	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	खुर्सीपार	16	344.62
25	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	ज्वारा	21	120.62
26	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पिठेरा	12	89.91
27	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	चादौंन	26	103.30
28	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पिठेरा A	12	35.66
29	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	नंदनेर	7	247.88
30	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	दहल्वाडा	10	172.98
31	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	बेलखेडी	4	133.48
32	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पिठवानी	12	16.80
33	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	कठोतिया	25	156.92
34	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	मेहगवा	23	17.74
35	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	खेरी सुदरास	22	48.87
36	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	दहल्वाडा (थल)	29	77.15
37	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	उकासघांट	28	48.13
38	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	गोलगांव	25	68.27
39	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	बैरागड	13	18.44
40	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	मेहगवा (कला)	23	22.61
41	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	सहावन	4	175.24
42	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	छोटी बाबई	6	53.49
43	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	पनागर	5	56.94
44	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	खिरिया	9	82.66

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
45	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	मारेगाँव	9	98.86
46	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	केशला	6	102.67
47	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	पिपरियाखुर्द	31	253.96
48	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	झिरिया	31	169.38
49	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेड़ा	करहिया	31	53.98
50	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	सालिचौका	5	78.01
51	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	अमाडा	9	264.18
52	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	पचामा	11	263.36
53	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	भाटरा	10	90.01
54	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	इमालिया	14	198.13
55	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	बसुरिया	10	187.92
56	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	बारछी	12	88.36
57	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	बरहाबड़ा	15	5.26
58	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	रहमा	13	7.42
59	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	पलेरा	15	23.98
60	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	भामका	14	50.55
61	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	पिपारिया इमलिया	18	111.72
62	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	जमाड़ा	19	22.38
63	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	भूतखेडा	20	19.13
64	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	लावासर	14	5.26
				महायोग:-		7347.45

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./दुर्गा/2022-23/॥ 40 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स, मेन्द्राना (पानसेमल), जिला-बड़वानी (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	जुनापानी	12	69.20
2	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	आमदा	10	10.00
3	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	जलगोन	12	63.00
4	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	चुनाभटटी	15	7.20
5	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	पानसेमल	5	8.80
6	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	घरडगाव	14	33.00
7	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	दोदंवाडा	12	7.40
8	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	दगरघाटी	16	5.20
9	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	राजपुरा	20	21.80
10	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	गौरीखेडा	14	6.60
11	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	दिवडीया	14	9.20
12	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	देवधर	15	12.20
13	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	पिपलोद	18	17.80
14	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	पिपरानी	14	26.80
15	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	खडकी	8	24.00
16	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	पन्नाली	16	43.20
17	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	ओसवाडा	7	3.00
18	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	हरण्या	17	20.40
19	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	रामपुरा	14	8.00
20	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	पाडल्या	20	21.40
21	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	भिल आमदा	12	15.20
22	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	ललवानीया	18	4.60
23	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मेन्दाना	1	38.20

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
24	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	कानसुल	3	184.00
25	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	गोगंवाडा	10	51.40
26	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बालझिरी	4	23.60
27	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	जाहुर	10	83.20
28	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	भमराटा	7	52.80
29	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मेलन	4	42.20
30	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	निसरपुर	8	98.60
31	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	टेमला	15	197.20
32	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	खोडामोहाली	18	36.90
33	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	दुधी	15	57.60
34	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	भडगोन	15	130.40
35	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मोरतलाई	22	230.20
36	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	खेतिया	10	13.00
37	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बेहडीया	12	169.60
38	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	भातकी	14	120.80
39	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बांदयाबड	16	11.80
40	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मलगांव	13	77.00
41	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मल्फा	13	101.80
42	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	आमझिरी	20	8.40
43	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	टेमली	15	19.20
44	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बबुलताड	10	109.40
45	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	रोकडीया	10	21.20
46	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बागदेव	10	44.40
47	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	करनपुरा	15	17.20
48	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बायगोर	13	5.60
49	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मालकातर	12	31.20
50	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मतराला	9	14.80
51	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	कालाआंबा	15	5.20
52	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	टाकली	7	4.60
53	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मोयदा	13	10.40
54	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	शिवनीपाडा	22	3.00
55	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	बंधारा	17	5.00
56	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	सकराली	12	5.60
57	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	वागंरया	18	2.00
58	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	चिचल्या	19	1.20
59	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	मलकुई	15	2.00
60	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	तलावडी	15	1.20
61	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	राखी	18	36.00
62	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	धावडी	23	14.60
63	बडवानी	पानसेमल	पानसेमल	उची भातकी	18	54.60
महायोग						2575.10

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./हनुमंत/2022-23/1152 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु हनुमंत शुगर प्रा.लि., जीन जोड़-दनोरा, जिला- बैतूल (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
1	बैतूल	बैतूल	बैतूल	अटारी	6	3.45
2	बैतूल	बैतूल	बैतूल	चांदबेहडा	5	44.15
3	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कहुपानी	2	0.36
4	बैतूल	बैतूल	बैतूल	डोलीढाना	32	47.00
5	**बैतूल**	**बैतूल**	**बैतूल**	**करपा**	7	**2.47**
6	बैतूल	बैतूल	बैतूल	अकटबाडा	12	32.02
7	बैतूल	बैतूल	बैतूल	आमला	5	6.79
8	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बोरगांव	3	4.74
9	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बिटिया	4	8.51
10	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बादीजुनाबानी	6	10.14
11	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भायाबाडी	7	89.60
12	बैतूल	बैतूल	बैतूल	डहरगांव	13	57.46
13	बैतूल	बैतूल	बैतूल	दनोरा	1	18.81
14	बैतूल	बैतूल	बैतूल	देवगांव	10	31.91
15	बैतूल	बैतूल	बैतूल	देवठान	3	25.91

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
16	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ढोल	12	30.00
17	बैतूल	बैतूल	बैतूल	डुन्डाबोरगांव	7	34.57
18	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गुनीघाट	9	0.72
19	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोलीबरगी	14	39.88
20	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोहची	15	21.80
21	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोन्डीबरगी	10	14.45
22	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गढीखेडा	13	52.63
23	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गजपुर	9	63.92
24	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गढा	5	14.98
25	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गेहूरास	10	45.43
26	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोन्दरा	8	28.75
27	बैतूल	बैतूल	बैतूल	घाना	14	29.73
28	बैतूल	बैतूल	बैतूल	हिवरखेडी	7	155.78
29	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जीन	2	5.75
30	बैतूल	बैतूल	बैतूल	झाडेगांव	13	65.08
31	बैतूल	बैतूल	बैतूल	झागडिया	10	42.85
32	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कुमहारिया	5	14.23
33	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कोराबनढाना	12	14.77
34	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कल्याणपुर	14	34.55
35	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खापा	4	32.84
36	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खापरखेडा.	10	9.95
37	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खेडीसावलीगड	14	26.45
38	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खोखरा	5	13.65
39	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कोदारोटी	7	103.35

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
40	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कनारा	14	3.63
41	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कुम्हली	3	5.91
42	बैतूल	बैतूल	बैतूल	लापाझिरी	12	100.91
43	बैतूल	बैतूल	बैतूल	लावन्या	11	30.45
44	बैतूल	बैतूल	बैतूल	महदगांव	15	92.36
45	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मंडई बुजुर्ग	7	67.63
46	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मंडई खुर्द	8	114.46
47	**बैतूल**	**बैतूल**	**बैतूल**	**महुपानी**	**11**	**2.53**
48	बैतूल	बैतूल	बैतूल	माकडा	14	0.50
49	बैतूल	बैतूल	बैतूल	माथनी	7	19.47
50	बैतूल	बैतूल	बैतूल	नयेगांव	13	20.28
51	बैतूल	बैतूल	बैतूल	पांगरा	7	78.30
52	**बैतूल**	**बैतूल**	**बैतूल**	**प्रभुढाना**	**6**	**3.36**
53	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रातामाटी बुजुर्ग	7	27.15
54	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रातामाटी खुर्द	5	36.07
55	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रातामार्टी	9	4.30
56	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रावनबाडी	15	35.56
57	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सेंदुरजना	3	43.85
58	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सातईमली	7	22.95
59	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सेहरा	10	8.44
60	बैतूल	बैतूल	बैतूल	साकादेही	15	20.09
61	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सावंगा	15	12.17
62	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सेलगांव	16	15.73
63	बैतूल	बैतूल	बैतूल	टेकरा	15	9.36

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
64	बैतूल	बैतूल	बैतूल	टहली	3	2.49
65	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ठानी	16	14.94
66	बैतूल	बैतूल	बैतूल	उमरबानी	16	10.56
67	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बासपानी	16	1.51
68	बैतूल	बैतूल	घोडाडोंगरी	झाडकुंड	12	16.94
69	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बाबई	26	22.57
70	बैतूल	बैतूल	बैतूल	दभेरी	26	11.42
71	बैतूल	बैतूल	बैतूल	डोक्या पाढर	25	64.19
72	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ढोंढबाडा	25	27.38
योग तहसील बैतूल						2226.88
73	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	मालसिवनी	21	1.62
74	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	मेढापानी	15	3.91
75	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	नीमपानी	21	20.93
76	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	पांडरा	7	6.53
77	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	फांडका	26	4.83
78	बैतूल	घोडाडोंगरी	शाहपुर	पीसाजोडी	16	18.33
79	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	आमागोहन	30	18.75
80	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	आमढाना	31	9.28
81	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	आवरिया	18	33.42
82	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	अनकाबाडी	35	1.01
83	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	बजरबाडा	18	6.68
84	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	भुडकीपचामा	23	24.32
85	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	छुरी	18	28.68
86	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	छुरी रानीपुर	32	10.06

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
87	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	33	2.19
88	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	जाखली	16	6.30
89	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	जुबाडी रानीपुर	41	86.15
90	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	कोयलारी	43	2.55
91	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	कोटखेडा	51	2.51
92	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	खारी	22	6.18
93	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	कुहीजोड	40	5.96
94	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	मायावानी	39	4.37
95	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	मर्दवानी	23	2.24
96	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	मेहकार	40	6.12
97	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	रानीपुर	35	11.60
98	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	सलैया	39	2.04
99	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	खैरवानी	90	1.05
100	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	मडकाढाना	55	3.03
101	बैतूल	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	राजेगांव खापा	90	5.32
योग तहसील घोड़ाडोंगरी						335.96
102	बैतूल	आठनेर	आठनेर	सातनेर	22	17.85
103	बैतूल	आठनेर	भैंसदेही	अक्कलबाडी	45	8.43
योग तहसील आठनेर						26.28
104	बैतूल	चिचोली	चिचोली	आदर्श दनोरा	27	3.86
105	बैतूल	चिचोली	चिचोली	असाडी	14	10.70
106	बैतूल	चिचोली	चिचोली	अक्तीखेडा	11	44.87
107	बैतूल	चिचोली	चिचोली	बरंगवाडी	10	89.82
108	बैतूल	चिचोली	चिचोली	बोरी	6	104.01
109	बैतूल	चिचोली	चिचोली	बांडीखापा	7	10.21

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
110	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चिचोली	9	193.50
111	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चिरापाटला	29	11.51
112	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चुडिया	13	269.64
113	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चुनागोसाई	19	9.74
114	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चूनाहुजुरी	19	116.06
115	बैतूल	चिचोली	चिचोली	चूरनी	26	0.45
116	बैतूल	चिचोली	चिचोली	देवपुर कोटमी	8	7.84
117	बैतूल	चिचोली	चिचोली	दुधिया	13	27.62
118	बैतूल	चिचोली	चिचोली	ढोलिया	8	35.49
119	बैतूल	चिचोली	चिचोली	धौल	15	1.36
120	बैतूल	चिचोली	चिचोली	फोगरिया	11	85.49
121	बैतूल	चिचोली	चिचोली	गोधना	15	74.49
122	बैतूल	चिचोली	चिचोली	गोडुमंडई	11	219.02
123	बैतूल	चिचोली	चिचोली	हर्रावाडी	12	17.40
124	बैतूल	चिचोली	चिचोली	हरन्या	16	11.30
125	बैतूल	चिचोली	चिचोली	हरदू	15	24.01
126	बैतूल	चिचोली	चिचोली	इमलीढाना	10	11.53
127	बैतूल	चिचोली	चिचोली	जोगली	3	158.38
128	बैतूल	चिचोली	चिचोली	जीतूढाना	16	1.75
129	बैतूल	चिचोली	चिचोली	जडीढाना	5	27.69
130	बैतूल	चिचोली	चिचोली	जामठी	6	18.35
131	बैतूल	चिचोली	चिचोली	कटकुही	8	63.88
132	बैतूल	चिचोली	चिचोली	ख्वानिया	14	22.28
133	बैतूल	चिचोली	चिचोली	खैरी	12	20.96

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
134	बैतूल	चिचोली	चिचोली	कोढर	11	97.47
135	बैतूल	चिचोली	चिचोली	मलाजपुर	8	88.62
136	बैतूल	चिचोली	चिचोली	मागारोढी	7	4.56
137	बैतूल	चिचोली	चिचोली	मोतीपुर	19	15.24
138	बैतूल	चिचोली	चिचोली	मिर्जापुर	2	40.90
139	बैतूल	चिचोली	चिचोली	नसीराबाद	8	73.80
140	बैतूल	चिचोली	चिचोली	निवारी	9	178.55
141	बैतूल	चिचोली	चिचोली	नाहरपुर	9	4.00
142	बैतूल	चिचोली	चिचोली	पाठाखेडा	21	2.43
143	बैतूल	चिचोली	चिचोली	रोझडा	8	64.69
144	बैतूल	चिचोली	चिचोली	सीताडोगरी	14	49.71
145	बैतूल	चिचोली	चिचोली	सिंगारचोडी	17	5.19
146	बैतूल	चिचोली	चिचोली	साउथखेडा	16	11.35
147	बैतूल	चिचोली	चिचोली	सिपलई	9	0.53
148	बैतूल	चिचोली	चिचोली	विरपुर विघवा	10	138.80
149	बैतूल	चिचोली	चिचोली	आदर्श दनोरा	18	4.33
150	बैतूल	चिचोली	चिचोली	बालीरईयत	30	7.50
151	बैतूल	चिचोली	चिचोली	बीजादेही	70	10.84
152	बैतूल	चिचोली	चिचोली	सिप्लई	16	3.36
153	बैतूल	चिचोली	चिचोली	मंडई झाडकुण्ड	16	151.43
योग तहसील चिचोली						**2646.53**
154	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	झिरना	60	7.62
155	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	भीमपुर	19	16.61
156	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	बोरगांव डेम	28	6.16

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
157	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	बक्का चिखली	16	44.97
158	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	चुनालोमा	5	5.27
159	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	गधाखार	29	2.94
160	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	हिडली	15	5.27
161	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	झापल	22	1.71
162	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	कुंखेडी	33	7.98
163	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	कुटंगा	19	1.97
164	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	काजरी	12	16.02
165	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	कुण्ड	12	9.72
166	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	लक्कडजाम	15	24.13
167	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	मनकदण्ड	21	1.33
168	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	पिपारिया	42	3.02
169	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	पातरी	21	0.70
170	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	रतनपुर	17	3.32
171	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	सेमलडोल	19	25.09
172	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	बालनेर	31	3.15
173	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	बरहापुर	33	9.18
174	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	बासनेरखुर्द	33	6.73
175	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	बासनेरकलां	31	31.18
176	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	भैंसदेही	36	12.24
177	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	कासिया	32	0.96
178	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	ढोढरा	24	1.47
179	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	गुदगांव	39	29.06
180	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	गुल्लाढाना	23	2.85

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
181	**बैतूल**	**भैंसदेही**	**भैंसदेही**	**जामू**	**55**	**12.92**
182	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	जामझिरी	34	2.39
183	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	कोयलारी	33	11.84
184	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	केसिया	19	52.34
185	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	कोढीया	44	13.51
186	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	माछी	22	2.79
187	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	मालेगांव	29	18.09
188	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	नकतीढाना	17	0.61
189	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	पोहर	38	4.65
190	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	रातामाटी कलां	27	11.51
191	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	रोनीखेडा	20	0.61
192	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	सिहार	31	11.43
193	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	सिरजगांव	34	0.73
194	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	सोनाझार	16	15.09
195	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	उनती	23	1.70
196	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	उमरी	22	5.09
197	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	विजयग्राम	30	4.83
198	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	बोरगांव मच्छी	35	0.81
199	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	चिल्लोर	62	22.19
200	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	देवरगांव	55	4.74
201	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	डोरी	40	0.51
202	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	ग्वाडी	35	4.73
203	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	जाबरा	52	7.89
204	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	झल्लार	40	4.87

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
205	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	खामापुर	40	1.63
206	बैतूल	भैंसदेही	भीमपुर	मोहदा	60	0.62
207	बैतूल	भैंसदेही	भैंसदेही	सिमोरी	25	54.23
				योग तहसील भैंसदेही		552.96
208	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	अवारिया	14	33.91
209	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	बोंदरी	15	10.01
210	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	घिसीबागला	17	19.72
211	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	हाथीकुंड	16	42.84
212	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	कान्हेगांव	13	6.55
213	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	कोटमी	37	2.11
214	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	कुप्पा	18	6.00
215	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	पाढर	24	36.52
216	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	रामपुर	18	10.29
217	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	शाहपुर	30	15.51
218	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	टपपा	16	32.52
219	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	तारा	16	39.96
220	बैतूल	शाहपुर	घोडाडोंगरी	चिखलीमाल	20	225.07
221	बैतूल	शाहपुर	घोडाडोंगरी	पलासपानी	23	6.69
222	बैतूल	शाहपुर	घोडाडोंगरी	सीतलझिरी	31	15.09
223	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	पाहावाडी	55	1.34
224	बैतूल	शाहपुर	शाहपुर	टेमरू रईयत	60	2.42
				योग तहसील भैंसदेही		506.57
				महायोग —		6295.18

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./शक्ति/2022-23/1145 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. कौड़िया, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कोडिया	2	599.54
2	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	केंकडा	4	222.27
3	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	भरता	3	123.11
4	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	बरेली	5	169.33
5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	कजरोटा	5	131.97
6	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	चिरहा खुर्द	3	144.99
7	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	चामचोन	7	97.29
8	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	खापा	8	23.22
9	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	बगदरा	8	113.13
10	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	सांगई	7	29.14
11	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	महुआखेडा	18	9.12
12	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	धोंखेडा	10	45.26
13	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	नीमच	10	18.77
14	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सडूमर	6	603.77
15	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	छीरिया	2	265.44
16	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कोथिया	9	164.80
17	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	महगुवन	4	215.70
18	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सूकरी	4	149.05
19	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	गनवे	5	99.94

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
20	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	लिलवानी	7	274.05
21	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	इमलिया	4	68.49
22	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	पलोहा	12	242.87
23	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	खैरी	15	130.91
24	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	रिछावर	15	36.55
25	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	अमोडा	15	211.55
26	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	टिमरावन	15	45.79
27	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	भटेरा	12	94.32
28	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	कारजूनगर	25	44.37
29	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	बिछुआ	11	68.91
30	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	नरवारा	10	110.93
31	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	खखरिया	10	390.89
32	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	गूजरखेडा	18	81.95
33	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	भैंसा	7	255.28
34	नरसिंहपुर	गाडरवारा	सॉईखेडा	गूजर झिरिया	6	178.67
35	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	अठाईसा	7	125.40
36	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बोहानी	3	439.26
37	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	अमांई	4	33.26
38	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	रहली	5	108.99
39	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	नयॉगाव	5	129.47
40	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	लाखा	6	34.25
41	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सुपारी	7	73.64
42	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	देगुवान	7	162.25
43	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	तिगुवन	9	117.98
44	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सलैया	9	78.90
45	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बहरा	10	52.75
46	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सुरना	27	64.32
47	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मनकवारा	6	84.38
48	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बरांज	4	106.30
49	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	गगनवारा	6	35.10
50	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बम्होरी	7	101.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
51	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	मटवारा	8	84.20
52	नरसिंहपुर	गाडरवारा	बाबई चीचली	टेकापार	9	144.42
53	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सिहोरा	9	125.41
54	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	हर्रई	15	74.23
55	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	घांट पिपरिया	6	138.21
56	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	अजानसरा	10	161.89
57	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	चिरचिरा	6	70.50
58	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मरका	7	45.78
59	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सुजवारा	7	66.76
60	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बुधवारा	8	80.46
61	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	ढाडिया	7	207.73
62	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	शेरबरान्ज	17	118.58
63	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	गरहा	9	177.36
	महायोग					8704.75

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./ पार्वती/2022-23/1146, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि. ग्राम- सांखनी, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सांखनी	2	221.68
2	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	छोटी–झाऊ	5	5.03
3	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बडी–झाऊ	4	23.43
4	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खडीचा	2	31.85
5	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मछरिया	5	2.12
6	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	लुहारी	6	191.75
7	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	पंवाया	10	5.37
8	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	रायचौरा	6	3.11
9	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बागवई	12	0.62
10	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सोंता खिरिया	15	0.81
11	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	भानगढ़	16	3.30
12	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	घाटमपुर	12	2.20
13	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सैंतोल	18	1.95
14	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	देवरा	17	4.07
15	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गोबरा	20	5.40
16	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गडाजर	18	0.94
17	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बरुआ	14	11.05
18	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	नजरपुर	20	3.76
19	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	किठौंदा	16	7.75
20	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	रही	22	1.66
21	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मारगपुर	21	2.59
22	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बेला	26	18.46
23	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बाजना	31	46.41
24	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	ईंटों	24	21.70
25	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खोर	25	2.20
26	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	स्याऊ	32	2.67
27	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	डोंगरपुर	29	8.48

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
28	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	रिछारी–खुर्द	25	24.69
29	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गाजना	30	9.02
30	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	जतरथी	26	1.12
31	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	चिटोली	26	2.76
32	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	करहिया	27	1.32
33	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मावठा	22	0.96
34	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सहबई	27	1.28
35	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मस्तूरा	22	7.22
36	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मोहनगढ़	21	7.81
37	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बामरोल	16	21.51
38	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बसई	7	35.85
39	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	जरावनी	24	16.88
40	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	करनगढ़	23	3.20
41	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बिची	27	5.98
42	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मिहावरा	24	1.89
43	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बडौदा	26	1.10
44	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खेडा	25	38.83
45	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गधोटा	21	0.41
46	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	डडूमर	12	0.83
	योग तहसील भितरवार					813.02
47	ग्वालियर	डबरा	डबरा	करियावटी	5	14.74
48	ग्वालियर	डबरा	डबरा	शीतलपुर	9	0.24
49	ग्वालियर	डबरा	डबरा	जतरथी	7	47.65
50	ग्वालियर	डबरा	डबरा	झांडोली	8	8.43
51	ग्वालियर	डबरा	डबरा	धिरौरा	8	28.22
52	ग्वालियर	डबरा	डबरा	किशोली	10	8.50
53	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बिजकपुर	24	119.37
54	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बरुआ	14	59.77
55	ग्वालियर	डबरा	डबरा	जरावनी	15	96.38
56	ग्वालियर	डबरा	डबरा	ररुआ	12	18.55
57	ग्वालियर	डबरा	डबरा	मसूदपुर	12	46.40
58	ग्वालियर	डबरा	डबरा	लोहगढ़	20	2.53
59	ग्वालियर	डबरा	डबरा	भैंसनारी	20	8.17
60	ग्वालियर	डबरा	डबरा	लिधोरा	14	4.88
61	ग्वालियर	डबरा	डबरा	शक्ति का पुरा	15	1.96
62	ग्वालियर	डबरा	डबरा	सिमिरिया	15	89.10
63	ग्वालियर	डबरा	डबरा	मिलघन	15	0.41
64	ग्वालियर	डबरा	डबरा	नुन्हारी	14	52.91
65	ग्वालियर	डबरा	डबरा	सिद्धपुरा	20	2.59
66	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चितावनी	33	35.38

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
67	ग्वालियर	डबरा	डबरा	डबरा	25	13.34
68	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चांदपुर	30	85.67
69	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चैतुपाडा	28	59.02
70	ग्वालियर	डबरा	डबरा	हरिपुर	28	79.06
71	ग्वालियर	डबरा	डबरा	हसनपुर	27	21.22
72	ग्वालियर	डबरा	डबरा	कर्रा	28	5.68
73	ग्वालियर	डबरा	डबरा	किशनपुर	28	5.37
74	ग्वालियर	डबरा	डबरा	रायपुर	35	5.60
75	ग्वालियर	डबरा	डबरा	रामपुर	27	15.16
76	ग्वालियर	डबरा	डबरा	गैडोल–कला	30	7.29
77	ग्वालियर	डबरा	डबरा	मगरोरा	32	46.60
78	ग्वालियर	डबरा	डबरा	कंचनपुर	25	6.52
79	ग्वालियर	डबरा	डबरा	अरुषि	35	72.06
80	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बेलगाड़ा	40	63.28
81	ग्वालियर	डबरा	डबरा	गजापुर	47	56.81
82	ग्वालियर	डबरा	डबरा	जनकपुर	33	1.36
83	ग्वालियर	डबरा	डबरा	अजयगढ़	45	3.64
84	ग्वालियर	डबरा	डबरा	निभेरा–चक	32	2.49
85	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बरोल	29	0.26
86	ग्वालियर	डबरा	डबरा	खडबई	35	2.07
87	ग्वालियर	डबरा	डबरा	छीमक	20	3.19
88	ग्वालियर	डबरा	डबरा	सिरसा–सेकरा	25	2.26
89	ग्वालियर	डबरा	डबरा	गुलिहाई	27	1.26
90	ग्वालियर	डबरा	डबरा	लीटापुरा	25	4.14
	योग तहसील डबरा					1,209.53
91	ग्वालियर	घाटीगांव	घाटीगांव	रावत बनवारी	53	0.80
	योग तहसील घाटीगांव					0.80
92	शिवपुरी	नरवर	करैरा	आंडर	44	4.63
93	शिवपुरी	नरवर	करैरा	करही	41	17.04
94	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बांसगड़	45	11.29
95	शिवपुरी	नरवर	करैरा	कोटिया–खेडा	46	4.06
96	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बेरखेडा	48	2.86
97	शिवपुरी	नरवर	करैरा	खडीचा	39	1.16
98	शिवपुरी	नरवर	करैरा	रमगडा	42	1.81
99	शिवपुरी	नरवर	करैरा	डाबर अली	40	7.77
100	शिवपुरी	नरवर	करैरा	फतेहपुर	48	0.34
101	शिवपुरी	नरवर	करैरा	ग्वालिया	46	3.59
102	शिवपुरी	नरवर	करैरा	जैतपुर	48	0.92
103	शिवपुरी	नरवर	करैरा	दुमदुमा	47	0.51
104	शिवपुरी	नरवर	करैरा	निवाड़ी	46	0.51
105	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बनगवां	48	0.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
106	शिवपुरी	नरवर	करैरा	धमधोली	45	11.62
107	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बहगवां	40	5.78
108	शिवपुरी	नरवर	करैरा	छितरी	38	10.22
109	शिवपुरी	नरवर	करैरा	कारेवाहा	35	4.32
110	शिवपुरी	नरवर	करैरा	नैनागिर	42	2.85
111	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बरशोडी	24	5.60
112	शिवपुरी	नरवर	करैरा	नरौआ	47	4.96
113	शिवपुरी	नरवर	करैरा	हाजीनगर	47	5.17
114	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दबरा–सानी	16	51.70
115	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भीमपुर	40	0.33
116	शिवपुरी	नरवर	नरवर	हरसी	30	0.36
117	शिवपुरी	नरवर	नरवर	केरुआ	32	19.35
118	शिवपुरी	नरवर	नरवर	ठाठी	40	0.18
119	शिवपुरी	नरवर	नरवर	धोवट	23	12.48
120	शिवपुरी	नरवर	नरवर	निजामपुर	35	2.81
121	शिवपुरी	नरवर	नरवर	पनानेर	25	0.60
122	शिवपुरी	नरवर	नरवर	खिरिया	24	4.30
123	शिवपुरी	नरवर	नरवर	लोढ़ी	23	16.09
124	शिवपुरी	नरवर	नरवर	बेलगडा	26	13.49
125	शिवपुरी	नरवर	नरवर	इमिलिया	30	1.21
126	शिवपुरी	नरवर	करैरा	पपरेडु	15	238.55
	योग तहसील नरवर					**469.06**
127	दतिया	बडौनी	दतिया	बडगोर	10	36.03
128	दतिया	बडौनी	दतिया	सईंडा–कला	13	27.94
129	दतिया	बडौनी	दतिया	सईंडा–खुर्द	11	192.27
130	दतिया	बडौनी	दतिया	पांचौर मडईया	15	0.50
	योग तहसील बडौनी					**256.74**
131	दतिया	इंदरगढ़	सेवड़ा	भदौना	37	220.00
132	दतिया	इंदरगढ़	सेवड़ा	जुझारपुर	45	267.00
	योग तहसील इंदरगढ़					**487.00**
	महायोग					**3,236.15**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./रामदेव/2022-23//148 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु रामदेव शुगर प्रा. लि., ठैनी, बनखेड़ी, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	ठैनी	2	56.96
2	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	लामटा	3	39.07
3	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	चिल्लोद	4	75.96
4	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बन्दरझिला	6	62.12
5	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	मनकवाडा	3	69.24
6	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	तिन्दवाडा	9	27.91
7	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	मछेरा खुर्द	10	6.98
8	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	मछैरा कलॉ	12	53.16
9	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	रहटवाड़ा	4	147.25
10	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	नगवाडा	8	158.98
11	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जोगीवाडा	7	45.52
12	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	दहलवाडा कलॉ	6	94.23
13	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पीपरपानी	9	226.39
14	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कोठरी	11	82.49
15	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	छीरपानी	13	46.02
16	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खवारा	12	0.31
17	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जूनावाली ढाना	8	65.71
18	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पलियापरिया	6	80.55
19	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जुन्हेटा	9	166.95
20	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खर्चली	11	85.28
21	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कामती	15	155.05

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
22	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	केंकड़ा	17	62.16
23	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	मुर्गीढ़ाना	16	52.47
24	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	विजनहाई	21	39.77
25	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	डंगरहाई	25	92.67
26	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खापा कलॉ	19	59.03
27	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खापा खुर्द	11	44.13
28	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पथरकुही	11	117.68
29	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	धडाव	24	27.73
30	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	झिरिया	21	0.57
31	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	माल्हानवाडा	9	5.82
32	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पनागर	12	49.46
33	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	ढाना	13	10.87
34	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बहराबन	12	6.18
35	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	परसवाडा	13	3.52
36	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	नांदना	14	16.36
37	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	रिछेड़ा	16	23.11
38	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सुरैला	17	50.24
39	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	अन्हाई	20	60.86
40	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बारछी	22	16.88
41	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सलैया फज्जू	23	4.69
42	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	झूमर	27	1.53
43	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पुरैना रंधीर	26	15.99
44	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जेतवाडा	28	1.53
45	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	मेंदाखेड़ा	14	13.36
46	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बनखेड़ी	5	47.61
47	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कलकुही	8	76.97
48	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पाजरा	10	65.45
49	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	महुआखेड़ा	13	23.11
50	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बेरखेड़ी	9	54.96
51	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	विचुआ	8	50.76

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
52	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सिगपुर	11	104.53
53	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पडरई	11	62.60
54	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	दहलवाडा खुर्द	10	63.11
55	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	फासीढाना	14	33.63
56	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	झिरिया झोरा	12	8.19
57	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बधराज	14	47.95
58	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कोड़ा परडरई	13	9.88
59	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	नजरखेड़ा	14	4.87
60	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	हनौतिया	12	7.52
61	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बाचावानी	8	148.42
62	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	रजोला	13	75.20
63	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कजियाखेडा	10	26.37
64	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	केमढाना	10	42.35
65	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	आन्धरा	12	43.95
66	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बघेडी	11	8.33
67	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कुर्शीढाना	9	12.51
68	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पौडी	15	40.53
69	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	केसला	10	22.50
70	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बनियाखेडी	15	2.89
71	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	गोदंलवाडा	13	12.06
72	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	भैरोपुर	15	5.63
73	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	घुआवाडी	15	2.17
74	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	धारपुरा	16	3.05
75	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	डुगरिया	20	1.59
76	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सीरावाड़ा	11	6.27
77	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	नयाखेडा	4	10.32
78	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	करैया	6	11.41
79	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खमरिया	5	79.36
80	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	राजथरी	8	30.81
81	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	ईशरपुर	9	57.96
82	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	गुंदरई	11	21.95
83	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	वाहम्नवाडा	9	28.03
84	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	महंगवॉ	11	31.50

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
85	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खैरीकिशोर	12	39.59
86	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	चॉदौन	14	18.18
87	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	करपा	17	10.25
88	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कुडारी	16	14.64
89	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	समनापुर	28	2.83
90	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	उमरधा	25	29.21
91	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	गाडरवाडा खुर्द	26	27.48
92	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	भाटपिरिया	27	56.81
93	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	इमलिया	27	75.47
94	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	गरधा	8	49.91
95	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	खामखेडी	9	11.32
96	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जासरवानी	13	14.78
97	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	चारगॉव	11	8.34
98	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	कपूरी	13	47.74
99	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	आमगॉव	16	27.74
100	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जमुनिया	17	8.26
101	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सेमखेडा	19	10.75
102	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	महुआखेड़ा	14	14.46
103	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	निभौरा	22	100.15
104	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	अम्होरा	16	1.26
105	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पठा	26	9.93
106	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	राजा पिपरिया	26	9.08
107	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	बारछी	22	16.88
108	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	सलैया फज्जू	23	4.69
109	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	पुरैना रंधीर	26	15.99
110	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	डूमर	27	1.53
111	होशंगाबाद	बनखेड़ी	बनखेड़ी	जेतवाडा	28	1.53
					योग तहसील बनखेड़ी:-	**4537.84**
112	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	परसवाड़ा	27	2.33
113	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	खैराघाट	25	33.74
114	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	सिगौडा	17	26.40
115	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	सिगौडी	14	15.53
116	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	बकांज	12	2.55

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
117	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	रिछेडापिपरिया	26	16.20
118	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	नयागांव	26	1.47
119	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	कन्हवार	12	36.85
120	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	देवरी	23	5.34
121	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	उदयपुरा	23	1.76
122	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	सिरपन	20	1.05
123	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	इटुआ	19	1.48
124	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	टडा	17	4.39
125	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	ढाडिया पिप.	27	8.79
126	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	बरूआढाना	36	4.61
127	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	पुनौर	23	3.12
128	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	पचुआ	44	5.85
129	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	पडखरा	19	1.35
130	**होशंगाबाद**	**पिपरिया**	**पिपरिया**	**पारखी**	**15**	**4.52**
131	होशंगाबाद	पिपरिया	पिपरिया	ठूटा दहलवाडा	21	3.02
	योग तहसील पिपरिया					**180.35**
	महायोग					**4718.19**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./राज.राजे./2022-23/1150, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु राजराजेश्वरी शुगर प्रा. लि., मोहपानी, गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मोहपानी	1	29.00
2	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चारगांव खुर्द	3	51.00
3	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पुआरिया	5	104.00
4	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	माहलनवाडा	8	3.00
5	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	इकलोनी	9	10.00
6	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मानेगाँव	9	8.00
7	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बगलई	12	185.00
8	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सिंहपुर	13	486.00
9	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	ढाना	16	23.00
10	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सीरेगाँव	16	16.00
11	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	गोलगाँव (कलां)	17	36.00
12	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पिपरिया	17	107.00
13	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	धुरसरा	17	17.00
14	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	देवरी	18	2.00
15	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	तेंदूखेड़ा	1	64.00
16	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मऊ	3	104.00
17	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	घघरोला	3	34.00
18	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	रातीकरार	4	11.00

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
19	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पटकुही	7	7.00
20	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	किरहकोटा	8	43.00
21	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कोठिया	8	48.00
22	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	डोंगराखोह	9	70.00
23	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	नोनिया	9	3.00
24	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बन्दरबरू	10	16.00
25	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बाबाकुड़ी	12	71.00
26	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	छैनाकछार	15	147.00
27	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	ऊखरी	15	4.00
28	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	भैरवपुर	23	6.00
29	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	हीरापुर	25	390.00
30	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	डगहा	30	100.00
31	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पापरा	31	11.00
32	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	प्रेमपुर	31	12.00
33	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सेसाडावर	33	7.00
34	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सूखाखेरी	9	531.00
35	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	थलवाडा	9	143.00
36	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चीचली	10	9.00
37	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	गागई	13	33.00
38	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मगरमुहा	14	30.00
39	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चोर बरहेटा	14	42.00
40	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	दिघौरी	15	24.00
41	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सुदरास	15	9.00
42	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सुदरास खैरी	15	104.00
43	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मेहराखेड़ा	16	7.00
44	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	डोंगरगाँव	18	79.00
45	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कुडारी	18	29.00
46	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	रायपुर	18	164.00

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
47	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	घूरपुर	19	9.00
48	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	नरसरा	19	19.00
49	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चादनखेड़ा	20	133.00
50	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	जैथारी	30	1.00
51	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	आड़ेगाँव	10	325.00
52	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चारगांव कला	10	79.00
53	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	दहलवाडा	11	104.00
54	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	गोलगांव (खुर्द)	13	5.00
55	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मेहगवा खुर्द	15	47.00
56	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	इमालिया (पतलोन)	17	49.00
57	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कान्हरगाँव	19	162.00
58	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पतलोन	19	6.00
59	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	उकासघाट	19	26.00
60	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कठोतिया	20	92.00
61	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मेहगवा कलां	21	182.00
62	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बरेली (सीरेगाँव)	24	99.00
63	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	कामती	23	59.00
64	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	खुर्शीपार	28	33.00
65	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	करहैया	36	1.00
66	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	पिपरिया खुर्द	36	23.00
67	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	पिपरिया कलां	36	110.00
68	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	झिरिया माता	36	11.00
69	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	उड़नी	40	2.00
70	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	टेकापार	40	48.00
71	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	ग्वारी (MOHD)	48	20.00
72	नरसिंहपुर	गाडरवारा	साईखेड़ा	अमोदा	50	173.00
73	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	मालनहवाडा (पनागर)	55	1.00
महायोग :-						5246.00

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./महाकौशल/2022-23/1552मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लि0, बचई, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ:-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बचई	3	64.63
2	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करहैया	3	490.63
3	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बबरिया	3	116.75
4	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मेहमदपुर	4	40.65
5	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	अगरिया	4	109.24
6	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कन्हारपानी	5	354.35
7	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुरली पौड़ी	5	100.76
8	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	चौराखेड़ा	5	180.80
9	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सलैया	5	40.24
10	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डागीढाना	6	144.70
11	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बागपौड़ी	12	227.09
12	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुड़िया	8	108.24
13	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	हनुमत पौड़ी	8	33.20
14	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बैहरपौड़ी	8	146.78
15	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डोकरघाट	12	42.29
16	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भरवारा	13	151.39
17	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खमतरा	14	126.73
18	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पांसी	15	99.30
19	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सेमरा (पांजरा)	16	21.89
20	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	चीलाचौन खुर्द	4	234.83

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
21	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	चिलाचौन कला	10	93.76
22	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	समनापुर	10	84.21
23	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सावलरानी	12	76.22
24	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	धबई बडगुआ	13	57.93
25	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	झार–खुरपा	13	185.86
26	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नवलगांव	13	110.42
27	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	रानी पिपरिया	13	169.27
28	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सूरज गांव	15	36.99
29	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मगरधा (रोसरा)	17	61.61
30	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	टपरयिॉ (धबई)	17	78.15
31	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	झगरहाई	17	75.61
32	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	जरजोला	18	40.09
33	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गंगई	19	42.76
34	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बहोरीपार	15	214.45
35	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	संग्रामपुर	15	29.77
36	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सहजपुरा	18	113.92
37	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	श्यामखेड़ा	22	10.03
38	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	लुरहेटा	24	113.39
39	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खुरपा (बड़ा)	10	276.32
40	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नयाखेड़ा	15	56.34
41	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बारूरेवा	15	104.04
42	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बहोरीपार (धुवघट)	17	32.07
43	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिमरिया (जरजोला)	18	12.17
44	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	धुवघट	20	83.20
45	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खैरी	22	11.73
46	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिंहपुर	25	74.12
47	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डेडवारा	18	3.19
48	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिमरिया (सिंहपुरक्षेत्र)	20	19.91
49	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नदवारा	24	36.20
50	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कुम्हड़ी	24	133.04

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
51	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बहादुरपुर	15	15.36
52	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुँगवानी	15	35.35
53	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भंडारदेव	8	17.54
54	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बकोरी	10	31.86
55	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मढपिपरिया	10	119.63
56	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	केकड़ा	10	4.50
57	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	देवनगर	12	144.19
58	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भालपानी	12	4.00
59	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिहोरा	5	12.88
60	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सलैया (देवनगर)	13	25.77
61	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पिडंरई (पस्ताना)	15	33.04
62	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पस्ताना	15	45.66
63	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करहैया (देवनगर)	15	51.55
64	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	टोला (मुँगवानी)	17	5.11
65	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पटनिया	18	6.95
66	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुडरई कला	18	18.65
67	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गड़रिया	18	3.72
68	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पांजरा	20	0.50
69	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खमरिया (देवनगर)	22	55.62
70	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	विछुआ	38	1.95
71	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पाठा	20	5.62
72	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भोती	22	27.23
73	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नारिया	23	7.49
74	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डुढवारा	23	19.84
75	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कठोतिया (मुँगवानी)	25	5.91
76	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	लवेरी	26	5.96
77	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	लिघारी	26	4.92
78	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गोगावरी	27	17.73

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
79	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पिपरिया	30	16.80
80	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	घोघरा	31	1.52
81	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गोरखपुर	35	59.68
82	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कोदारास कला	25	8.36
83	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मेहगांव	40	5.06
84	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पाला मुडरई	47	11.24
85	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ऊसरी	50	40.62
86	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	आलोद	52	2.15
87	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कछरा	19	2.50
88	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	लोकीपार	32	44.29
89	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बरखेड़ा	29	11.51
90	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कल्यानपुर	32	168.29
91	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भैसापाला	32	50.42
92	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	भूत–पिपरिया	35	53.34
93	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	16	59.54
94	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	पाला (भैसा)	33	54.93
95	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	तिदंनी (बम्होरी)	35	18.76
96	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सुपला	25	29.88
97	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	धमना	28	97.83
98	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सगोनी (सुपला)	28	33.47
99	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डुडी–पिडंरई	29	12.15
100	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	रानी–पिडंरई	29	27.20
101	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खापा	30	51.05
102	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सगोनी लकड़हाऊ	30	8.57
103	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नयागांव (धमना)	30	112.22
104	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बम्होरी (तिदनी)	32	29.27
105	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मचवारा	32	54.28
106	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	घाट–पिडरई	34	15.46
107	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मुराच	36	7.77
108	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	महादेव–पिपरिया	38	12.81

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
109	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करहैया (नर्मदा)	38	79.86
110	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गुटोरी	32	8.57
111	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	झिरी	32	43.98
112	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	अंडिया	22	12.20
113	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डोगरगांव	32	131.28
114	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	खमरिया (जरजोला)	21	73.64
115	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मेंहका	0	3.83
116	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	घुघरी	0	1.58
117	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करहैयाखेड़ा	0	15.15
118	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सालीवाड़ा	25	2.06
119	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मल्लाह–पिपरिया	35	102.22
120	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	चंद्रपुरा	40	24.65
121	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गडरियाखेड़ा	44	42.48
122	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गुडवारा	45	2.25
योग तहसील नरसिंहपुर						**7644.51**
123	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	शेड़–बेलखेड़ी	20	368.75
124	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खानापुर	23	25.42
125	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	शेड़–मगरधा	24	304.90
126	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सूरवारी	25	277.40
127	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रीछा	25	131.51
128	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बेदू	27	231.53
129	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	छीताघाट	27	22.24
130	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नयागांव (रीछा)	27	23.81
131	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरहटा	28	289.85
132	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	वावली	28	98.59
133	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	चिरचिटा	28	14.86
134	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नोरिया (बरहटा)	30	52.77
135	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	दौन (कछुआ)	32	136.26
136	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रौसरा	32	17.99
137	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	जमुनिया (बरहटा)	34	40.14

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
138	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रौसरी	35	23.14
139	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	भदौर	35	3.14
140	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गाडरवाडा खेड़ा	18	31.75
141	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	शेड़–पिपरिया	22	0.80
142	**नरसिंहपुर**	**गोटेगांव**	**गोटेगांव**	**सिलवानी**	**23**	**0.80**
143	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिवनी (पटी)	40	1.33
144	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	अधियारी	26	15.12
145	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बटका	27	1.03
146	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिवनी (बंधा)	40	5.42
147	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बंधा	40	22.98
148	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कछुआ	32	8.47
149	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नौन	38	46.75
150	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	वासनपानी	27	264.17
151	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बौछार	30	156.90
152	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कन्धरापुर (ठेमी)	38	57.09
153	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मानेगांव	31	40.64
154	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कापखेड़ा	33	19.80
155	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	छिदामानी	33	22.08
156	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	करकबेल	34	95.40
157	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मुगली	34	74.81
158	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मेख	34	206.51
159	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नन्हेगांव	34	11.62
160	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	लोहारी	34	26.15
161	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	ठेमी	35	134.72
162	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बारगी	35	20.02
163	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मुशरान–पिपरिया	35	29.90
164	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बेलखेड़ा	35	61.36
165	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मलहऊआ	37	3.90
166	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	टपरिया (ठेमी)	37	39.00
167	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	अकोला	37	27.09
168	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बड़गुआ	37	2.20

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
				करकबेल		
169	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बम्हनी	39	70.32
170	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	जटलापुर	40	9.84
171	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिवनी (मुगली)	40	1.31
172	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सगरा	40	9.95
173	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खमरिया (कन्धरापुर)	42	49.63
174	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	झामर (सांकल)	42	43.17
175	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सांकल	43	47.42
176	**नरसिंहपुर**	**गोटेगांव**	**गोटेगांव**	**सनगापुर**	**55**	**25.27**
177	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बिछुआ	35	96.91
178	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरखेड़ा	32	62.07
179	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गुंदरई	28	370.63
180	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गुन्जी	44	27.51
181	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बिछिया	34	33.24
182	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	इमलिया	32	87.51
183	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बटोरी	38	10.62
184	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कमती	33	89.01
185	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गडपेहरा	33	8.62
186	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खमरिया (तिघरा	42	8.77
187	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पथरोड़ा	35	151.50
188	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	टिकरी	35	52.21
189	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खमरिया (पिपरसरा)	36	6.90
190	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरसरा	37	39.44
191	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नोन–पिपरिया	38	58.32
192	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सांकली	38	16.45
193	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	चांदनखेड़ा	38	56.68
194	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिडरई (सिघंई)	38	24.36
195	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	तिघरा (खमरिया)	40	1.94
196	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिरकोना	40	7.51
197	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देवनगर	40	84.44

क्र.	जिला	तहसील	विकास खंड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
				(गोटेगांव)		
198	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिमरी छोटी	42	21.18
199	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	राजाकछार	43	41.20
200	**नरसिंहपुर**	**गोटेगांव**	**गोटेगांव**	**रहली**	**46**	**13.54**
201	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	डुगरिया	38	24.16
202	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	परसबाड़ा (खोबी)	50	12.77
203	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	श्रीनगर	53	18.89
204	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नरवारा कुकलाह	53	1.68
205	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	झिरी (नगवारा)	60	1.05
206	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	हिड़की पिपरिया	35	2.10
207	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	जमुनिया	0	3.05
208	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गढ़ाघाट	89	0.74
209	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नेगुआ	35	12.81
210	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नादिया	40	23.27
211	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	केसली	90	8.03
योग तहसील गोटेगांव						**5226.13**
212	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बासकुआरी	18	10.28
213	नरसिंहपुर	करेली	करेली	मेनावारी	23	17.78
214	नरसिंहपुर	करेली	करेली	कूपरी	24	45.58
215	नरसिंहपुर	करेली	करेली	कुकवारा	26	48.60
216	नरसिंहपुर	करेली	करेली	जल्लापुर	26	27.78
217	**नरसिंहपुर**	**करेली**	**करेली**	**हिनौतिया**	**33**	**3.99**
योग तहसील करेली						**154.01**
महायोग :–						**13024.65**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./करेली/2022-23/ 1154 ,मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु करेली शुगर मिल प्रा.लि., तहसील-करेली, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खैरी	13	74.31
2	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खैरूआ	15	48.06
3	नरसिहंपुर	करेली	करेली	गुरासिया	27	18.37
4	नरसिहंपुर	करेली	करेली	पिपरिया राकई	13	122.43
5	नरसिहंपुर	करेली	करेली	महलपुरा खैरी	10	52.12
6	नरसिहंपुर	करेली	करेली	मेरेगॉव	15	25.96
7	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रेवानगर	22	44.41
8	नरसिहंपुर	करेली	करेली	लुटवारा	17	15.60
9	नरसिहंपुर	करेली	करेली	अम्हेटा	10	162.22
10	नरसिहंपुर	करेली	करेली	करौंदा	12	57.54
11	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खिरिया जोवा	7	70.00
12	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बीनेर	8	133.76
13	नरसिहंपुर	करेली	करेली	मोहद	6	219.84
14	नरसिहंपुर	करेली	करेली	आमगॉव	8	380.40
15	नरसिहंपुर	करेली	करेली	वधुवार	5	279.94
16	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बम्होरी	12	140.19
17	नरसिहंपुर	करेली	करेली	करेली	5	717.67
18	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कठोतिया	8	228.80
19	नरसिहंपुर	करेली	करेली	जनौर	9	109.84
20	नरसिहंपुर	करेली	करेली	पिपरिया	11	115.34
21	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बसेडी	10	61.12
22	नरसिहंपुर	करेली	करेली	राकई	12	303.03
23	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कुम्हडी	14	92.99
24	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खैरी कला	12	91.50
25	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रामपिपरिया	15	43.53

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
26	नरसिहंपुर	करेली	करेली	सुरंगी	18	39.59
27	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कंधरापुर	20	54.13
28	नरसिहंपुर	करेली	करेली	करहैया	25	42.33
29	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कोसमखेडा	25	78.50
30	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कौडिया	13	21.97
31	नरसिहंपुर	करेली	करेली	पिपरिया	14	57.50
32	नरसिहंपुर	करेली	करेली	विचुआ खुर्द	22	16.46
33	नरसिहंपुर	करेली	करेली	विचुआ कला	21	15.49
34	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बेलखेडी	28	27.07
35	नरसिहंपुर	करेली	करेली	जीरागोरा	27	11.64
36	नरसिहंपुर	करेली	करेली	दिल्हेरी	20	8.99
37	नरसिहंपुर	करेली	करेली	नयाखेडा बा.	15	272.17
38	नरसिहंपुर	करेली	करेली	करहैया	20	14.10
39	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बासादेही	16	53.02
40	नरसिहंपुर	करेली	करेली	इमलिया बासा	6	25.87
41	नरसिहंपुर	करेली	करेली	कोदसा	9	175.78
42	नरसिहंपुर	करेली	करेली	गोंगावली	7	91.56
43	नरसिहंपुर	करेली	करेली	जौहरिया	6	58.18
44	नरसिहंपुर	करेली	करेली	देगॅवा	10	24.20
45	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बसखेडा	10	81.09
46	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बासादेही इमलिया	7	98.13
47	नरसिहंपुर	करेली	करेली	करताज	26	73.63
48	नरसिहंपुर	करेली	करेली	गौडी	19	33.53
49	नरसिहंपुर	करेली	करेली	तिधरा	18	8.39
50	नरसिहंपुर	करेली	करेली	पिपरिया	22	49.10
51	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रैहली	21	44.52
52	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खापा	24	14.99
53	नरसिहंपुर	करेली	करेली	नानौरी	15	20.92
54	नरसिहंपुर	करेली	करेली	निवारी	17	77.52
55	नरसिहंपुर	करेली	करेली	ग्वारी खुर्द	19	12.70
56	नरसिहंपुर	करेली	करेली	महगुॅवा निजोर	15	44.66
57	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रमखिरिया	20	36.60
58	नरसिहंपुर	करेली	करेली	हिनौतिया	28	18.20
59	नरसिहंपुर	करेली	करेली	माचामउ	13	12.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
60	नरसिहंपुर	करेली	करेली	गोवरगॉव	10	117.01
61	नरसिहंपुर	करेली	करेली	तिन्सरा	15	75.19
62	**नरसिहंपुर**	**करेली**	**करेली**	**पिपरिया बरौ**	**15**	**110.82**
63	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बरौदिया	15	64.56
64	नरसिहंपुर	करेली	करेली	सिमरिया खुर्द	11	58.35
65	नरसिहंपुर	करेली	करेली	सिमसिया कला	12	75.91
66	नरसिहंपुर	करेली	करेली	गिधवानी	8	56.54
67	नरसिहंपुर	करेली	करेली	सासबहू	12	152.97
68	नरसिहंपुर	करेली	करेली	जोवा	7	121.03
69	नरसिहंपुर	करेली	करेली	भुगवारा	7	141.83
70	नरसिहंपुर	करेली	करेली	चमरूआ	10	12.05
71	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बहेरिया	5	14.23
72	**नरसिहंपुर**	**करेली**	**करेली**	**समनापुर**	**26**	**92.38**
73	नरसिहंपुर	करेली	करेली	मेहंगॅवा	28	22.38
74	नरसिहंपुर	करेली	करेली	धूरपुर	28	23.97
75	नरसिहंपुर	करेली	करेली	उमरिया	26	104.31
76	नरसिहंपुर	करेली	करेली	पिपरहा	27	22.54
77	नरसिहंपुर	करेली	करेली	मोहंद	30	20.04
78	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रातीकरार कला	22	27.06
79	नरसिहंपुर	करेली	करेली	देवरी खुर्द	15	55.40
80	नरसिहंपुर	करेली	करेली	रातीकरार खुर्द	8	54.51
81	नरसिहंपुर	करेली	करेली	देवाकछार	12	37.10
82	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बारहा	15	51.68
83	नरसिहंपुर	करेली	करेली	केरपानी	28	62.77
84	नरसिहंपुर	करेली	करेली	खिरिया	13	22.35
85	नरसिहंपुर	करेली	करेली	बसौदा	13	45.87
86	नरसिहंपुर	करेली	करेली	हर्दगॉव	17	18.78
87	नरसिहंपुर	करेली	करेली	ग्वारी	17	31.55
88	नरसिहंपुर	करेली	करेली	महलवाडा	36	31.34
योग तहसील करेली						**7048.62**
89	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	गोरास	14	54.06
90	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मडेसुर	11	141.29
91	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मोथेगॉव	14	33.52
92	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	छवारा	15	43.74

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
93	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कामती	15	148.91
94	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कुंदुआखेडा	20	34.44
95	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	गरहा	20	235.96
96	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	निजोर	13	134.66
97	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कुम्हीडाबर	18	51.10
98	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	झमरी	9	52.19
99	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कौडिया	6	35.02
100	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	झामर	8	54.67
101	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	भूतपिपरिया	5	74.59
102	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	रमखिरिया	5	115.19
103	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सिमरिया	10	98.00
104	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मेहगवॉ	15	62.57
105	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	विलौनी	19	45.15
106	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मानखेडा	20	15.02
107	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	रीछा	20	72.34
108	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	समारिया	16	82.30
109	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	इमझिरी	21	185.27
110	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	छीतापार	20	134.37
111	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	खामघाट	20	38.27
112	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	लिंगा	19	134.80
113	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बरमान	16	23.94
114	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	कुसम्ही	21	87.32
115	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	ढोडोकेसला	25	29.12
116	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बडियाधाट	22	91.38
117	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	उमरपानी	17	96.22
118	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	खुरसुरू	15	116.49
119	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	सिंगोटा	15	98.31
120	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	रायपानी	18	31.97
121	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बीतली	18	62.13
122	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	ठुठी	15	146.48
123	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	पुरगवॉ	16	223.52
124	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	दुधवारा	20	25.99
125	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	खुलरी	21	144.88
126	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	बांसखेड़ा	12	50.68
127	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चावरपाठा	मुड़िया	22	23.45
128	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चीचली	खंचारी	10	171.03
129	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चीचली	करपगॉव	7	599.62
130	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चीचली	देगवॉ	12	92.52
131	नरसिहंपुर	गाडरवारा	चीचली	सर्रा	15	33.83

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
132	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बटेसरा	3	190.39
133	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कनवास	8	107.05
134	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कांकरकुईआ	20	9.48
135	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	खमरिया	10	134.91
136	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	चीकसा	10	89.92
137	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बंदेसुर	5	139.05
138	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	शाहपुर	10	341.41
139	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बघौरा	14	89.07
140	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	भिन्डवार	17	49.94
141	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	रामखेडी	11	129.72
142	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सलगापुर	15	15.27
143	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	इमलिया	17	72.05
144	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	हथनापुर	21	19.37
145	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	हिरदेपुर	15	44.82
146	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	विजनपुर	22	159.31
147	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	भूमियाघाट	15	11.95
148	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	धमेटा	20	108.87
149	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सलैया	21	16.32
150	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	सिलेटी	32	8.43
151	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	खड़ई	33	59.70
152	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	निघौरा	33	14.80
153	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	कल्यानपुर	20	175.88
154	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	बाम्हनवाडा	17	98.62
155	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	जमनिया	20	15.48
156	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चीचली**	**माल्हनवाड़ा**	**10**	**254.51**
157	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चीचली**	**नारगी**	**11**	**202.22**
158	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चीचली	पनारी	13	262.38
159	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चीचली**	**टिकटोली**	**20**	**135.99**
योग तहसील करेली						**7183.22**
160	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बम्होरी	38	47.36
161	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सागोनी खुर्द	46	38.21
162	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सागोनी कला	36	24.67
163	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	गरगटा	38	11.01
164	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	तिदेनी	23	12.83
165	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	देवरी कलॉ	10	38.91
166	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिमरिया	17	32.92
167	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	कुकवारा	16	46.32
168	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	डुडवारा	17	8.52
169	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ढुराजपुर	24	15.28
योग तहसील नरसिंहपुर						**276.03**
महायोग :–						**14507.87**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./मेकलसुता/2022-23/1158 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु मेकलसुता शुगर्स प्रा.लि., घटवां, तहसील-ठीकरी, जिला- बड़वानी (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
1	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कुआं	3	275.65
2	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	केरवा	3	32.22
3	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कपाल्याखेड़ी	6	31.21
4	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	घटवा	1	90.91
5	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	अभाली	3	61.55
6	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	भगवानपुरा	2	59.81
7	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	जरवाह	7	62.80
8	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	उमरदा	2	64.99
9	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	हतोला	13	4.35
10	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	सेगवाल	4	136.55
11	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ठीकरी	6	259.08
12	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	रणगांव	6	25.42
13	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	खुरमपुरा	15	3.10
14	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	काकरिया	6	0.76
15	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	घट्टी	10	11.32
16	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	बांदरकच्छ	16	14.26
17	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ब्राम्हणगांव	10	79.04
18	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	लखनगांव	13	23.97
19	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	अजंदी	12	41.35
20	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	देवला	9	42.98
21	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	रसवाडेब	12	4.64
22	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	चिचली (मारू)	13	20.15
23	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	चेनपुरा	20	13.04
24	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	गवला	13	3.65
25	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कुंदामाल	15	1.28
26	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ननगांव	13	17.99
27	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	दवाना	7	102.58

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
28	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	विश्वनाथखेड़ा	17	54.51
29	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	बलगांव	8	21.42
30	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कालापानी	14	7.22
31	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	टिटगारिया	10	20.29
32	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	दाबड़	10	68.18
33	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	हसनखेड़ी	6	1.39
	योग तहसील ठीकरी					1,657.67
34	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	बावड़िया	19	29.96
35	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	फत्यापुर	20	1.00
36	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	किरमोही	23	42.38
37	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मंडवाड़ा	23	10.68
38	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पिपल्याडेब	19	10.52
39	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	लोहारा	22	66.56
40	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	केसरपुरा	35	18.84
41	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	नलवाय	19	14.21
42	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	तलवाड़ाडेब	16	28.88
43	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पान्या	25	3.46
44	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	रणगांवडेब	25	32.40
45	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	उचावद	23	19.45
46	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	बिलवाडेब	24	3.98
47	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मेहगांव डेब	16	9.82
48	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मोहीपुरा	32	135.13
49	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	चकेरी	29	13.01
50	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	सुराना	25	0.93
51	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पिपरी डेब	40	1.30
	योग तहसील अंजड़					442.50
52	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	सनगांव	31	3.00
53	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	खजुरी	27	2.94
54	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	रेलवा बुजुर्ग	31	7.64
	योग तहसील राजपुर					13.58
55	खरगोन	कसरावद	कसरावद	निमरानी	12	30.08
56	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खड़कवानी	17	2.00
57	खरगोन	कसरावद	कसरावद	जरोली	14	63.99
58	खरगोन	कसरावद	कसरावद	चिचली	18	180.08
59	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भोईन्दा	18	269.88
60	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कठोरा	21	55.39
61	खरगोन	कसरावद	कसरावद	घाटबेड़िया	22	0.61
62	खरगोन	कसरावद	कसरावद	नायदड़	11	1.23
63	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खलटाका	18	73.65
64	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खलबुजुर्ग	18	6.92

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	4	3	5	6	7
65	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मलतार	23	1.24
66	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सत्राटी	12	18.34
67	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मगरखेड़ी	12	10.57
68	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलझोपा	14	9.23
69	**खरगोन**	**कसरावद**	**कसरावद**	**बलखड़**	**18**	**0.30**
70	**खरगोन**	**कसरावद**	**कसरावद**	**पानवा**	**21**	**5.66**
71	**खरगोन**	**कसरावद**	**कसरावद**	**डाबरी**	**44**	**0.50**
	योग तहसील कसरावद					**729.68**
72	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	सुलगांव	36	30.33
73	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	भवान्या खुर्द	40	3.62
74	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खतड़गांव	39	39.67
75	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धामनोद	26	103.87
76	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	मोरगढ़ी	22	49.21
77	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धरमपुरी	30	26.56
78	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बेगंदा	28	11.47
79	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पटलावद	30	9.77
80	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बलवाड़ा	25	2.09
81	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पगारा	35	14.40
82	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पलासिया	32	0.87
83	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	फत्यापुर	32	1.05
84	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खारपुरा	36	5.38
85	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	लोहारी	32	3.34
86	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बिखरोन	26	13.21
87	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	गुलझरा	28	4.20
88	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	झाकरुड़	38	5.21
89	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	डोंगरगांव	34	4.05
90	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पन्धान्या	30	1.05
91	**धार**	**धरमपुरी**	**धरमपुरी**	**खलघाट**	**18**	**69.30**
92	**धार**	**धरमपुरी**	**धरमपुरी**	**पिपल्दागढ़ी**	**24**	**91.27**
93	**धार**	**धरमपुरी**	**धरमपुरी**	**साला**	**21**	**29.73**
94	**धार**	**धरमपुरी**	**धरमपुरी**	**लुन्हेरा**	**22**	**25.95**
	योग तहसील धरमपुरी					**545.57**
95	धार	मनावर	उमरबन	लुन्हेरा	47	15.18
96	धार	मनावर	उमरबन	देवलरा	38	22.99
97	धार	मनावर	उमरबन	कोठड़ा	46	39.29
98	धार	मनावर	उमरबन	टवलई	40	13.77
99	धार	मनावर	उमरबन	गोगावां	46	6.85
100	धार	मनावर	उमरबन	छोटी टवलई	41	8.90
101	धार	मनावर	उमरबन	रणगांव	45	2.46
102	धार	मनावर	उमरबन	बीड़पुरा	55	4.77
103	धार	मनावर	उमरबन	भुवांदा	55	18.52
104	धार	मनावर	उमरबन	राजपुरा	53	9.43
105	धार	मनावर	उमरबन	झिरवी	43	13.78
106	धार	मनावर	उमरबन	अमलाथा	48	1.66
107	धार	मनावर	उमरबन	सरसगाँव	46	5.61
108	धार	मनावर	उमरबन	मोद कानापुर	37	7.32
109	धार	मनावर	उमरबन	महापुरा	46	6.21
110	**धार**	**उमरबन**	**मनावर**	**बगाड़ी**	**36**	**23.55**
	योग तहसील मनावर					**200.27**
	महायोग :–					**3,589.26**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./वंशिका/2022-23/1158, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्ड0 लि0, बिलगुंवा, तेन्दूखेड़ा, जिला- नरसिंहपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बिलगुवां	3	47.80
2	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	मूढापार	5	2.00
3	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	गुटौरी	2	65.00
4	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बिजौरा	3	35.60
5	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	जमुनिया	5	18.00
6	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	पीपरवानी	4	57.80
7	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	जुझारी	5	3.60
8	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	मानकपुर	3	19.60
9	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बॉसखेडा	2	17.00
10	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खैरी खुर्द	5	143.80
11	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खैरी	5	3.40
12	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बरकुण्डा	4	73.20
13	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	मेंहदा	6	34.00
14	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	देवरी	8	28.80
15	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	पडरिया	6	65.40
16	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	रौंसरा	7	41.80
17	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सिमरिया	5	42.00
18	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	इगुंवा	5	2.40
19	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	देवरी (बिचुआ)	16	16.40
20	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बिचुआ	15	1.00
21	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	लोलरी	12	13.60
22	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बिलहरा	5	15.80
23	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	चौकी	27	14.40
24	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	नांदिया	5	24.00

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
25	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खुमेरखेडा	6	53.20
26	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	धूपखेडा	5	23.40
27	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	रम्पुरा	5	171.40
28	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	हथनी	7	3.60
29	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	कन्हैरी	10	6.00
30	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खमरिया	6	168.80
31	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	डोभी	8	152.60
32	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	चिलका	9	46.40
33	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	तेन्दूखेडा	10	8.40
34	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सागौनी	10	4.40
35	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	घुघरी	7	61.40
36	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	कठौतिया	13	11.60
37	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	महुआखेडा	16	7.00
38	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	दमोहिया	14	32.40
39	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बंधा	12	81.60
40	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	छत्तरपुर	15	76.80
41	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	इमलिया	12	51.40
42	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	नौरंगपुर	11	39.20
43	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	करहैया	14	33.40
44	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बारहा	16	114.80
45	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	झिरी	17	15.60
46	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सिमरिया कलॉ	17	90.20
47	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बिल्थारी	18	151.60
48	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	कढैली	14	52.20
49	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	भामा	21	30.80
50	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बीकोर	25	64.80
51	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खेाजर टपरिया	17	100.00
52	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खैरुआ टपरिया	15	60.00
53	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	हीरापुर	29	170.40
54	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	ग्वारी	18	123.00
55	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सूखा (ढिगसरा)	11	17.40
56	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	केसली	25	27.80
57	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खैरी खुर्द	16	13.60
58	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	नेनवारा	16	19.80
59	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	पदम	16	2.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
60	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	रुकवारा	27	25.20
61	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	चॉवरपाठा	20	25.00
62	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	विष्णुपुर	23	2.20
63	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	भरखेडा	17	46.00
64	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	ढिगसरा	16	84.00
65	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	जगन्नाथपुर	21	3.00
66	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	महगुवां	12	56.60
67	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	भौरा	16	65.40
68	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	खैरुआ	15	42.60
69	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	मदनपुर	14	9.80
70	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	करोदी	22	46.40
71	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	चरगुवां	16	9.60
72	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	ढिलवार	13	1.80
73	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	पीपरवानी	15	4.00
74	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सुन्हैटी	17	80.20
75	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	सर्रा	8	65.00
76	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	ईश्वरपुर	13	125.00
77	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	काचरकोना	16	230.00
78	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	उमाहा	12	1.00
79	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	इमझिरा	15	38.20
80	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	टेकापार	19	259.40
81	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	मनकापुर	20	75.60
82	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	काशीखैरी	24	151.80
83	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	इमलिया	12	136.00
84	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बरेली	18	35.60
85	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	गंगई	20	93.80
86	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	जामुनपानी	14	0.80
87	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	ऊमरपानी	13	8.20
88	नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चांवरपाठा	बंधी (सर्रा)	16	62.00
योग तहसील तेन्दूखेड़ा						4658.20
89	नरसिंहपुर	करेली	करेली	मिढली	22	21.40
90	नरसिंहपुर	करेली	करेली	हिरनपुर	27	48.20
91	नरसिंहपुर	करेली	करेली	गुरसी	31	62.60
92	नरसिंहपुर	करेली	करेली	गोकला	24	24.60
93	नरसिंहपुर	करेली	करेली	कुडी	26	7.20
94	नरसिंहपुर	करेली	करेली	सगौन घाट	24	6.20
95	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बिकोर	25	13.00
96	नरसिंहपुर	करेली	करेली	खला	15	8.20
97	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बम्हनी	16	17.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
98	नरसिंहपुर	करेली	करेली	अमथनू	16	6.40
99	**नरसिंहपुर**	**करेली**	**करेली**	**सरसला**	**28**	**34.00**
100	नरसिंहपुर	करेली	करेली	सुआतला	15	13.00
101	नरसिंहपुर	करेली	करेली	पलोहा	13	54.20
102	नरसिंहपुर	करेली	करेली	कटंगी	13	17.20
103	नरसिंहपुर	करेली	करेली	पिडरई कलॉ	15	1.20
104	नरसिंहपुर	करेली	करेली	पिडरई खुर्द	15	5.60
105	नरसिंहपुर	करेली	करेली	खमरिया	19	6.20
106	नरसिंहपुर	करेली	करेली	जमुनिया खुर्द	21	4.20
107	नरसिंहपुर	करेली	करेली	रीछई	17	15.40
108	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बीतली	15	29.20
109	नरसिंहपुर	करेली	करेली	सगरी	16	14.60
110	नरसिंहपुर	करेली	करेली	गुडवारा	16	4.20
111	नरसिंहपुर	करेली	करेली	कुम्हरौडा	18	47.00
112	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बिचुआ	18	14.20
113	नरसिंहपुर	करेली	करेली	बगदरी	18	2.20
114	नरसिंहपुर	करेली	करेली	रम्पुरा	25	8.80
115	नरसिंहपुर	करेली	करेली	समनापुर	24	21.60
116	नरसिंहपुर	करेली	करेली	मानेगॉव	23	19.80
117	**नरसिंहपुर**	**करेली**	**करेली**	**कल्मेटा**	**14**	**1.20**
योग तहसील करेली						**529.20**
118	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करेली	डोंगरगॉव	40	4.20
119	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करेली	मुर्गाखेडा	37	10.00
120	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	करेली	बंधी	32	18.60
योग तहसील नरसिंहपुर						**32.80**
121	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चांवरपाठा**	**सगौरिया**	**38**	**213.00**
122	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चांवरपाठा**	**डुगरिया**	**39**	**430.80**
123	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चांवरपाठा	हेमरा	35	97.60
124	नरसिंहपुर	गाडरवारा	चांवरपाठा	बरमान खुर्द	17	33.20
125	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**साईखेड़ा**	**भटेरा**	**36**	**210.20**
126	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**साईखेड़ा**	**थरेरी**	**40**	**65.40**
127	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चांवरपाठा**	**घघरोला**	**44**	**98.40**
128	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चांवरपाठा**	**भूमियाधाना**	**42**	**55.60**
129	**नरसिंहपुर**	**गाडरवारा**	**चांवरपाठा**	**पिठहेरा**	**44**	**28.00**
योग तहसील गाडरवारा						**1232.20**

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
130	सागर	देवरी	केसली	किशनपुर	26	1.60
131	सागर	देवरी	देवरी	सिमरिया	33	4.00
132	सागर	देवरी	देवरी	मढपिपरिया	26	26.00
133	सागर	देवरी	केसली	जमुनिया	27	2.40
134	सागर	देवरी	केसली	खमरिया	26	3.20
135	सागर	देवरी	देवरी	महाराजपुर	28	14.00
136	सागर	देवरी	देवरी	तीपरवानी	23	39.20
137	सागर	देवरी	केसली	डोभी	35	4.80
138	सागर	देवरी	केसली	सरईवन	49	0.80
139	सागर	देवरी	देवरी	पाठक पिपरिया	47	0.80
140	सागर	देवरी	देवरी	देगुवां	41	19.60
141	सागर	देवरी	देवरी	खकरिया	28	2.60
142	सागर	देवरी	देवरी	पनारी	27	2.20
143	सागर	देवरी	देवरी	मुआर खास	48	0.80
144	सागर	देवरी	केसली	मुडेरी	55	1.00
145	सागर	देवरी	देवरी	देवरी कला	42	2.80
योग तहसील देवरी						125.80
146	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	खमरिया	19	15.20
147	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	इटुवा	26	21.60
148	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	खापरखेडा	23	17.20
149	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	करहैया	23	12.00
150	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	घूघरपुर	25	22.00
151	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	आलीवाडा	26	25.20
152	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	सहजपुरी	26	22.40
153	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	खिरैटी	27	51.20
154	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	पडरई	23	38.40
155	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	महगुवॉ	27	15.20
156	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	डोंगरा	27	13.20
157	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	डोगरिया	27	2.80
158	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	चीखली	21	6.00
159	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	वरखंदा	25	8.00
160	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	सिमरिया	26	4.80
161	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	स्वामी खैरुआ	33	24.80
162	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बूढा	32	20.00
163	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	पड़रई (मेहगुवां)	31	8.40
164	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	नूरजहागंज	26	22.60

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
165	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	थाला	43	16.80
166	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	दिगावन	43	9.60
167	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बडगुवाँ	26	8.80
168	**रायसेन**	**उदयपुरा**	**उदयपुरा**	**बिलगुवां**	**27**	**0.80**
169	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	रौढा	42	9.60
170	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	देवरी गोरखपुर	28	10.20
171	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	पतई	48	38.40
172	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	कोडा	19	6.00
173	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	बम्होरी	36	4.00
174	रायसेन	उदयपुरा	उदयपुरा	नयाखेड़ा	45	3.00
योग तहसील उदयपुरा						458.20
महायोग :–						7036.40

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./जवाहरलाल/2022-23/1160 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्युस प्रोसेसिंग सोसायटी लि0, शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कसरावद	12	21.49
2	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मोगांवा	16	111.60
3	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ब्राम्हणगांव	16	55.53
4	खरगोन	कसरावद	कसरावद	दोगांवा	6	21.58
5	खरगोन	कसरावद	कसरावद	रणगांव	6	8.75
6	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बडगांव	17	133.49
7	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कठोरा (माकडखेडा)	17	46.38
8	खरगोन	कसरावद	कसरावद	माकडखेडा	17	136.40
9	खरगोन	कसरावद	कसरावद	छोटी कसरावद	8	2.18
10	खरगोन	कसरावद	कसरावद	गवला	16	10.21
11	खरगोन	कसरावद	कसरावद	चिचलाय	17	4.82
12	खरगोन	कसरावद	कसरावद	लखनगांव	15	9.71
13	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भीलगांव	14	9.91
14	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सायता	15	7.85
15	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बोथू	20	116.57
16	खरगोन	कसरावद	कसरावद	डोंगरगांव	14	5.72
17	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बालसमुद	18	84.34
18	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ढालखेडा	20	25.32
19	खरगोन	कसरावद	कसरावद	जालनपुरा	20	0.75
20	खरगोन	कसरावद	कसरावद	महाराज खेडी	20	11.37
21	खरगोन	कसरावद	कसरावद	साटकुर	20	20.64

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
22	खरगोन	कसरावद	कसरावद	काटकुर	20	1.45
23	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सलीमपुरा	22	3.61
24	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पाथोरा	22	28.49
25	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सोनखेडी (रेगवा)	17	0.65
26	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामंदा	14	1.76
27	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामंदी	14	2.96
28	खरगोन	कसरावद	कसरावद	साडली	10	3.33
29	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पाटयापुरा	16	1.92
30	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बारदेवला	18	0.65
31	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सरवरदेवला	2	82.02
32	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मिर्जापुर	5	14.81
33	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बहादरपुरा	1	5.24
34	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलई	2	16.69
35	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बोरावा	4	29.03
36	खरगोन	कसरावद	कसरावद	धरमपुरी	6	1.42
37	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अहिल्यापुरा	5	0.99
38	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सावदा	8	10.57
39	खरगोन	कसरावद	कसरावद	जावदा	9	0.74
40	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बिठेर	10	13.56
41	खरगोन	कसरावद	कसरावद	गोपालपुरा	6	11.88
42	खरगोन	कसरावद	कसरावद	करोदिया	5	21.43
43	खरगोन	कसरावद	कसरावद	औझरा	9	1.92
44	खरगोन	कसरावद	कसरावद	चंदनपुरी	18	8.62
45	खरगोन	कसरावद	कसरावद	उटावद	7	35.81
46	खरगोन	कसरावद	कसरावद	उमरिया	7	6.09
47	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सोनखेडी	15	9.69
48	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बसलाय	19	2.51
49	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कोण्डापुरा	17	0.53
50	खरगोन	कसरावद	कसरावद	रायपुरा	16	1.84
51	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अवरकच्छ	22	9.75
52	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सीपटान	22	6.81
53	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भुलगांव	19	4.29
54	खरगोन	कसरावद	कसरावद	गोल	15	1.57
55	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामखल	16	6.28
56	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मथडाय	13	4.71
57	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भनगावं	6	22.91
58	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कवडी	9	7.41
59	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खामखेडा	17	45.14
60	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मुलठान	15	11.34

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
61	खरगोन	कसरावद	कसरावद	हिरापुर	15	3.96
62	खरगोन	कसरावद	कसरावद	डेडगांव	9	23.83
63	खरगोन	कसरावद	कसरावद	दूर्गापुर	9	11.00
64	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सांगवी (खामखेडा)	18	9.79
65	खरगोन	कसरावद	कसरावद	किरगांव	23	2.21
66	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कमोदवाडा	25	4.00
67	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सेहजला	24	1.61
68	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सामेडा	15	29.46
69	खरगोन	कसरावद	कसरावद	टिगरियाव	18	17.58
70	खरगोन	कसरावद	कसरावद	लेपा	19	5.94
71	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलगोन	20	9.98
72	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भ्यापुरा	20	1.06
73	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भटयाण बुर्जुग	24	7.92
74	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मलगांव	30	4.50
75	खरगोन	कसरावद	कसरावद	तेलियाव	28	6.34
76	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कोगावा	13	15.31
77	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अमलाथा	27	164.45
78	खरगोन	कसरावद	कसरावद	नहारखेडी	27	19.73
79	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ससाबड	30	14.64
80	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बलगांव	19	38.65
81	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अकबरपुरा	19	3.55
82	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अहिर धामनोद	18	19.50
	योग तहसील कसरावद					1,700.09
83	खरगोन	खरगोन	खरगोन	खरगोन	30	0.85
84	खरगोन	खरगोन	खरगोन	डेहरी	55	39.05
85	खरगोन	खरगोन	खरगोन	मांगरूल	39	0.66
86	खरगोन	खरगोन	खरगोन	खेडी	47	0.87
87	खरगोन	खरगोन	खरगोन	बिजलगांव	34	4.46
88	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कुकडोल	42	3.67
89	खरगोन	खरगोन	खरगोन	सुरपाला (पिपरी)	48	0.84
90	खरगोन	खरगोन	खरगोन	देवली	45	4.38
91	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कोठा खुर्द	47	0.36
92	खरगोन	खरगोन	खरगोन	मेहर घटी	39	0.87
93	खरगोन	खरगोन	खरगोन	भाडली	34	9.79
94	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कोलोबिया	53	4.20
	योग तहसील खरगोन					70.01
95	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बेजापुर	30	11.34
96	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बिलखेड बुजुर्ग	28	6.07

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
97	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बोरगांव	25	12.79
98	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बिलाली	40	0.54
99	खरगोन	गोगावा	गोगावा	सोलाना	35	1.80
100	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बारेखेडी	45	2.86
101	खरगोन	गोगावा	गोगावा	गोगावां	26	14.92
102	खरगोन	गोगावा	गोगावा	दयालपुरा	30	7.77
103	खरगोन	गोगावा	गोगावा	लाखी	39	3.09
104	खरगोन	गोगावा	गोगावा	सुरपाला	30	19.98
105	खरगोन	गोगावा	गोगावा	कुडिया	32	4.50
106	खरगोन	गोगावा	गोगावा	खारदा	32	6.30
107	खरगोन	गोगावा	गोगावा	ठिबगांव	36	3.51
108	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बेहरामपुर टेमा	45	17.56
109	खरगोन	गोगावा	गोगावा	कुम्हारखेडा	40	8.68
	योग तहसील गोगावा					121.71
110	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	सगुर भगुर	50	42.72
111	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	पिपरी	35	3.09
112	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बलखडिया	40	2.51
113	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	कोयडा सूर्वा	70	4.45
114	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	शकरखेडी	68	1.63
115	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	दगडखेडी	70	9.03
116	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बमनाला	60	4.11
117	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	मोहनदड	67	1.65
118	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	पोई	65	1.64
119	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बडिया	24	5.16
120	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	अदलपुरा	26	2.16
121	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	रेहगांव	35	12.57
122	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	ककडगांव	26	1.02
123	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	अंदड	32	2.53
124	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	छिर्वा	50	3.32
125	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	सिरलाय	37	4.45
126	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	मछलगांव	30	5.38
	योग तहसील भीकनगांव					107.43
127	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	चैनपुरा	80	1.01
	योग तहसील झिरन्या					1.01
128	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	जलकोटा	31	40.73
129	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	खराडी	30	32.29
130	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	माचंदा	29	21.49
131	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	महेश्वर	28	27.45
132	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	खारिया महेश्वर	30	3.63
133	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बबलई	42	2.01

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
134	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोहना	42	46.21
135	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बडवेल	33	3.20
136	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मातमूर	31	17.59
137	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	ईटावदी	30	0.86
138	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	उरवाय	45	11.69
139	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	महेतवाडा	35	4.42
140	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बडवी	30	10.70
141	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	केरियाखेडी	36	3.48
142	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मिर्जापुर	43	6.01
143	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	काकरिया महेश्वर	45	1.85
144	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	समसपुरा	32	50.48
145	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	लाडवी	24	12.67
146	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मण्डलेश्वर	20	28.93
147	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	जलूद	23	9.48
148	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सुल्याखेडी	38	1.59
149	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	समराज	26	21.84
150	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	करोदिया	26	24.51
151	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	छोटी खरगोन	23	36.87
152	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चोली	28	6.20
153	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	धरगांव	26	8.55
154	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सुलगांव	31	108.66
155	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	गोगांवा(मण्डलेश्वर)	31	32.79
156	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चुंदडिया	34	10.48
157	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोगावा	37	12.56
158	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	नान्द्रा	28	23.51
159	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	डीगार	38	69.42
160	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चौगावां	33	7.17
161	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोहद	35	16.21
162	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	रामदढ	31	15.02
163	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	खारिया	31	6.77
164	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोरीपुरा	28	12.60
165	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	हरसगांव	30	23.48
166	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सागी	32	9.15
167	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	ढापला	32	0.95
168	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कवडिया	45	31.09
169	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	देव पिपल्या	32	44.28
170	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कुण्डिया	33	5.71
171	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पथराड	32	26.54

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
172	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सोमाखेडी	32	24.73
173	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बंडेरा	36	20.58
174	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	होदडिया	35	2.62
175	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कतरगांव	32	19.41
176	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	करही	40	4.37
177	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पाडल्या	42	1.27
178	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	भूदरी	43	3.85
179	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	नई बेहगांव	34	2.96
180	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कुम्भिया	36	3.75
181	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पलसुद	39	3.22
182	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	माल्याखेडी	36	2.14
183	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	गुलावड	31	6.06
184	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बडदिया	40	13.60
185	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मन्दौरी	36	7.45
186	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कोगावां	36	3.13
187	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पिटाम्ली	41	22.75
188	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	माछलपुरा		1.24
	योग तहसील महेश्वर					1,034.25
189	खरगोन	बडवाह	बडवाह	अमलाथा	60	2.80
190	खरगोन	बडवाह	बडवाह	मुरल्ला	65	8.93
191	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बावडी खेडा	63	11.14
192	खरगोन	बडवाह	बडवाह	अस्तरिया	58	35.96
193	खरगोन	बडवाह	बडवाह	कपास्थल	67	1.87
194	खरगोन	बडवाह	बडवाह	सिरलाय	62	7.95
195	खरगोन	बडवाह	बडवाह	गंगातखेडी	43	54.29
196	खरगोन	बडवाह	बडवाह	खेगांव	54	6.69
197	खरगोन	बडवाह	बडवाह	नरसिंगपुर	58	2.11
198	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बठोली	46	3.99
199	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बरझर	70	5.68
200	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बामनपुरी	60	3.32
201	खरगोन	बडवाह	बडवाह	कदवालिया	64	0.80
202	खरगोन	बडवाह	बडवाह	रामगढ (बडवाह)	84	4.58
203	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बडवाह	62	2.04
204	खरगोन	बडवाह	बडवाह	सेमरला	67	7.75
205	खरगोन	बडवाह	बडवाह	भोराई	44	4.53
206	खरगोन	बडवाह	बडवाह	नाया	65	0.44
207	खरगोन	बडवाह	बडवाह	रतनपुरा	62	11.32
208	खरगोन	बडवाह	बडवाह	किटुद	56	2.14
209	खरगोन	बडवाह	बडवाह	बलवाडा	72	1.76
210	खरगोन	बडवाह	बडवाह	उमरिया	72	0.24

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
				(बडवाह)		
	योग तहसील बड़वाह					180.35
211	खरगोन	सनावद	बडवाह	मर्दाना	35	106.57
212	खरगोन	सनावद	बडवाह	नगावा	39	15.11
213	खरगोन	सनावद	बडवाह	बकावा	35	1.44
214	खरगोन	सनावद	बडवाह	लोंदी	26	7.53
215	खरगोन	सनावद	बडवाह	जिरभार	28	3.34
216	खरगोन	सनावद	बडवाह	कातोरा	33	2.45
217	खरगोन	सनावद	बडवाह	काकरिया	65	8.37
218	खरगोन	सनावद	बडवाह	भूलगांव	49	2.06
219	खरगोन	सनावद	बडवाह	रावेरखेडी	42	6.60
220	खरगोन	सनावद	बडवाह	बडूद	54	10.22
221	खरगोन	सनावद	बडवाह	पीतनगर	63	38.45
222	खरगोन	सनावद	बडवाह	चितावद	47	1.61
223	खरगोन	सनावद	बडवाह	देलवाडा	52	3.36
224	खरगोन	सनावद	बडवाह	गवल	54	1.41
225	खरगोन	सनावद	बडवाह	लाछोरा	42	2.02
226	खरगोन	सनावद	बडवाह	भागोवां	35	1.67
227	खरगोन	सनावद	बडवाह	टेमला	56	3.75
228	खरगोन	सनावद	बडवाह	बिलखेडी	42	6.44
229	खरगोन	सनावद	बडवाह	धनपाडा	56	1.68
230	खरगोन	सनावद	बडवाह	कायतखेडी	30	6.20
231	खरगोन	सनावद	बडवाह	खनगावंखेडी	62	6.88
232	खरगोन	सनावद	बडवाह	सनावद	58	8.24
233	खरगोन	सनावद	बडवाह	चित्रमोड	60	5.90
234	खरगोन	सनावद	बडवाह	भोगावां (इनपुन)	63	5.37
235	खरगोन	सनावद	बडवाह	ढकलगांव	64	1.99
236	खरगोन	सनावद	बडवाह	नलवा	67	5.31
237	खरगोन	सनावद	बडवाह	खगवाडा	68	1.79
	योग तहसील सनावद					265.77
238	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	रिच्छफल	90	1.84
239	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	धावडिया	65	2.62
240	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	कोठी	68	3.21
241	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	गोल	75	1.20
242	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	खुटला	90	2.24
243	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	खेडी (मोहना)	70	1.31
244	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	जुनापानी (मोहना)	90	1.89
245	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	पुनासा	85	3.44
246	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	मोटका माफी	64	3.01

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
247	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	खेडी (मलगांव)	74	5.01
248	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	नर्मदानगर		1.85
	योग तहसील पुनासा					27.62
249	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	सेमल्दा	42	4.32
250	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	दुधी	40	4.30
251	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	निमोला	34	47.16
252	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बगढीपूरा	37	122.49
253	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	सुन्द्रेल	39	116.01
254	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पेडवी	42	12.37
255	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धेगदा	46	24.04
256	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	देगावां	42	6.76
257	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	भोगांवा	36	21.08
258	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खुजावा	39	8.97
259	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	हतनावर	42	67.74
	योग तहसील धरमपुरी					435.23
	महायोग :–					3,943.47

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./रेवाकृपा/2022-23/1162 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि., शाहपुरा (भिटौनी), जिला- जबलपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	10
1	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पौडी (फाटक)	2	3.20
2	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	घुन्सौर	2	15.20
3	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कैथरा (शहपुरा)	4	14.80
4	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भिटौनी	4	1.60
5	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भमकी	4	1.80
6	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खमदेही	4	3.20
7	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भदरवारा	5	2.50
8	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गंजकटंगा	5	25.10
9	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	शहपुरा	5	2.70
10	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	नोनी (टिपरा)	6	3.60
11	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खिरकाखेड़ा	6	9.90
12	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	किसरोद	6	9.40
13	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	टिकरी	6	4.20
14	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	टिपरा	7	19.10
15	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मगरमुहा	7	5.30
16	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	नटवारा	7	43.60
17	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	इमलिया	7	3.70
18	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	छपरट	7	12.20
19	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुलोन (छपरट)	7	2.50
20	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	ईश्वरखेड़ा	8	2.00
21	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	लुहार्रा	8	1.60
22	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	दिघोरी	8	22.90
23	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	ढ़िमर (झोझी)	8	5.60
24	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पिपरिया (कनवास)	8	2.00

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
25	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	झोझी	8	5.20
26	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	रमखिरिया	9	41.00
27	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	नाचनखेड़ा	9	6.20
28	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिजना	9	3.80
29	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	महगवा सगड़ा	10	28.80
30	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बरगी	10	2.20
31	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बम्हनौदा	10	2.40
32	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिलपठार	10	24.20
33	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खपरा	10	2.00
34	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	धरमपुरा बंधा	10	2.60
35	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	परछिया	10	1.80
36	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	हिरापुर बंधा	11	1.80
37	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	उमरिया	11	65.20
38	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सहोजनी	12	3.00
39	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	लूटी	12	8.00
40	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भीटा	12	2.00
41	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मनगंवा	12	10.40
42	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मानेगांव	12	14.60
43	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गड़रपिपरिया	12	2.20
44	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सिहोदा	12	3.80
45	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	ठुठा (मानसनगर)	12	47.80
46	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिलखिरवा	13	7.20
47	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मटवारा	13	24.90
48	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मुडिया	13	4.70
49	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	लम्हेटा	14	1.80
50	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भीटा	14	2.20
51	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुसमी	14	21.20
52	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	डोभी	14	1.80
53	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	जमुनिया (ज्वाप)	15	2.30
54	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	झुरई पिपरीया	15	2.40
55	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खैरी (लमेहटा)	15	2.20
56	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	फूलर	15	3.20
57	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	करहैया	16	20.70
58	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	केवलारी	16	2.40
59	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	नीमखेड़ा	14	8.90
60	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	रैनी	16	2.00

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
61	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	करहैया कला	17	2.00
62	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कटीला	17	2.00
63	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	इमलिया (मानेगांव)	17	2.00
64	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मनगवां	18	3.20
65	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	तिलवारा	19	2.20
66	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कूड़न	19	2.20
67	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मनकेडी	19	26.80
68	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खमरिया	20	1.60
69	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	तेवर पिपरीया	20	2.30
70	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुआंखेडा	23	2.00
71	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	जमखार	24	1.60
72	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	चरगंवा (नवीन)	24	16.70
73	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुसली	24	21.30
74	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	जमुनिया (मैली)	25	2.00
75	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सालीवाडा (मैली)	25	1.80
76	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सुनाचर	25	39.30
77	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गुंदरई	25	2.20
78	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मैली	26	2.20
79	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बेलखेडा	26	21.80
80	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	हिनोतिया	27	12.60
81	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पिपरिया कला	28	7.40
82	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मातनपुर	28	22.60
83	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गुबरा कला	30	12.50
84	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिहारीपुरा	30	21.60
85	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सुन्द्रादेही	30	45.50
86	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	इमलिया	30	5.00
87	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	झॉसी	30	3.20
88	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बरमान	31	2.00
89	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	झलोन	31	2.00
90	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	तुमरा	32	5.00
91	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गोकला	32	30.80
92	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मेरेगांव	34	34.30
93	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बेलखेडी	34	51.90
94	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बसेड़ी	34	26.40
95	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गुबरा खुर्द	34	15.30
96	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सिमरिया	35	2.20

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
97	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुड़ा (इमलिया)	35	2.20
98	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुडाकला	35	4.00
99	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बरपटी	35	22.40
100	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पावला	35	27.40
101	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	चरगंवा (पुरानी)	35	17.60
102	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	मेहगंवा (भडपुरा)	36	16.80
103	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	धरती कछार	38	2.00
104	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	औरिया	38	2.20
105	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बम्बाबारी	38	20.00
106	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सर्रा	38	9.30
107	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पाथर पौडी	38	10.00
108	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	महगंवा (खाप)	39	4.20
109	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	दलपतपुर	40	7.60
110	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	केदारपुर	40	23.60
111	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	अहमदपुर	40	9.20
112	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	देवरी (पुरानी)	42	20.00
113	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बढ़ैयाखेड़ा	42	8.40
114	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	किसलई	45	1.80
115	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सुनवारा	45	37.40
116	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	नयानगर	45	8.20
117	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सिंगोरी	46	6.20
118	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	इमलिया (डुडवारा)	48	7.60
119	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिजना	48	7.00
120	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भारतपुर	48	9.20
121	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	दपकिया	50	3.60
122	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भीकमपुर	23	2.20
123	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सिद्यपुरी	20	2.00
124	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	प्रेमनगर (सूखा)	20	9.40
125	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	गंगई	22	13.40
126	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	रजोला	23	5.00
127	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बम्होरी	40	2.60
128	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भडपुरा	11	5.60
129	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुलोन बिजना	35	3.10

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
130	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	पिपरिया बेनी	45	6.30
131	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	तुमरा पाथरपोडी	22	14.20
132	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिछुआ	32	11.70
133	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	हाथीकछार	48	6.00
134	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कटोरी	80	30.30
135	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	भेड़ाघाट	15	2.00
136	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	कुलोन	37	2.80
137	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	खैरी	20	2.00
138	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	बिजोरी	33	3.20
139	जबलपुर	शहपुरा	शहपुरा	सोमती	22	15.20
योग तहसील शहपुरा						1485.00
140	जबलपुर	पाटन	पाटन	सहसन	6	1.40
141	जबलपुर	पाटन	पाटन	खैरी (सहसन)	8	1.40
142	जबलपुर	पाटन	पाटन	कुवरपुर	10	0.80
143	जबलपुर	पाटन	पाटन	रैयाखेड़ा	10	3.80
144	जबलपुर	पाटन	पाटन	धनेटा	10	18.30
145	जबलपुर	पाटन	पाटन	भुवारा	11	1.20
146	जबलपुर	पाटन	पाटन	राखी	11	0.60
147	जबलपुर	पाटन	पाटन	ग्वारी	11	3.40
148	जबलपुर	पाटन	पाटन	बम्होरी	12	0.40
149	जबलपुर	पाटन	पाटन	भकलिया	12	0.40
150	जबलपुर	पाटन	पाटन	नन्दवारा	13	0.70
151	जबलपुर	पाटन	पाटन	चदवा	13	2.60
152	जबलपुर	पाटन	पाटन	पड़रिया (भमक)	14	3.60
153	जबलपुर	पाटन	पाटन	कुमगंवा	14	2.00
154	जबलपुर	पाटन	पाटन	सिमरिया	14	2.20
155	जबलपुर	पाटन	पाटन	बढ़ैयाखेड़ा	15	3.20
156	जबलपुर	पाटन	पाटन	मढ़पिपरिया	15	3.00
157	जबलपुर	पाटन	पाटन	पाटन	15	18.80
158	जबलपुर	पाटन	पाटन	सिन्गोरी	16	9.80
159	जबलपुर	पाटन	पाटन	चपोद	17	0.30
160	जबलपुर	पाटन	पाटन	अमरपुर	17	0.50
161	जबलपुर	पाटन	पाटन	गुरूपिपरिया	18	0.80
162	जबलपुर	पाटन	पाटन	डूंडी	18	0.30
163	जबलपुर	पाटन	पाटन	महुआखेंड़ा	18	17.30
164	जबलपुर	पाटन	पाटन	गाड़ाघाट	18	2.60
165	जबलपुर	पाटन	पाटन	सिन्गोरी (पाटन)	20	18.30

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
166	जबलपुर	पाटन	पाटन	सिंगोरी (पड़रिया)	18	2.60
167	जबलपुर	पाटन	पाटन	मुस्करा	22	2.00
168	जबलपुर	पाटन	पाटन	नीमी	22	19.20
169	जबलपुर	पाटन	पाटन	कटरा बेलखेड़ा	22	3.20
170	जबलपुर	पाटन	पाटन	सिमरिया	22	2.20
171	जबलपुर	पाटन	पाटन	रोसरा	23	0.30
172	जबलपुर	पाटन	पाटन	बरोदा	25	2.00
173	जबलपुर	पाटन	पाटन	हटेपुरखुर्द	27	2.00
174	जबलपुर	पाटन	पाटन	खमोद	27	2.00
175	जबलपुर	पाटन	पाटन	हटेपुरकंला	28	0.30
176	जबलपुर	पाटन	पाटन	आगासोद	30	6.60
177	जबलपुर	पाटन	पाटन	रमखिरिया	30	2.60
178	जबलपुर	पाटन	पाटन	सहसन पडरिया	30	2.60
179	जबलपुर	पाटन	पाटन	पडरिया (ब्योहारी)	30	1.00
180	जबलपुर	पाटन	पाटन	मझगंवा	30	2.20
181	जबलपुर	पाटन	पाटन	कटिया लुहारी	31	3.60
182	जबलपुर	पाटन	पाटन	पडरिया (थुआ)	32	2.60
183	जबलपुर	पाटन	पाटन	कैथरा	32	0.60
184	जबलपुर	पाटन	पाटन	कॉटी	25	2.60
185	जबलपुर	पाटन	पाटन	कनवास पिपरिया	8	2.20
186	जबलपुर	पाटन	पाटन	बनवार	20	3.20
187	जबलपुर	पाटन	पाटन	पिपरिया चन्द्रभान	20	2.60
188	जबलपुर	पाटन	पाटन	खैरी हरदुआ	15	0.30
189	जबलपुर	पाटन	पाटन	बेनीखेडा	26	5.80
190	जबलपुर	पाटन	पाटन	ओरिया	45	3.00
191	जबलपुर	पाटन	पाटन	मालाहरदुआ	23	3.00
192	जबलपुर	पाटन	पाटन	लुहारी	36	5.40
193	जबलपुर	पाटन	पाटन	रसोइया	37	2.20
194	जबलपुर	पाटन	पाटन	दोनी	38	14.80
195	जबलपुर	पाटन	पाटन	गनियारी	45	6.00
196	जबलपुर	पाटन	पाटन	नेगई	35	2.20
197	जबलपुर	पाटन	पाटन	खजरी	38	17.60

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
198	जबलपुर	पाटन	पाटन	मुर्रई	35	3.10
199	जबलपुर	पाटन	पाटन	मोहला	30	2.60
200	जबलपुर	पाटन	पाटन	कटंगी	40	3.00
201	जबलपुर	पाटन	पाटन	ककरेहटा	42	11.20
202	जबलपुर	पाटन	पाटन	अनघौरा	42	13.60
203	जबलपुर	पाटन	पाटन	मोहनिया	42	10.10
204	जबलपुर	पाटन	पाटन	बेलखाडू	40	3.80
205	जबलपुर	पाटन	पाटन	हिनोता	36	1.80
206	जबलपुर	पाटन	पाटन	इमलिया	35	13.10
207	जबलपुर	पाटन	पाटन	करारी	40	3.00
208	जबलपुर	पाटन	पाटन	कुशली	36	2.60
209	जबलपुर	पाटन	पाटन	पौडी	35	0.50
210	जबलपुर	पाटन	पाटन	थुआ (पडरिया)	32	1.40
				योग तहसील पाटन		**316.00**
211	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	झॉसीघाट	18	35.40
212	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बेलखेड़ी (झांसीघाट)	16	38.40
213	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खमरीया (झॉसीघाट)	20	48.80
214	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देगुंवा	20	54.20
215	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रिमझा (खमरिया)	22	54.40
216	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मालीवाडा	23	90.10
217	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिलारी	23	34.40
218	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नोनी	23	49.40
219	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बुढ़ीमवई	24	40.60
220	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कंजई	24	47.00
221	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पीपरपानी	25	11.80
222	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	करेली(कला)	25	54.00
223	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कुम्हडाखेडा	28	19.40
224	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गोटेगांव	25	9.20
225	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बुधगॉव	25	4.60
226	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कुमझोर	23	10.20
227	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सालीवाड़ा	23	47.80
228	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	झोझा	26	3.80
229	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	उमरा(उमरी)	27	2.80
230	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कुकलाह	33	19.20
231	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गर्रा	23	20.20
232	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मोहास	39	61.20

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
233	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मुँवारा(भुँवारा)	28	2.60
234	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कमोदी(करोंदी)	28	3.20
235	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कमोद	28	3.00
236	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पड़रिया (मुर्रई)	28	8.20
237	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बगलई (तिघरा)	32	13.00
238	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	राखी	28	21.60
239	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रहेली (गोटेगांव)	30	20.80
240	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पड़रिया	29	8.20
241	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कांचर (कला)	27	1.80
242	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	ऑखीवाड़ा	30	13.60
243	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बगलई (पचौरी)	27	6.60
244	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	अतरिया	28	28.40
245	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पोनिया(गोटेगांव)	28	15.20
246	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खोवी (गोटेगांव)	30	23.80
247	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	चरगँवा	34	11.20
248	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	भैसा	30	39.20
249	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बढैयाखेड़ा(परसबाड़ा)	30	21.60
250	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	परसवाड़ा	30	18.80
251	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कोड़िया	37	13.20
252	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	हिड़की	28	13.00
253	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	छिन्दौरी	29	9.60
254	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरिया(चौधरी)	29	10.70
255	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मुरदई(मुर्रई)	28	1.40
256	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मुडीया	21	1.70
257	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मवई	30	9.20
258	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बगतेला	24	0.80
259	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	तिघरा(अतरिया)	30	20.20
260	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सहजपुरा	33	2.60
261	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरेली	28	1.60
262	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरोदा	32	2.20

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
263	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खैरी (खीरी)	32	1.00
264	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कुशीवाड़ा	22	23.90
265	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिमरिया (बगलईपचौरी)	31	17.60
266	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देवरीकंला	36	19.40
267	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरीया (अटकारी)	28	1.40
268	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नरली	32	1.80
269	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देवरी (रिमिझा)	33	8.00
270	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कमता (कमती)	32	13.20
271	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	राका(रोता)	28	1.20
272	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	तिरका	32	12.10
273	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सनजी	34	1.40
274	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	लम्हेटी	34	1.20
275	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	रिमझा (देवरी)	37	4.60
276	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिमरी बड़ी	35	5.80
277	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कमती (पिडरई)	35	9.10
278	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मेहका गाड़ाघाट	29	3.50
279	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बहरोरा	35	6.00
280	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरिया (मनकवारा)	35	9.50
281	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देवगुवां (पिपरिया)	32	9.60
282	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सहोजनी	35	2.40
283	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	चरगवां (दपकिया)	33	8.00
284	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सर्रा	34	2.60
285	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	सिमरी	36	2.40
286	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरसरा	36	2.10
287	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	खेरूवा	36	1.50
288	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	हिनोता	36	2.70
289	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	घुघुरी	36	1.90
290	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरिया (बाजारशुक)	36	2.90
291	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	भडरी	26	35.20

क्र.	जिला	तहसील	वि.ख.	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हे.)
292	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	दपकिया	35	26.00
293	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मैंहगवा	37	3.00
294	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	लालई	37	1.20
295	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	जामुनपानी	37	1.00
296	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	शुकरी	37	1.80
297	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	देवरी	37	1.30
298	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरिया (कोहला)	37	2.10
299	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	टैगोरा	37	1.30
300	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरखेड़ा (चरगॅवा)	40	1.80
301	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	नरवारा	27	21.60
302	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	लाटगांव	35	9.00
303	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कुडा	38	1.80
304	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	औरिया	38	2.30
305	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	कोरेगांव	38	1.00
306	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	अंडिया	38	2.30
307	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	घुघरा	38	1.40
308	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	अनंतपुर	30	1.40
309	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिपरिया (पथरिया)	39	1.60
310	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	श्यामनगर	39	1.80
311	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	दौन	39	2.20
312	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बगलई (ललपुर)	39	2.90
313	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	उमरिया	39	22.50
314	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	दान खमरिया	39	1.60
315	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	तरवारा	30	31.30
316	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	शकरी	40	1.70
317	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	चिंदवाड़ा	27	1.80
318	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	भंडी	40	1.00
319	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मनकवारा	36	24.60
320	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बन्डोल	21	15.80
321	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	लम्हेटा	34	3.20
322	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	मेहका	35	2.80
323	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	हिनोता	36	2.30
324	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बरेली	30	4.00
325	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	द्विघारी	37	18.10
326	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बम्हनौदा	30	2.00
327	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	बेलखेड़ी (टिकरी)	30	26.40
328	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	गोहचर	28	7.60
329	नरसिंहपुर	गोटेगांव	गोटेगांव	पिडरई	29	14.60
योग तहसील गोटेगांव						1586.00
महायोग :–						3387.00

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./श्रीजी/2022-23/1164 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-सोहागपुर, तहसील एवं जिला-बैतूल (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	बैतूल	बैतूल	बैतूल	आरूल	4	391.51
2	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बाजपुर	8	194.05
3	बैतूल	बैतूल	बैतूल	चकोरा	16	79.64
4	बैतूल	बैतूल	बैतूल	परसोडी बुजुर्ग	14	46.97
5	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बागदा	3	79.31
6	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बघवाड़	16	66.26
7	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बरसाली	16	151.99
8	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भीलवाड़ा	12	100.99
9	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ग्यारसपुर	14	93.96
10	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जैतपुर	4	45.47
11	बैतूल	बैतूल	बैतूल	काजीजामठी	15	103.07
12	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भड़ूस	22	173.98
13	बैतूल	बैतूल	बैतूल	करजगांव	27	5.78
14	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खड़ला	22	6.39
15	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रोढ़ा	24	58.33
16	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भैसदेही	9	80.89
17	बैतूल	बैतूल	बैतूल	केलापुर	8	47.12
18	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खण्डारा	12	93.23
19	बैतूल	बैतूल	बैतूल	किल्लौद	9	63.48
20	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मलकापुर	9	198.04
21	बैतूल	बैतूल	बैतूल	उमरी	11	83.99
22	बैतूल	बैतूल	बैतूल	अमदर	24	33.98
23	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बघोली	18	10.77
24	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भरकावाडी	15	120.16
25	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोराखार	30	3.81
26	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जोड़क्या	18	5.70
27	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कोलगांव	32	22.21

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
28	बैतूल	बैतूल	बैतूल	लोहरिया	16	26.54
29	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सरण्डई बघोली	25	11.02
30	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सुरगांव	21	7.78
31	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गौठाना	26	21.32
32	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जामठी	23	46.32
33	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कढ़ाई	26	18.51
34	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सोनाघाठी	19	6.92
35	बैतूल	बैतूल	बैतूल	टिगरीया	26	55.45
36	बैतूल	बैतूल	बैतूल	टिकारी	25	79.65
37	बैतूल	बैतूल	बैतूल	उड़दन	25	57.93
38	बैतूल	बैतूल	बैतूल	एनखेड़ा	17	64.62
39	बैतूल	बैतूल	बैतूल	अर्जुनवाड़ी	15	18.83
40	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जावरा	12	272.32
41	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खेड़ीकोर्ट	27	80.07
42	बैतूल	बैतूल	बैतूल	नागाझिरी	16	63.23
43	बैतूल	बैतूल	बैतूल	नीमनवाड़ा	32	15.20
44	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रोढा सोहागपुर	10	39.02
45	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सोनखेड़ी	21	95.02
46	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सोपई	20	10.83
47	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बोडी	16	48.23
48	बैतूल	बैतूल	बैतूल	हमलापुर	11	73.16
49	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खेड़ली	9	166.83
50	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कुम्हारटेक	13	54.61
51	बैतूल	बैतूल	बैतूल	राबनवाढी	15	51.89
52	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सॉम्वारीपेठा	12	61.44
53	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बड़ोरा	16	180.22
54	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भवानीतेड़ा	21	25.36
55	बैतूल	बैतूल	बैतूल	भोगीतेड़ा	21	89.78
56	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कोसमी	19	105.75
57	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मालीतेड़ा	2	6.79
58	बैतूल	बैतूल	बैतूल	थावड़ी	30	6.51
59	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सोनरखपा	32	5.52
60	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जुनापानी बैतुल	26	4.24
61	बैतूल	बैतूल	बैतूल	छाता	29	18.70
62	बैतूल	बैतूल	बैतूल	टेमनी	22	92.38
63	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बोड़ना	32	34.75
64	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जैतापुर	4	12.62
65	बैतूल	बैतूल	बैतूल	कन्हड़गांव	30	77.15
66	बैतूल	बैतूल	बैतूल	लाखापुर	19	180.80
67	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मोरड़ोगरी	21	111.59

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
68	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मोवाड़	28	111.85
69	बैतूल	बैतूल	बैतूल	नीमझीरी	26	39.85
70	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ठानीमाल	24	15.56
71	बैतूल	बैतूल	बैतूल	ठानीरैयत	26	22.38
72	बैतूल	बैतूल	बैतूल	डोलहन	56	18.60
73	बैतूल	बैतूल	बैतूल	झीटापाटी	18	1.44
74	बैतूल	बैतूल	बैतूल	नांदीखेड़ा	35	41.52
75	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बारव्ही	30	48.12
76	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बयावाडी	13	31.13
77	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोंडीगौला	17	27.48
78	बैतूल	बैतूल	बैतूल	हथनोरा	9	71.91
79	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जगधर	13	64.39
80	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खानापुर	14	28.90
81	बैतूल	बैतूल	बैतूल	परसोड़ी	7	70.68
82	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रेड़वा	22	27.63
83	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सेलगांव	30	4.34
84	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बुण्डाला	6	75.57
85	बैतूल	बैतूल	बैतूल	जुनावानी	4	5.19
86	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रतनपुर	2	204.55
87	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सोहागपुर	4	323.55
88	बैतूल	बैतूल	बैतूल	अनकावाड़ी	8	72.31
89	बैतूल	बैतूल	बैतूल	खापा	8	6.54
90	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मदानीढाना	7	8.54
91	बैतूल	बैतूल	बैतूल	मिलानपुर	8	56.97
92	बैतूल	बैतूल	बैतूल	परतापुर	4	40.25
93	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सांईखण्डारा	7	23.67
94	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सॉपना	2	80.89
95	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बटामा	15	20.93
96	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूलबाजार	10	53.10
97	बैतूल	बैतूल	बैतूल	चिखल्या	15	118.38
98	बैतूल	बैतूल	बैतूल	हनोत्या	12	22.21
99	बैतूल	बैतूल	बैतूल	गोडु मण्डई	15	0.25
100	बैतूल	बैतूल	बैतूल	रानीपुर सेन्टर	42	0.61
101	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल	21	10.15
102	बैतूल	बैतूल	बैतूल	चारबन	24	0.51
103	बैतूल	बैतूल	बैतूल	सिंगनवाड़ी	14	216.42
104	बैतूल	बैतूल	बैतूल	राठीपुर	4	92.20
				योग तहसील बैतूल		6818.57
105	बैतूल	मुलताई	मुलताई	बानुर	35	41.51
106	बैतूल	मुलताई	मुलताई	बिहरगांव	37	22.69

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
107	बैतूल	मुलताई	मुलताई	देहगुड़	33	76.70
108	बैतूल	मुलताई	मुलताई	गौला	43	23.49
109	बैतूल	मुलताई	मुलताई	जामगांव साईखेड़ा	31	30.31
110	बैतूल	मुलताई	मुलताई	पोहर	29	85.46
111	बैतूल	मुलताई	मुलताई	पौनी	42	45.28
112	बैतूल	मुलताई	मुलताई	सॉईखेड़ा	26	136.09
113	बैतूल	मुलताई	मुलताई	तवला	33	20.36
114	बैतूल	मुलताई	मुलताई	टेमझिरी	29	23.91
115	बैतूल	मुलताई	मुलताई	ऐनस	34	8.23
116	बैतूल	मुलताई	मुलताई	भुताईखेडी	21	5.11
117	बैतूल	मुलताई	मुलताई	जौलखेड़ा	41	21.07
118	बैतूल	मुलताई	मुलताई	सोनोरी	26	23.96
119	बैतूल	मुलताई	मुलताई	कान्हाखापा	28	12.40
120	बैतूल	मुलताई	मुलताई	नगरकोर्ट	35	51.09
121	बैतूल	मुलताई	मुलताई	पाठाखेडा	31	43.22
122	**बैतूल**	**मुलताई**	**मुलताई**	**मोहरखेड़ा**	**31**	**41.85**
योग तहसील मुलताई						712.74
123	बैतूल	आमला	आमला	अंम्बाड़ा	16	2.22
124	बैतूल	आमला	आमला	आमला	32	9.43
125	बैतूल	आमला	आमला	अंन्धारिया	26	127.36
126	बैतूल	आमला	आमला	आवरिया	41	133.53
127	बैतूल	आमला	आमला	बल्लाचाल	33	73.93
128	बैतूल	आमला	आमला	बेलमण्डई	18	8.65
129	बैतूल	आमला	आमला	बोड़खी	28	43.48
130	बैतूल	आमला	आमला	बोचनवाड़ी	46	47.71
131	बैतूल	आमला	आमला	धोसरा	36	35
132	बैतूल	आमला	आमला	खिड़कीकला	39	105.27
133	बैतूल	आमला	आमला	खिड़कीखूर्द आमला	40	31.05
134	बैतूल	आमला	आमला	नाहिया	21	31.21
135	बैतूल	आमला	आमला	पंखा नयेगांव	14	6.90
136	बैतूल	आमला	आमला	देवठान	23	61.90
137	बैतूल	आमला	आमला	खिड़कीखुर्द	35	1.47
138	बैतूल	आमला	आमला	नांदपुर	25	97.71
139	बैतूल	आमला	आमला	रमली	28	35.19
140	बैतूल	आमला	आमला	परसोड़ा	38	17.52
141	**बैतूल**	**आमला**	**आमला**	**बंजारीढाल**	**41**	**1.76**
142	बैतूल	आमला	आमला	संसुन्द्रा	19	80.87
योग तहसील आमला						952.18
महायोग						**8483.49**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./डोलेक्स/2022-23/1186 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु डोलेक्स एग्रोटेक प्रा.लि., ग्राम-एरई, तहसील-बड़ौनी, जिला-दतिया (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	दतिया	बड़ोनी	दतिया	ऐरई	1.50	261.19
2	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भदूमरा	3.00	31.60
3	दतिया	बड़ोनी	दतिया	पिरसूरा	5.00	1.86
4	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सेवनी	6.50	2.85
5	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सुनार	5.50	0.85
6	दतिया	बड़ोनी	दतिया	हिडोरा	1.70	120.32
7	दतिया	बड़ोनी	दतिया	घुघसी	6.40	111.01
8	दतिया	बड़ोनी	दतिया	हिनोतिया	7.00	48.16
9	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भिल्ला	9.00	40.69
10	दतिया	बड़ोनी	दतिया	चिरोल	10.00	2.33
11	दतिया	बड़ोनी	दतिया	कुआ	10.00	34.84
12	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डंगरा	12.50	2.20
13	दतिया	बड़ोनी	दतिया	रावरी	3.00	17.17
14	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भिटी	4.00	44.04
15	दतिया	बड़ोनी	दतिया	वरगाय	12.50	50.02
16	दतिया	बड़ोनी	दतिया	रिछारी	16,50	0.71
17	दतिया	बड़ोनी	दतिया	महेवा	14.00	4.25
18	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डेरा	15.50	0.85
19	दतिया	बड़ोनी	दतिया	मुरेरा	15.00	0.65
20	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सिनावल	12.00	2.21
21	दतिया	बड़ोनी	दतिया	खिरिया	6.10	77.92
22	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सिजोरा	8.40	118.03

क्र	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
23	दतिया	बड़ोनी	दतिया	किशनगढ़	3.57	9.35
24	दतिया	बड़ोनी	दतिया	कुरथरा	10.40	49.39
25	दतिया	बड़ोनी	दतिया	कमथरा	12.80	32.47
26	दतिया	बड़ोनी	दतिया	बड़ोनीखुर्द	7.30	5.68
27	दतिया	बड़ोनी	दतिया	जिगना	11.10	3.91
28	दतिया	बड़ोनी	दतिया	तिवारीपुरा	12.00	0.68
29	दतिया	बड़ोनी	दतिया	रामसागर	10.30	0.34
30	दतिया	बड़ोनी	दतिया	गोविन्दपुर	14.00	0.68
31	दतिया	बड़ोनी	दतिया	निचरोली	13.00	0.85
32	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सहडोरा	13.70	15.81
33	दतिया	बड़ोनी	दतिया	मडोर	14.40	10.71
34	दतिया	बड़ोनी	दतिया	विल्हारी	11.90	56.40
35	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भासड़ाखुर्द	20.80	29.30
36	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भासड़ाकला	22.80	1.70
37	दतिया	बड़ोनी	दतिया	नेकोरा	25.50	1.02
38	दतिया	बड़ोनी	दतिया	ज्योंहार	12.10	27.33
39	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सतारी	14.40	6.48
40	दतिया	बड़ोनी	दतिया	पाली	13.70	32.73
41	दतिया	बड़ोनी	दतिया	तोर सुनारी	14.10	14.79
42	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भेरार	14.10	0.68
43	दतिया	बड़ोनी	दतिया	छता	14.30	1.02
44	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सनाई	11.90	36.14
45	दतिया	बड़ोनी	दतिया	टका	17.60	1.39
46	दतिया	बड़ोनी	दतिया	गागोंरी	17.70	7.31
47	दतिया	बड़ोनी	दतिया	जनोरी	20.70	2.55
48	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सरेटा	21.50	1.02
49	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डबरई	18.60	0.11
50	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**रेपुरा**	**9.00**	**25.01**
51	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**सेपुरा**	**7.50**	**4.72**
52	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**नन्दपुर**	**9.00**	**21.19**
53	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**बामरोल**	**8.00**	**29.21**
54	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**तरूआ**	**6.50**	**10.93**
55	**दतिया**	**बड़ोनी**	**दतिया**	**बड़ोनकला**	**13.00**	**95.74**

क्र	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
56	दतिया	बड़ोनी	दतिया	चिरई	10.00	0.17
57	दतिया	बड़ोनी	दतिया	छिरेटा	22.00	0.68
58	दतिया	बड़ोनी	दतिया	गोंधारी	19.50	0.17
59	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डबरी पमारी	13.50	0.68
60	दतिया	बड़ोनी	दतिया	बीरी	19.20	0.80
61	दतिया	बड़ोनी	दतिया	पुष्कर	23.50	0.17
62	दतिया	बड़ोनी	दतिया	जगदोरा	24.00	0.34
63	दतिया	बड़ौनी	दतिया	बड़ौनी	-	0.25
	योग तहसील बड़ोनी					1513.65
64	दतिया	दतिया	दतिया	समरोली	11.00	0.93
65	दतिया	दतिया	दतिया	गड़ी	19.50	100.35
66	दतिया	दतिया	दतिया	पहाड़ी	21.00	10.49
67	दतिया	दतिया	दतिया	डोंगरपुर	22.00	106.63
68	दतिया	दतिया	दतिया	बनोली	23.00	79.49
69	दतिया	दतिया	दतिया	जखोरिया	20.00	0.51
70	दतिया	दतिया	दतिया	कोटरा	14.00	29.46
71	दतिया	दतिया	दतिया	हथलई	18.60	8.83
72	दतिया	दतिया	दतिया	सीतापुर	19.50	15.76
73	दतिया	दतिया	दतिया	उपराये	23.00	100.24
74	दतिया	दतिया	दतिया	गुलियापुरा	26.00	9.87
75	दतिया	दतिया	दतिया	बडेरा	32.50	92.85
76	दतिया	दतिया	दतिया	मलकपहाड़ी	31.50	98.65
77	दतिया	दतिया	दतिया	झड़िया	29.80	0.46
78	दतिया	दतिया	दतिया	चिरोली	36.20	5.55
79	दतिया	दतिया	दतिया	सिरोल	27.60	14.51
80	दतिया	दतिया	दतिया	रिछारा	25.80	1.51
81	दतिया	दतिया	दतिया	महुआ	32.00	12.51
82	दतिया	दतिया	दतिया	पचोखरा	30.00	224.88
83	दतिया	दतिया	दतिया	बेहरूखा	33.00	77.07
84	दतिया	दतिया	दतिया	ललऊआ	20.00	0.66
85	दतिया	दतिया	दतिया	गोरा	28.50	27.70
86	दतिया	दतिया	दतिया	बरोये	30.00	0.51

क्र	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
87	दतिया	दतिया	दतिया	लिधोरा	31.00	1.02
88	दतिया	दतिया	दतिया	डबरा बाग	31.50	0.51
89	दतिया	दतिया	दतिया	बुधेड़ा	33.00	0.68
90	दतिया	दतिया	दतिया	कुम्हेड़ी	36.00	0.17
91	दतिया	दतिया	दतिया	विजयपुर	38.00	0.51
92	दतिया	दतिया	दतिया	गोराघाट	28	283.35
93	दतिया	दतिया	दतिया	सोनागिर	-	0.20
	योग तहसील दतिया					1305.86
94	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	अण्डोरा	41.00	32.73
95	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	खिरका	36.00	90.74
96	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	सिलोरी	37.00	113.34
97	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	मैंधोरा	34.00	25.43
98	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	भरौली	45.00	189.96
99	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	इकोना	38.00	10.13
100	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	बरजोरपुरा	48.00	0.68
101	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	बिलासपुर	45.00	9.01
102	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	सुनारी	33.00	31.21
103	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	खजूरी	34.00	19.01
104	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	थैली	39.00	82.26
105	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	मरसूला	34.00	22.63
106	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	ए श्यावरी	42.00	137.54
107	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	तिलैथा	35.00	61.88
108	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	सुखदेवपुरा	43.00	3.53
109	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	चकपुरा	41.20	3.02
110	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	पिपरा	40.50	3.01
111	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	पडोल	41.50	2.51
112	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	रमगढ़ा	42.01	1.19
113	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	चिमघन	43.00	3.21
114	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	तिघरू	43.20	1.51
115	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	रूरा	45.00	1.21
116	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	कुलैथ	44.00	2.51
117	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	सेनपुरा	43.00	3.68
118	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	खडौआ	42.00	0.51

क्र	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
119	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	सुन्दरपुरा	38.00	310
120	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	धीरपुरा	39.00	0.34
121	दतिया	सेंवड़ा	इन्दरगढ़	तिघरा	41.00	0.51
122	दतिया	सेंवड़ा	इंदरगढ़	उचाड़	39	110.86
123	दतिया	सेंवड़ा	इंदरगढ़	लांच	40	16.52
124	दतिया	सेंवड़ा	इंदरगढ़	धीरपुरा	39	0.34
	योग तहसील सेंवड़ा					1291.01
125	शिवपुरी	नरवर	नरवर	लेदा	25.80	7.23
126	शिवपुरी	नरवर	नरवर	छापर मडैंया	27.00	11.27
127	शिवपुरी	नरवर	नरवर	टोरिया कंला	27.50	10.37
128	शिवपुरी	नरवर	नरवर	कल्याणपुर	20	15.44
129	शिवपुरी	नरवर	नरवर	देहरेटा सानी	24	16.31
130	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दोनी	20	16.76
131	शिवपुरी	नरवर	नरवर	गोकन्दा	21	13.51
132	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भैंसा	21	9.30
133	शिवपुरी	नरवर	नरवर	जरगवां	15	16.61
134	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रोनिजा	22	9.96
135	शिवपुरी	नरवर	नरवर	सुनारी	16	10.36
136	शिवपुरी	नरवर	नरवर	अन्दोरा	15	16.33
137	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रायपहाड़ी	15	10.35
	योग तहसील नरवर					163.80
	महायोग					4274.32

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./नवलसिंह/2022-23/1168 ,मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, नवलनगर, जिला- बुरहानपुर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बोरगांव खुर्द	15	131.10
2	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बाडाबुजुर्ग	13	17.70
3	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	चिंचाला	16	14.00
4	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	ऐमागिर्द	12	11.80
5	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	फतेहपुर	8	48.50
6	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	लालबाग	16	3.20
7	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	रहीपुरा (बुरहानपुर)	7	20.20
8	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बिरोदा	19	0.40
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	मोहम्मदपुरा	16	5.80
10	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	मगरूल	9	113.20
11	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	मचलपुरा	3	19.20
12	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	निम्बोला	4	56.30
13	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	रहीपुरा (निम्बोला)	7	28.30
14	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	झीरी	0	41.90
15	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	झांझर	5	32.70
16	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	शाहपुर	21	10.00
17	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	संग्रामपुर	40	0.60
18	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	तुरकगुराड़ा	37	5.50
19	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	चापोरा	30	1.60
20	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	धामनगांव	37	17.80
21	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	इच्छापुर	38	4.00

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
22	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बडगांव गुलई	28	26.60
23	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	दर्यापुर	24	45.40
24	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	खडकोद	25	25.70
25	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	टिटगांवखुर्द	26	22.20
26	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बड़झिरी	32	9.90
27	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	चाकबारा	40	0.80
28	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	डोंगरगांव	27	0.50
29	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	देव्हारी	25	1.20
30	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	पिपलगांव	35	5.20
31	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	टिटगांवकला	26	94.80
32	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	एकलारा	25	15.50
33	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	पातोड़ा	19	1.80
34	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	गारबडली	10	1.60
35	बुरहानपुर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	दापोरा	26	2.80
योग तहसील बुरहानपुर						837.80
36	बुरहानपुर	नेपानगर	बुरहानपुर	बसाड़	15	34.60
37	बुरहानपुर	नेपानगर	बुरहानपुर	बोरी खुर्द	15	58.00
38	बुरहानपुर	नेपानगर	बुरहानपुर	चुलखान	3	120.70
39	बुरहानपुर	नेपानगर	बुरहानपुर	नसीराबाद	17	123.30
40	बुरहानपुर	नेपानगर	बुरहानपुर	उमरदा	28	38.30
41	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	निम्ना	21	27.40
42	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	हनुमंतखेड़ा	36	19.10
43	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सारोला	27	73.80
44	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	अम्बाडा	35	8.00
45	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बाड़ाजैनावाद	28	5.20
46	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	देवरी	35	15.40
47	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	हिंगना	28	15.10
48	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	नेवरी	35	29.50
49	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सांडसखुर्दश्	28	16.80
50	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	महलगुराड़ा	34	17.90
51	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	हनुमंतखेड़ा अ	36	24.10
52	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सांडसकला	35	2.40

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
53	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	खापरखेड़ा	40	0.80
54	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	निम्बापुर	35	12.30
55	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	नांदखेड़ा	39	15.60
56	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सिरपुर	32	18.90
57	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	जैनाबाद	20	240.80
58	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	डालमहू	43	22.50
59	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	घाघरला	45	13.10
60	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	हैदरपुर	40	70.70
61	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	हिवरा	37	24.00
62	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बडीखेड़ा	43	64.10
63	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	डाभियाखेड़ा	40	91.50
64	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	पांचड़मली	45	61.30
65	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	नावरा	45	68.70
66	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	रहमानपुरा	52	36.60
67	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सिंधखेड़ा (नावरा)	50	55.30
68	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	दूधिया	49	82.00
69	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	दर्यापुर (नावरा)	49	33.00
70	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	गोराडिया	47	62.70
71	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	नयाखेड़ा	53	50.90
72	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	अंधारबाडी	26	117.30
73	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	भातखेड़ा सीवल	25	41.60
74	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बीड़ (नेपा)	23	10.60
75	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सातपायरी	27	66.50
76	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बदनापुर	17	15.40
77	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बाकडी	31	58.30
78	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सीवल	21	70.20
79	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	पलासुर	40	114.70
80	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	सोनुद (वनग्राम)	43	34.20

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
81	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	बोरसल (चांदनी)	16	27.80
82	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	डवाली	28	64.00
83	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	नावथा (वनग्राम)	37	87.40
84	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	रतागढ	16	53.60
85	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	गौलखेड़ा	56	26.70
86	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	केरपानी	55	54.60
87	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	मचगांव	54	22.30
88	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	रत्नापुर	58	17.30
89	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	साईखेडा (सीवल)	35	90.40
90	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	घमनपुर	54	0.80
91	बुरहानपुर	नेपानगर	खकनार	चांदनी	16	4.00
योग तहसील नेपानगर						2632.10
92	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	शेखापुर	88	12.20
93	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	डांगुल्ला	104	2.20
94	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	घनश्यामपुरा	40	4.00
95	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	गुलई	33	4.70
96	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	सिंधखेड़ा	30	74.80
97	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	धाबा	50	22.40
98	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	जामन्या	56	10.90
99	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	खकनार	53	19.10
100	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	खकनार खुर्द	53	23.90
101	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	पांगरी	58	27.00
102	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	बासली	48	23.50
103	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	डोईफोडिया	41	12.00
104	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	कारखेडा	45	5.10
105	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	नांदुरा खुर्द	48	12.00
106	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	नांदुराकला	50	8.90
107	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	नागझिरी	50	11.20
108	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	साईखेड़ा(डाई	46	10.10

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
				फोडिया)		
109	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	सामरया	47	2.50
110	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	ताजनापुर	45	6.60
111	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	कानापुर	58	16.20
112	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	मांजरोद कला	59	27.10
113	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	खडकी	67	5.40
114	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	मोहनगढ	64	1.40
115	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	निमंदड़	55	6.00
116	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	रघई	64	38.40
117	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	सावली	58	10.50
118	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	शेखपुरा	61	6.80
119	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	दसघाट	66	16.30
120	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	मांजरोद खुर्द	60	53.40
121	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	चिडियामाल	60	10.00
122	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	खोदरी	68	19.80
123	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	मोन्द्रा	73	36.80
124	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	मेलचुका	70	33.60
125	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	पीपलपानी	71	35.10
126	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	रायतलाई	68	49.60
127	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	रामधड़	75	15.80
128	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	तुकईथड	65	95.20
129	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	झिरमिटी	72	16.60
130	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	पांढरी	73	6.20
131	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	बालापाट	82	22.30
132	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	पीपरी बोरबन	79	56.30
133	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	धावटी	73	1.10
134	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	देड़तलाई	79	35.40
135	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	धार (बेलथड)	75	96.80
136	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	सागमली	75	27.30
137	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	सातोड	82	17.70
138	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	चौखंदा	82	0.70
139	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	दाहिन्दा	86	13.20

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
140	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	दैयत	94	20.60
141	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	गोद्री	96	8.00
142	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	परेठा	91	33.70
143	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	साजनी	89	15.00
144	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	ढाकना	94	7.60
145	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	झोलापुरा	95	3.20
146	बुरहानपुर	खकनार	खकनार	खैरमाल	90	1.20
147	बुरहानपुर	खकनार	बुरहानपुर	बिजोरी	65	59.00
योग तहसील खकनार						1212.40
148	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	आरूद	43	17.60
149	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	अंजनगांव	45	1.30
150	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	धनौरा	45	4.20
151	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	हीरापुर	43	2.00
152	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	बोरगांवबुजूर्ग	32	3.50
153	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	हेमगीर	40	62.70
154	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	खिराला	35	4.00
155	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	पिपरहट्टी	35	0.40
156	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	सिंगोट	78	9.10
157	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	अम्बापाट	85	0.50
158	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	गोंदवाडी	110	1.60
159	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	खिडगाव	85	2.60
160	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	जामलीकला	60	6.60
161	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	राजोरा		1.10
162	खण्डवा	पंधाना	पंधाना	डोंगरगांव		2.00
163	खण्डवा	पंधाना	छैगॉवमाखन	बरूड	70	0.60
164	खण्डवा	पंधाना	छैगॉवमाखन	निहालवाड़ी	75	2.30
योग तहसील पंधाना						122.10
165	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	जसवाड़ी	70	5.30
166	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	ललवाडा	76	5.50
167	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	नागचुन	70	1.00
168	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	कोलगाव	100	1.60
योग तहसील खण्डवा						13.40

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
169	खण्डवा	छनेरा	छनेरा	चिंच	140	1.00
170	खण्डवा	छनेरा	खालवा	झारीखेड़ा	100	2.80
171	खण्डवा	छनेरा	खालवा	रायपुर	94	67.40
172	खण्डवा	छनेरा	खालवा	सेधवाल	97	45.10
173	खण्डवा	छनेरा	खालवा	सोनपुरा	100	1.40
174	खण्डवा	छनेरा	खालवा	रामाखेड़ा	84	9.10
योग तहसील छनेरा						126.80
175	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	अट्टूखास	115	28.60
176	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	दिनायनतपुरा	100	1.20
177	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	खेड़ी बुजुर्ग	90	6.40
178	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	मुन्दी	93	3.00
179	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	कालियाखेड़ी	130	3.80
180	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	कामनखेड़ा	125	9.80
181	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	गुंजाली	110	2.60
योग तहसील पुनासा						55.40
महायोग :-						5000.00

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./मॉ रेवा/2022-23/170 ,मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा0 लि0, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला- धार (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	4	3	5	6	7
1	धार	कुक्षी	कुक्षी	चिखल्दा	4.00	43.59
2	धार	कुक्षी	कुक्षी	गेहलगॉव	5.00	24.73
3	धार	कुक्षी	कुक्षी	मलवाडा	6.00	86.78
4	धार	कुक्षी	कुक्षी	खापड़खेडा	8.00	51.53
5	धार	कुक्षी	कुक्षी	बाजड़ीखेड़ा	9.00	23.33
6	धार	कुक्षी	कुक्षी	नर्मदानगर (खेड़ा–सिसगॉव)	2.00	152.02
7	धार	कुक्षी	कुक्षी	निसरपुर	15.00	22.15
8	धार	कुक्षी	कुक्षी	कुआ–धर्मराय	34.00	2.00
9	धार	कुक्षी	कुक्षी	भवरिया	23.00	57.98
10	धार	कुक्षी	कुक्षी	पिपल्या	11.00	7.64
11	धार	कुक्षी	कुक्षी	पुरा	6.00	4.50
12	धार	कुक्षी	कुक्षी	बोधवाड़ा	7.00	26.72
13	धार	कुक्षी	कुक्षी	लिंगवा	6.00	2.00
14	धार	कुक्षी	कुक्षी	करोदीयॉ	13.00	3.06
15	धार	कुक्षी	कुक्षी	नवादपुरा	24.00	0.57
16	धार	कुक्षी	कुक्षी	बड़दा –आली	41.00	22.83
17	धार	कुक्षी	कुक्षी	कटनेरा	18.00	1.62
18	धार	कुक्षी	कुक्षी	कापशी	38.00	0.63
19	धार	कुक्षी	कुक्षी	आली	40.00	6.03
20	धार	कुक्षी	कुक्षी	सिलकुऑ	34.00	4.79
21	धार	कुक्षी	कुक्षी	खंडवा	35.00	12.39
22	धार	कुक्षी	कुक्षी	दाहोद	45.00	6.69
23	धार	कुक्षी	कुक्षी	निमबोल	18.00	1.07

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	4	3	5	6	7
24	धार	कुक्षी	कुक्षी	दोलिया	40.00	2.18
25	धार	कुक्षी	कुक्षी	नेहतड़ा	40.00	8.14
			योग तहसील कुक्षी			**574.97**
26	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**रतवा**	**38**	**37.39**
27	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**बड़ा–बडदा**	**42**	**172.40**
28	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**मलनगॉव**	**51**	**58.43**
29	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**बाकानेर**	**39**	**13.76**
30	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**पटवार**	**47**	**8.67**
31	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**जलखेडा**	**38**	**0.54**
32	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**कुवाली**	**43**	**4.65**
33	**धार**	**मनावर**	**उमरबनए**	**मिर्जापुर**	**46**	**5.78**
			योग तहसील उमरबन			**301.62**
34	धार	गंधवानी	गंधवानी	पानवा	36	0.51
35	धार	गंधवानी	गंधवानी	गंधवानी	32	13.17
			योग तहसील गंधवानी			**13.68**
36	धार	मनावर	मनावर	देवगढ	9	24.26
37	धार	मनावर	मनावर	कवटी	17	7.39
38	धार	मनावर	मनावर	सातत्तलाई	12	0.80
39	धार	मनावर	मनावर	सरिकपुरा	48	35.15
40	धार	मनावर	मनावर	उरदना	35	24.11
41	धार	मनावर	मनावर	सिंधाना	15	11.99
42	धार	मनावर	मनावर	गणपुर	5	9.20
43	धार	मनावर	मनावर	सिरसाला	28	29.38
44	धार	मनावर	मनावर	डोगरगॉव	18	16.77
45	धार	मनावर	मनावर	बड़गॉवखेडी	24	22.76
46	धार	मनावर	मनावर	मांडवी	7	4.88
47	धार	मनावर	मनावर	कोसवाड़ा	8	1.90
48	धार	मनावर	मनावर	बालीपुर	33	6.79
49	धार	मनावर	मनावर	अजंदा	46	30.09
50	धार	मनावर	मनावर	सिरसी	8	1.28
51	धार	मनावर	मनावर	पिपरीमान	41	14.67
52	धार	मनावर	मनावर	गोपालपुरा	11	21.25
53	धार	मनावर	मनावर	लुन्हैरा	36	0.70
54	धार	मनावर	मनावर	कलवानी	34	1.93
55	धार	मनावर	मनावर	अजंदीकोट	20	8.32
56	धार	मनावर	मनावर	जाजमखेड़ी	26	5.31
57	धार	मनावर	मनावर	मनावर	32	5.19
58	धार	मनावर	मनावर	टोकी	37	2.83
59	धार	मनावर	मनावर	साला	20	8.89

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	4	3	5	6	7
60	धार	मनावर	मनावर	कुराड़ा–खाल	23	2.52
61	**धार**	**मनावर**	**मनावर**	**पिपलाज**	**16**	**8.95**
62	**धार**	**मनावर**	**मनावर**	**बागलिया**	**28**	**23.86**
63	धार	मनावर	मनावर	देवला	35	17.24
64	**धार**	**मनावर**	**मनावर**	**जाटपूर**	**34**	**1.60**
65	**धार**	**मनावर**	**मनावर**	**अजंदीमान**	**34**	**4.41**
66	धार	मनावर	मनावर	पेरखड़	26	111\12
67	धार	मनावर	मनावर	करौली	18	8.86
68	धार	मनावर	मनावर	अछोदा	23	179.19
69	धार	मनावर	मनावर	एकलबारा	19	122.47
70	धार	मनावर	मनावर	सेमल्दा	24	88.40
			योग तहसील मनावर			**864.46**
71	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	अंजड़	26	22.11
72	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	दतवाड़ा	33	66.93
73	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	आवली	33	33.05
74	बड़वानी	अंजड	ठीकरी	छोटा. बड़दा	31	49.00
75	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	गोलाटा	34	39.60
			योग तहसील ठीकरी			**210.69**
76	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	12.00	8.80
77	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	तलून	20.00	9.70
78	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बोरलाय	25.00	16.86
79	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	धनोरा	26.00	1.01
80	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपरी	25.00	2.46
81	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कालीबेड़ी	15.00	8.91
82	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	तलाड़ा (बुजूर्ग)	25.00	3.39
83	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपलाज	19.00	7.06
84	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कुंडिया	16.00	15.92
85	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	छोटी–कसरावद	9.00	50.20
86	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपलुद	26.00	38.97
87	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	उटावद	27.00	3.26
88	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	सेंगावा	34.00	40.15
89	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	करी	24.00	1.24
90	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कल्यानपुरा	14.00	5.18
91	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बगुद	25.00	27.89
92	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	एकलरा	14.00	10.21
93	**बड़वानी**	**बड़वानी**	**बड़वानी**	**सजवानी**	**18.00**	**3.61**
94	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	भिलखेड़ा	15.00	3.40
95	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पाल्या	22.00	2.87
96	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	लोनसरा	27.00	41.43
			योग तहसील बड़वानी			**302.52**
97	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	साली	30	2.16
98	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	पलसूद	49	3.04
			योग तहसील राजपुर			**5.20**
			महायोग :-			**2273.14**

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./एन.पं./2022-23/ 1172, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि., ग्राम- हिरनाखेड़ी, तहसील-चांद, वि.ख.-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चाँद	3	46.85
2	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	भांडपिपरिया	4	22.05
3	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	विकला	5	38.53
4	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	रानीखैरी	6	47.16
5	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कौआखेडा	7	102.16
6	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बेलगाँव	8	49.38
7	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मोघर	9	48.08
8	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	गुमगाँव	9	12.25
9	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खापाबिहारी	10	30.24
10	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	दिलावर मोहगांव	11	62.92
11	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पखडिया	12	3.26
12	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सटोटी	17	30.42
13	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	हिवरा जयसिंह	19	27.55
14	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बतरी	12	13.24
15	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चाँदढाना	5	1.64
16	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	घोघरी हरहर	12	17.01
17	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिंगोडी	20	77.02
18	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिरस	22	64.98
19	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कुकरई	25	4.11

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
20	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	धमनिया सिरस	18	31.15
21	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बम्हनी लाला	15	78.51
22	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्रा	12	75.67
23	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्रा मनियाटोला	11	0.60
24	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पांजरा	8	120.52
25	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नोनी खुर्द	13	169.40
26	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नांदना	9	52.59
27	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	परसोली	10	33.63
28	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पटिया	13	6.35
29	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	डोंगरी टोला	14	20.35
30	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिंगोडी टोला	17	89.28
31	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	जामुन टोला	17	27.76
32	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बाडीबाडा	5	120.72
33	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कुम्पानी	34	3.24
34	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	ढुटमर	21	14.09
35	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	राजलबाडी	10	18.59
36	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	झिरिया	13	16.60
37	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	केरिया	13	30.21
38	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खुटपिपरिया	13	13.55
39	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	हरनाखेडी	4	130.17
40	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चिखली खुर्द	2	21.49
41	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	टिघरा	5	62.09
42	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सालईछिन्दी	18	25.72
43	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	गोहरगाँव	6	18.02
44	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	परसगाँव	14	2.06
45	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मुडिया खेडा	8	49.75
46	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बम्हनीतुरा	11	16.31
47	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कोडरखापा	13	17.40
48	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नीलकण्ठी कला	15	1.30
49	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नोलाझिर	12	55.32

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
50	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	ढीमरमेटा	6	16.40
51	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	माताखैरी	14	35.70
52	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पंचगाँव	15	117.84
53	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	आमगाँव	20	6.94
54	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खाती पिपरिया	16	16.29
55	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	टाप	15	4.18
56	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पोनिया	16	17.66
57	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खैरघाट	14	18.72
58	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बासखेडा	21	13.85
59	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मेघदोन	18	21.76
60	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पतलोन	20	8.29
61	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	रमपुरी	18	100.37
62	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	तीतरी	14	40.23
63	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चंदनगाँव	12	157.53
64	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बादगाँव	13	80.61
65	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	लालगाँव	12	41.23
66	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	जमुनिया	21	3.09
67	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	दावाझिर	19	12.97
68	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	रामटोला	13	0.65
69	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	उभेगांव	22	2.77
योग तहसील चाँद						2738.36
70	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	मोहगांव कला	13	7.96
71	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	पालादौन	19	24.14
72	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	तेन्दनी	19	21.29
73	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	बांकानागनपुर	12	23.96
74	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	पाल्हरी	27	11.04
75	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	चोरगाँव	28	10.35
योग तहसील चौरई						98.74
76	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खुटिया	12	2.32
77	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	पिंडरई कला	15	26.64
78	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	शहपुरा	6	93.79
79	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खमरा	6	134.76

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
80	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	धमनिया खमरा	8	2.34
81	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सोनापिपरी	12	56.42
82	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सलैया	9	46.62
83	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सुसरई	13	21.16
84	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खेड़ा	13	7.67
85	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	पुलपुलडोह	14	4.82
86	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	थावरी (भाजीपानी)	8	19.33
87	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	कुहिया	12	138.44
88	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सुनारी मोहगाँव	13	99.84
89	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	भाजीपानी	19	2.74
90	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खापाकला भाजीपानी	20	23.38
91	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	धगडिया	11	19.03
92	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	राजना	24	2.60
93	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	अकलमा	26	1.46
94	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	बड्डाढाना	4	12.30
95	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	बरेलिपार	16	2.36
96	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	बारी	16	0.70
97	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	जटामा	28	1.98
98	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खमरा बडा	14	1.96
99	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	पिण्डरई खुर्द	26	0.36
योग तहसील छिंदवाड़ा						723.02
100	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	किशनपुर	15	18.17
101	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	पिपरिया कला	18	1.06
102	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मालीखैरी	22	3.64
103	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	बंधान	29	16.87
104	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	शेरपापड़ा	20	5.47
105	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मोया	24	1.16
106	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	जमनिया	15	1.93
107	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	डोकली	26	2.22

क्र.	जिला	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.	आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
108	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मोया मोहगांव	24	0.85
109	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	थोटा	21	5.47
110	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	गुमतरा	31	5.36
111	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	पाथरी	29	0.59
112	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	सागर	27	6.12
113	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	केकड़ा	26	22.04
114	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	नवलगाँव	28	15.64
115	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	बीसापुर	30	0.48
116	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	बामला	27	10.47
योग तहसील मोहखेड़ा						117.55
महायोग :-						3677.67

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.